खण्ड-347, अंक-8
सोमवार, 21 आश्विन, शक संवत् 1902
(13 अक्टूबर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 347 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	975-979
प्रश्नोत्तर	981–998
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	998–999
थानाध्यक्ष, बनकटा (देवरिया) द्वारा ग्राम प्रधान, जिला सीवान, बिहार निवासी श्री सामरथ चौधरी की गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	999
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर विभाग के सेवा निवृत्त अधिकारियों के बिक्रीकर ट्रिब्युनल में नियुक्ति पर आपत्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	
मंत्रि मन्डल में सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	1000–1006
आगरा मन्डल के आयुक्त, श्री देशराज सिंह के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	1007–1010
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 का तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976–77 (सदन के पटल पर रखा गया)	1010
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रथम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 1972–73) (सदन के पटल पर रखा गया)	1010
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 1973–74) (सदन के पटल पर रखा गया)	1010
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1011
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) का (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1011
उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1011
सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1011
उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1012

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान मंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के गठन के सम्बन्ध में विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन की सूचना	1012
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1013
श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	1013
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी ..	1013
राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा 13 विश्वविद्यालय की सभाओं के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूचना ..	1013-1015
विधान मन्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के गठन के प्रस्ताव पर विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन पर सहमति का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1015-1016
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1016-1017
1980-81 के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	1017
1973-74 के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	1017-1018
अनुपूरक अनुदानों एवं अतिरिक्त अनुदानों पर प्रस्तुत करने के दिन ही विचार एवं मतदान कराने हेतु नियमावली के तत्सम्बन्धी नियमों के निलम्बन के प्रस्ताव पर आपत्ति	1018-1028
1980-81 के अनुपूरक अनुदानों एवं 1973-74 के अतिरिक्त अनुदानों पर प्रस्तुत करने के दिन ही विचार एवं मतदान करने हेतु नियमावली के तत्सम्बन्धी नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1028
1980-81 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा ..	1029-1047
1980-81 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 9--स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग (स्वीकृत)	1047-1048
अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग (स्वीकृत)	1048
अनुदान संख्या 17--सचिवालय (स्वीकृत)	
अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) ..	1048
अनुदान संख्या 24--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत)	1049
अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ..	1049
अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ..	1049-1050
अनुदान 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवासिक भवन) (स्वीकृत)	1050

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	1050
अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	1050
अनुदान संख्या 35--स्पोर्ट्स विभाग (स्वीकृत)	1051
अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ..	1051
अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रायोग विभाग (स्वीकृत) ..	1051
अनुदान संख्या 38--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) ..1051-1052	
अनुदान संख्या 39--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)..	1052
अनुदान संख्या 40--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	1052
अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत) 1052-1053	
अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग (स्वीकृत)	1053
अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	1053
अनुदान संख्या 48--राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) (स्वीकृत)	1053
अनुदान संख्या 49--सहकारिता विभाग (स्वीकृत) ..	1054
अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	1054
अनुदान संख्या 51--नियोजन विभाग (स्वीकृत)	1054
अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ..1054-1055	
अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत) ..	1055
अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग (स्वीकृत) ..	1055
अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	1055
अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग (स्वीकृत)	1056
अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)..	1056
अनुदान संख्या 62--वन विभाग (स्वीकृत)	1056
अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखे) (स्वीकृत) 1056-1057	
अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	1057
अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	1057

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	1057
अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	1058
अनुदान संख्या 77--चिकित्सा विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1058
अनुदान संख्या 85--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1058
अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1059
अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1059
अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1059
अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग-(चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1060
अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1060
अनुदान संख्या 99--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	1060
अनुदान संख्या 100--मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1061
अनुदान संख्या 101 (क)-विद्युत विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1061
अनुदान संख्या 102--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	1061
अनुदान संख्या 103--सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत) ..	1062
अनुदान संख्या 104--सार्वजनिक निर्माण विभाग-(संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	1062
अनुदान संख्या 105--परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1062
अनुदान संख्या 111--आवास विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) .	1063
अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	1063
अनुदान संख्या 114--उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	1063
अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	1063-1064
अनुदान संख्या 118--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	1064

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 119--सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	1064
अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	1064-1065
अनुदान संख्या 123--विद्युत् विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	1065
अनुदान संख्या 126--पर्यटन विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	1065
उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 (स्वीकृत)	1065-1074
प्रदेश के पूर्वी जिलों में फैले संक्रामक रोग की रोक थाम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना ..	1074
1973-74 के बढ़ती व्यय के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 1--वृहत् जोतकर (स्वीकृत) ..	1074
अनुदान संख्या 6--स्टाम्प	1075
अनुदान संख्या 11--आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	1075
अनुदान संख्या 13--न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	1075
अनुदान संख्या 17--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत)	1076
अनुदान संख्या 23--पशुपालन तथा मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	1076
अनुदान संख्या 26--नियोजन और समन्वय (स्वीकृत) ..	1076
अनुदान संख्या 27--श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत) ..	1077
अनुदान संख्या 29--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत) ..	1077
अनुदान संख्या 31--राजस्व से किय जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	1077
अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते ह (स्वीकृत)	1078
अनुदान संख्या 35--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	1078
अनुदान संख्या 39--अधिवर्ष भत्ते और पेंशने (स्वीकृत) ..	1078
अनुदान संख्या 44--नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	1079
अनुदान संख्या 47--बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	1079
अनुदान संख्या 48--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय .. (स्वीकृत)	1079
अनुदान संख्या 49--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	1080

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ते व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 (पारित) ..	..1080-1086
उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	1086
आयुक्त, आगरा मंडल, श्री देशराज सिंह के विरुद्ध शासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना	..1086-1089
कृषि अभियन्त्रण कोर्स हेतु पालीटेक्निक विद्यालयों में हाई स्कूल कृषि विज्ञान एवं इन्टरमीडिएट कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के स्थान पर हाईस्कूल गणित एवं विज्ञान के छात्रों को प्रवेश दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..1089-1092
देवरिया जिला के अन्तर्गत ग्राम रतनपुरा की श्रीमती विमला देवी के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..1092-1093
देवरिया जिलान्तर्गत राप्ती नदी के कटाव से ग्राम गायघाट के मकानों के जलमग्न हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..1094-1095
केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना, धान तथा मोटे अनाजों का मूल्य निर्धारित किये जाने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	..1095-1116
विधान सभा सदस्य, श्री नन्दराम एवं श्री थक्मन सिंह की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना ..	..1116-1117
सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1117
नत्थी	..1119-1122

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 13 अक्तूबर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 1 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 368

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्मल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुल्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
काशी नाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त श्री (उर्फ बालराज (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदबीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरीगढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनी)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून

गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ीगढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
बल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू, उर्फ दीप नारायण श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)

फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भाष्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफी उर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतर दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)

डा० राम कृष्ण उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी श्री (मुरादाबाद)
र म चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामज. राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
र म यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह, रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम हर्ष राम, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
बिशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह, ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
बृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिब नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोदल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)

सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंस प्रसाद पण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर श्री (हरदोई)
हफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट--मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 13 अक्तूबर, 1980

तारांकित प्रश्न

उपनिदेशक भूमि संरक्षण कृषि विभाग के पद पर प्रोन्नति

*1--श्री ऊबल (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कृषि इंजीनियरिंग से आये हुए लोगों को बी० एस-सी० तथा टेक्नीकल आफिसर के ही पदों पर रखा जाता है जबकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अप्रूव्ड हैं ? क्या यह सत्य है कि कृषि विभाग के भूमि संरक्षण विभाग में भी कृषि इंजीनियरों को उपनिदेशक का पद नहीं दिया जाता और नान-टेक्निकल को उपनिदेशक भूमि संरक्षण में बनाया जाता है ऐसा क्यों ? इनके प्रमोशन के बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

कृषि विभाग में भूमि संरक्षण या कृषि अभियंत्रण के डिग्रीधारी अभ्यर्थियों, जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा चयनित हैं, को भूमि संरक्षण प्रभाग में भूमि संरक्षण अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी के पद पर तथा कृषि अभियंत्रण या अभियंत्रण डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को सहायक कृषि अभियन्ता के पद पर तनात किया जाता है ।

जी नहीं । पूर्व में भूमि संरक्षण प्रभाग के अन्तर्गत उप निदेशक (भू०सं०) के पद पर अभियंत्रण योग्यता के अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती द्वारा तथा चार पदों पर अभियंत्रण भोग्यता के श्रेणी-2 में कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की गयी है । पदोन्नति द्वारा की गयी नियुक्ति के विरुद्ध श्रेणी-2 के अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायाधिकरण में निदेश याचिका दायर की गई हैं जो अभी अनिर्णीत हैं । निदेश याचिकाओं पर निर्णय हो जाने के बाद ही अभियंत्रण योग्यता के श्रेणी-2 में कार्यरत अधिकारियों की उप निदेशक (भूमि संरक्षण) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किया जायगा । उप निदेशक (भू०सं०) के पदों पर नियुक्ति उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन "बी" के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भी की जाती है । उप निदेशक (भू०सं०) के पद पर किसी नान टेक्निकल अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाता है ।

श्री हुकम सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे जिन कृषि इंजीनियरों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड है क्या सरकार सिद्धान्त रूप से इस बात से सहमत है कि उनका प्रमोशन निदेशक के पद पर होना चाहिए ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, प्रोन्नति हुई भी है और सरकार सहमत भी है कि उनकी प्रोन्नति होनी चाहिए ।

श्री हुकम सिंह--

कृषि निदेशक के पद पर प्रमोशन होना चाहिए क्या इससे सहमत है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

पहले भी हुआ है, मान्यवर, जैसा कि उत्तर से ही स्पष्ट है, तो उसमें सहमति तो है ही ।

उर्वरक पर दिया गया अनुदान

*2--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष सूखे से पीड़ित किसानों के लिए छूट दिये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा कोई रेडियोग्राम 28-11-79 को सभी जनपदों में भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उसमें यह भी लिखा था कि यह आदेश 8-11-79 से लागू माना जायेगा ? यदि हां, तो 9-11-79 से 28-11-79 के बीच जिन किसानों ने कृषि बीज भण्डारों से खाद खरीदी है, उनको सब्सिडी दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नगत रेडियोग्राम दिनांक 8--11-79 को प्रेषित किया गया था, जिसमें अनुदान संबंधी आदेश तत्काल लागू होने का उल्लेख था । दिनांक 8-11-79 से औपचारिक शासनादेश दिनांक 24-11-79 विक्रय केन्द्र पर पहुंचने तक की अवधि में क्रय किये गये कृषि निवेशों पर अनुदान की सुविधा दिये जाने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं और तदनुसार जनपद स्तर पर अनुदान दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 8-11-79 से 24-11-79 के बीच खाद खरीदा है, उनको सब्सीडी दी जायेगी, तो मेरी जानकारी को सही मानते हुये कि काश्तकारों को दौड़ाया और उनसे अधिक दाम भी लिया, तथा मैंने भी आपके यहां लिखकर इस संबंध में दिया है, तो क्या मंत्री जी इनकी जांच कराकर जिनका सब्सीडी बाकी है उनको दिलायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

अवश्य । इस प्रकार की शिकायतें यदि हैं और माननीय सदस्य ने दिया है, तो उनकी अवश्य जांच करा ली जायेगी और जिनको सब्सीडी नहीं मिली है, उनको दिलाने की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

कब तक जांच करा लेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

एक महीने के अन्दर ।

ग्राम सिघौटी, वेलई नाले, जिला गोण्डा पर बनाया गया कथित टैंक

*3–श्री मसरूर जाफरी––

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सिघौटी, विकास खण्ड बेलसर, तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में वेलई नाले में मछली पालन टैंक बना कर बरसाती पानी का निकास अवरुद्ध किया गया है जिससे 8 गांवों की फसल पानी से बर्बाद हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों को बचाने के लिये कोई उपाय करेगी ?

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)––

प्रश्नगत नाले में मत्स्य विभाग या मत्स्य पालक विकास एजेन्सी द्वारा कोई भी ऐसा टैंक नहीं बनाया गया है ।

श्री मसरूर जाफरी––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र बेलसर से मिला है जिसमें शिकायत किया है कि 8 गांव पानी से डूबे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी––

शासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री भीखा लाल––

क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसका जलाशय नहीं बनाया गया है, तो किस व्यक्ति ने अनाधिकृत पानी को रोक करके अवरोध पैदा किया है जिससे 8 गांव डूब गये हैं और पानी का बहना जारी रखने की व्यवस्था क्या मन्त्री करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, मत्स्य विभाग द्वारा पूछा गया था, तो उन्होंने तो जानकारी दिया है, उसको मैंने बतलाया और माननीय सदस्य ने जो बताया उसको आधार मानते हुये इसकी जानकारी अवश्य करायेंगे ।

पशुधन विकास अधिकारियों का चयन

*4–श्री तपेश्वर (अनुपस्थित)––

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन निदेशालय ने 20–12–79 को पशुधन विकास अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र मांगा था और उसका इण्टर व्यू 17, 18 फरवरी, 1980 को निदेशालय में लिया गया ? यदि हां, तो क्या उसके नियुक्ति की लिस्ट बना कर घोषित कर दी गयी ? क्या यह सही है कि उक्त साक्षात्कार में आये डा० नन्द लाल पशु चिकित्सा विद को जिन्होंने सत्र 77 एवं इटरर्नशिप 28–9–77 से 27–9–78 का नाम छोड़ दिया गया और जूनियर लोगों को सत्र 1978 में शामिल किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, 48 अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया गया ।

डा० नन्द लाल भी साक्षात्कार में उपस्थित हुये थे किन्तु इन्हें चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर चयनित नहीं किया गया पशुधन विकास अधिकारी के पदों के लिए इन्टरनीशिप अनिवार्य योग्यता नहीं थी ।

5—श्री सीता राम निषाद,

श्री माण्डवी प्रसाद सिंह,

श्री रघुवीर सिंह यादव,

श्री सतीश अजमानी,

श्री माधव प्रसाद,

श्री शेर बहादुर सिंह,

श्री राम कुमार मार्गव तथा

श्री प्रियदर्शी जेतली—

[25वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*6—श्री सन्त बख्श रावत—

[6-10-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित]

*7—श्री सत्यपाल सिंह—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

*8—श्री दीनानाथ पाण्डेय—

[9वें सोमवार के लिये स्थगित]

मथुरा जिले के कोसी कला स्थित पशु चिकित्सालय का भवन

*9—श्री चन्दन सिंह—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के कोसी कला पशु चिकित्सालय की इमारत बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार इस पुरानी इमारत को ठीक करने के लिए कोई आर्थिक सहायता देगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कोसी कला पशु चिकित्सालय जो जिला परिषद् मथुरा द्वारा संचालित था, को वर्ष 1978-79 में प्रान्तीयकरण करके राज्य सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया है । चिकित्सालय के भवन निर्माण की आवश्यकताओं की जानकारी की जा रही है । प्रान्तीयकरण के पश्चात् किसी व्यक्ति अथवा संस्था को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री चन्दन सिंह--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि पशुधन चिकित्सालय, कोसीकलां टूटा पड़ा है और क्या मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि उसे शीघ्र बनाने की कृपा की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसकी जांच कराई जा रही है और निदेशक ने एस्टिमेट बनाने के आदेश दे दिये हैं ।

श्री हुकम सिंह--

जांच इस बात की कराई जा रही है कि भवन टूटा है अथवा इस बात की कि उस पर क्या व्यय होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस बात की जांच कराई जा रही है कि कितना उस पर व्यय होगा ।

श्री बदन सिंह--

इस चिकित्सालय की जांच किस विभाग के अधिकारी से कराई जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जांच के आदेश के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग एस्टिमेट बनायेगा या फिर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बनायेगा ।

*10--श्री जमुना प्रसाद--

[9वें सोमवार के लिये स्थगित]

चमोली जिले के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष, एवं दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष का आरक्षण सम्बन्धी कथित-पत्र

*11--श्री राम स्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 1980 के दूसरे सप्ताह में उन्हें हरिजन सेवक संघ, उत्तर प्रदेश, चमोली के अध्यक्ष दलित वर्ग संघ, उत्तर प्रदेश, चमोली के अध्यक्ष व नीतीमान भोटिया जनजाति संगठन, चमोली के मंत्री की ओर से आरक्षित कोटे में पदोन्नति न किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र यहां प्राप्त नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

पंचायत उद्योग, भोलेपुर, जिला फर्रुखाबाद के प्रबन्धकों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*12--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पंचायत उद्योग, भोलेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के प्रबन्धकों के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत 7-7-80 को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इन आरोपों के विषय में क्या कोई जांच की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के पहले भाग में यह है कि क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पंचायत उद्योग, भोलेपुर, जनपद फर्रुखाबाद के प्रबन्धकों के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत 77-80 को प्राप्त हुई थी ? मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस में सूचना एकत्रित किये जाने का क्या प्रश्न ह ? मैंने अपने पत्र संख्या 156 (क) 80, दिनांक 7-7-80 द्वारा माननीय मंत्री जी के पास उन सारी गम्भीर अनियमितताओं का विवरण पेश किया था जिन पर जांच होनी थी । दूसरा भाग माननीय मंत्री जी यह है कि यदि हां, तो इन आरोपों के विषय में क्या कोई जांच की गई और उसके क्या परिणाम निकले ? क्या माननीय मंत्री जी ने कोई जांच के आदेश दिये है, तो किस अधिकारी द्वारा दिये गये हैं ? परिणाम तो हो सकता है, वह बाद में प्राप्त हो, इसमें सूचना एकत्रित की जा रही है, यह निश्चित ही इनके अधीनस्थ अधिकारियों ने गलत सूचना दी है । क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जब भी सम्मानित सदस्य कोई प्रश्न करते हैं, तो केवल उस पत्र का हवाला नहीं होता है । जो भी उस पत्र से सम्बन्धित सूचनायें होती हैं उनकी सूचना यहां पर सम्मानित सदस्य को इस सदन में दी जाती है । अगर कोई सूचना पूरी नहीं दी जाती है, तो उस वक्त यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि पत्र में यह चीज दी गई थी, पूरी सूचना सम्मानित सदस्य को नहीं दी गई है । मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि जो पत्र उन्होंने दिया है जिस पर इनक्वायरी चाही है, उसकी पूरी सूचना उनको दी जायगी । उसमें किसी तरह की शंका करने की आवश्यकता नहीं है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर म बिक्री-कर अधिकारियों की गिरफ्तारी

**1--श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि विगत 24 अगस्त, 1980 को मुजफ्फरनगर में बिक्री-कर सचल दल के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार

किया गया और उन लोगों को हथकड़ी लगाकर शहर में घुमाया गया ? यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-8-80 को मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड, पर सूजड़ू चुंगी के पास सहारनपुर के बिक्रीकर सचल दल के तीन बिक्रीकर अधिकारियों को धारा 161/165/34 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अधिकारियों को हथकड़ी लगाकर शहर में घुमाया नहीं गया। उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कुछ ट्रक वालों से रिश्वत लेने का आरोप है।

श्री मोहन सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि 24 तारीख को बिक्रीकर अधिकारियों के खिलाफ किन-किन ट्रक के मालिकों ने थाने में रिपोर्ट दी ? बिक्रीकर अधिकारियों ने ट्रक्स को घेर रखा है। इसकी सूचना थाने में कब आई और थाने के लोग मौके पर कब पहुंचे ? इन बिक्रीकर अधिकारियों के क्या नाम हैं और मौके पर जब जामातलाशी ली गयी, तो उनके पास से क्या-क्या सामग्री प्राप्त हुई ?

श्री अम्मार रिजवी--

बिशम्भर पांडेय, गोविन्द राम आर्य तथा जवाहर लाल बिक्रीकर अधिकारी थे। जिन ट्रक के मालिकों ने रिपोर्ट लिखाई उनके नाम हैं असलम, नील कुमार, अशोक कुमार, बुन्दु, इकबाल, अकबर, त्रिलोक चन्द्र, बंशीलाल और एक हस्ताक्षर अपठित है। यह रिपोर्ट 2 बज कर 10 मिनट पर लिखाई गयी। उनके पास से जो पैसा बरामद हुआ वह है 5,162 रुपया जिसकी रसीदें थी और 3157.10 रु0 का कोई हिसाब वह नहीं दे सके।

श्री मोहन सिंह--

मेरा सवाल यह था कि इन तीन बिक्रीकर अधिकारियों की जेब से कुल कितना रुपया बरामद हुआ और कितने रुपये की रसीदें मौजूद थीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

5,162 रुपये की रसीदें मौजूद थी और 3157.10 रु0 जो उनके पास से बराबद हुआ उसकी कोई उसकी रसीदें नहीं थीं।

श्री मोहन सिंह--

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिकारी संघ ने शासन को इस बात का ज्ञापन दिया है कि वन मंत्री के स्क्रेप स्टील के 3 ट्रक अलीगढ़ से जा रहे थे नाजायज ढंग से जिनको बिक्रीकर अधिकारियों ने पकड़ा। ऐसी हालत में क्या यह जानकारी शासन को है कि नाजायज ढंग से उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया गया और उनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनको बन्द किया गया, यदि हां, तो इस पहलू को ध्यान में रख कर भी इस घटना की कोई जांच कराई जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। न शासन को कोई इस तरह की जानकारी ह। जहां तक जांच का सम्बन्ध है इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा भी कराई जा रही है।

और कमिश्नर मेरठ डिवीजन को भी कहा गया है कि वह इसको देखें। श्रीमन्, जांच हो रही है और जो भी तथ्य होंगे वह सामने आ जायेंगे।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 को वहां के समस्त कान्ड की जांच दे दी है अथवा किसी एक केस की जांच दी ह? मेरा मतलब इस कांड के किसी एक पहलू की ही जांच दी ह?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 को दी गई है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण और भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें एक माननीय मंत्री जी इन्वाल्व हैं और तीन अधिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसलिये इसमें आप 1/2 अतिरिक्त प्रश्न पूछने की आप इजाजत दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना की रिपोर्ट थाने में किस समय हुई और कितने घन्टे बाद वहां पुलिस पहुंची? क्योंकि ये कहते हैं कि एफ0 आई0 आर0 ढाई बजे लिखाई गई जब कि घटना सवेरे ही हो गई थी?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, साढ़े 10 बजे सवेरे जब यह घटना हुई तो डी0 एम0 को यह सूचना मिली कि ट्रक ओनर्स ने दी कि बिक्री कर अधिकारियों का जो मोबाइल स्कैवड है, वह उनसे रिश्वत ले रहा है। जिला अधिकारी ने सी0 ओ0 को टेलीफोन किया कि वह जाकर जांच करें। जब वे वहां गये तो उन्होंने देखा कि वे लोग उनको घेरे हुये हैं। 10-40 बजे वे कोतवाली ले जाये गये। इस तरह से बयान आदि लिखाने म कुछ समय लगा। इस तरह से 2 बजकर कुछ मिनट पर रिपोर्ट लिखायी गई।

श्री मोहन सिंह--

चार घंटे तक उनको फेब्रिकेट किया गया।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अगर किसी अधिकारी के खिलाफ जांच करायी जाय और मुकदमा कायम किया जाय, तो कहा जाता है कि फेब्रिकेट किया गया और अगर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है तो कहा जाता है कि यह सरकार भ्रष्ट है तो कहीं तो मोहन सिंह जी हमें संरक्षण देंगे।

श्री हुकम सिंह--

जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 5 हजार रुपये बिक्रीकर अधिकारियों से मिले। क्या यह भी सही है कि जो तीन हजार रुपये आप अन-

अनएकाउन्टड बताते ह वह किसी अधिकारी से न मिल कर एक गाड़ी से बरामद हुये दिखाये गये ? अगर यह सही हैं तो इसकी जिम्मेदारी निश्चित कर अधिकारियों पर किस तरह से लगाई गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह पैसा उन्हीं के पास से बरमद हुआ ।

(व्यवधान)

यहियागंज, लखनऊ मोहल्ला में सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट का निर्माण

*2—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि मोहल्ला अस्तबल यहियागंज, थाना चौक, लखनऊ के अन्तर्गत कारपोरेशन की भूमि पर आम रास्ते में सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट का अवैधानिक रूप से निर्माण करवा दिये जाने के विषय पर जनता द्वारा 20-5-80 से 6-7-80 तक नगर महापालिका, लखनऊ को शिकायत मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसके सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार उस अवैधानिक कार्य को तुरन्त तोड़वाने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

अवैध निर्मित सोकपिट को हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(स्वायत्त शासन मंत्री के पुकारे जाने तथा उनके सदन में उपस्थित न रहने पर)

श्री मोहन सिंह—

मंत्री जी सदन से गायब हैं ।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न को शुरू से टालने की कोशिश की जा रही है । उस दिन पीठासीन अधिकारी ने इसे अल्पसूचित प्रश्न के रूप में रखने के लिए निर्दिष्ट किया था । मैं जानना चाहता हूं कि इस सोकपिट के बनाने के सम्बन्ध में यह अवैध निर्माण हुआ है यह जानकारी शासन को कब हुई ? दूसरे इस अनधिकृत निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में शासन कब तक कार्यवाही पूरी कर लेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, सुनिश्चित तारीखें दी हुई हैं और प्रश्न में ही दी हुई है और अवैधानिकता के आदेश शासन द्वारा दिए गये हैं। मन्त्री जी, कृपया तथ्यों को न छुपायें।

श्री अम्मार रिजवी—

जो प्रश्न हैं उसके अन्दर तारीखें तो अवश्य हैं लेकिन जहां तक अवैध कब्जों को हटाने का सम्बन्ध है सरकार शीघ्र इस कार्यवाही को पूरी करेगी?

श्री मोहम सिंह—

मान्यवर, इस अवैधानिकता की जानकारी शासन को किन तारीखों में मिली वह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह भी देखिये कि वह बिला फाइल के उत्तर दे रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 20-5-80 से 6-7-80 तक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उनको जरूरी मानते हुए कार्यवाही की जा रही है और जल्दी हटा दिया जायेगा। जैसा मोहन सिंह जी को चिंता है, उसे दूर कर दिया जायेगा। उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

[9 वें सोमवार के लिए स्थगित]

हरदोई जिले में पंचायत सेवकों का प्रत्यावर्तन एवं स्थानान्तरण

2—श्री नरेश चन्द्र—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई व अगस्त, 1980 में हरदोई जनपद में प्रशिक्षित ग्राम सेवकों की नियुक्ति के फलस्वरूप कितने कार्यरत पंचायत सेवक प्रत्यावर्तित किए गए और इस प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप कितने कनिष्ठ पंचायत सेवक पद पृथक हो गए तथा सरकार ने उन पंचायत सेवकों की रोजी-रोटी बचाने के लिए कोई कार्यवाही के निर्देश अभी तक जारी किए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद हरदोई में प्रशिक्षित ग्राम सेवकों की नियुक्ति के फलस्वरूप ग्राम सेवक पद पर कार्यरत 35 पंचायत सेवकों को प्रत्यावर्तित किया गया। परिणाम स्वरूप कनिष्ठतम 20 पंचायत सेवक पद पृथक हो सकते थे किन्तु उन्हें उनके प्रार्थनापत्रों के आधार पर अन्य जनपदों में जहां पंचायत सेवक के पद रिक्त थे, स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मिर्जापुर जिले के ग्राम कोलना में स्टाक मैन, सेन्टर के पुर्ननिर्माण की मांग

3—श्री राम चरण—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कोलना तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में स्टाक मैन सेन्टर के पुनर्निर्माण हेतु कोई आवेदन प्रश्नकर्त्ता ने मंत्री जी को जुलाई, 1980 में दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। उप निदेशक, पशुपालन विभाग, वाराणसी से पुनर्निर्माण कार्य के आगणन मांगे गये हैं।

बाराबंकी जिले के कृषि फार्मों के गेहूं का विक्रय

4—श्री राम सागर तथा श्रीमती पार्वती देवी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 79–80 में जनपद बाराबंकी के सभी कृषि फार्मों से एकत्रित गेहूं को विक्रय करने हेतु कोई टेन्डर मांगा गया था ? यदि हां, तो क्या गेहूं उसी दाम पर बेचा गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बाराबंकी जनपद में वर्ष 1979–80 में प्रक्षेत्र उत्पादित करनाल वन्ट ग्रसित गेहूं 1000 कुंतल, भीगा हुआ गेहूं 60 कुंतल तथा सफाई के बाद छनन गेहूं 166 कुंतल के विक्रय हेतु टेन्डर मांगे गये थे। करनाल वन्ट ग्रसित गेहूं का अधिकतम टेंडर दर 128.50 रु0 प्रति कुंतल आया और इसी पर विक्रय किया गया। भीगे हुए गेहूं और छनन गेहूं के अधिकतम टेन्डर दर क्रमशः 115 रु0 प्रति कुंतल तथा 75.25 रु0 प्रति कुंतल आये थे जिसे उचित नहीं समझा गया। अतः टेन्डरदाताओं से बात करके (खुली बात–चीत) भीगे हुए गेहूं को 118.50 रु0 प्रति कुंतल तथा छनन गेहूं को 87.50 रु0 प्रति कुंतल की दर से विक्रय किया गया जो राजकीय हित में था।

5—श्री बदन सिंह—

[7वें शुकवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

6—श्री जगदीश सिंह—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

भूमि संरक्षण विभाग, पिपरी, जिला मिर्जापुर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का निलम्बन

7—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग की पिपरी इकाई, जिला मिर्जापुर के सभी कर्मचारियों की वर्ष 1976–77 में निलम्बित कर दिया गया है और आज तक चार्जशीट भी नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों? इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही ह ?

श्री बलराम सिंह यादव—

भूमि संरक्षण इकाई, पिपरी में वर्ष 73–74 में कराये गये भूमि संरक्षण कार्यों के विशेष सत्यापन के फलस्वरूप 1,95,989.96 रु0 के फर्जी अथवा अधिक भुगतान के मामले से सम्बन्धित 31 अधिकारी/कर्मचारी वर्ष 77–78 में निलम्बित किये गये थे।

इस मामले की जांच विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) द्वारा की जा रही है। अभी तक न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु विवेचना पूर्ण होते ही अग्रिम कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

चमोली जिले में भरारीसण, विदेशी पशु प्रजनन परियोजना

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पशुधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में भरारीसण विदेशी पशु प्रजनन परियोजना पर 31-8-80 तक कितना कार्य हो चुका है कब तक यह योजना पूर्ण हो जायगी ? कितने विदेशी पशु और किस नस्ल के उक्त तिथि तक यहां पहुंच गये हैं और यदि नहीं पहुंचे हैं तो देरी के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दिनांक 31-8-80 तक किये गये विभिन्न प्रकार के कार्यों की स्थिति निम्नवत हैं :--

1--12 आवासीय भवन एवं 5 अनावासीय भवन निर्मित हो गये हैं ।

2--प्रक्षेत्र पर जल-व्यवस्था का कार्य जल निगम द्वारा पूर्ण किया जा रहा है ।

3--चारा खेतों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण बिभाग द्वारा किया जा रहा है ।

4--बाहरी विद्युत लाइन का निर्माण अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, चमोली द्वारा प्रारम्भ हो गया है ।

वर्ष 1980-81 के अन्त तक योजना पूर्ण होने की आशा है ।

अभी तक वहां पशु नहीं पहुंचे हैं । पशुओं का आयात इण्डियन डेरी कारपोरेशन, बड़ौदा के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है ।

9--श्री चन्दन सिंह--

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

पंचायत उद्योग, चिनहट, लखनऊ के पंचायत निरीक्षक द्वारा गबन

10--श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

क्या पंचायत राज मन्त्री को जानकारी है कि पंचायत उद्योग चिनहट, लखनऊ के वर्तमान पंचायत निरीक्षक ने इसी वर्ष सीमेन्ट क्रय करने के नाम पर बैंक से पैसा निकाल कर गबन किया है तथा उद्योग के नाम पर प्राप्त सीमेन्ट को ब्लैक में बेच दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

11--श्री प्रियदर्शी जेतली,

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल,

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा,

श्री शेर बहादुर सिंह,

श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती,

श्री रूप राम,

श्री निर्भय नारायण सिंह तथा

श्री राम कुमार भार्गव--

[9वें सोमवार के लिये स्थगित]

12-14--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

15-16--श्री लालसा--

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

17--श्री राधेश्याम पटेल--

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

18--श्री राधेश्याम पटेल--

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुजफ्फर नगर के मण्डी स्थल का निर्माण

19--श्री मेंहदी असगर--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में मण्डी समिति के भवन बने हुए एक साल से अधिक हो चुका है किन्तु अभी तक कोई दुकान उसमें नहीं खोली गयी ? यदि हां, तो क्यों ? दुकानें कब तक खोली जायेंगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

आदर्श नवीन मंडी स्थल मुजफ्फरनगर के भवनों का मुख्य निर्माण कार्य हो चुका है परन्तु मन्डी स्थल में वाह्य विद्युतीकरण का कार्य पूरा न होने के कारण व्यापार स्थानान्तरित नहीं हो सका है ।

वाह्य विद्युतीकरण कार्य पूरा कराने की कार्यवाही की जा रही है । यह कार्य पूरा होने के पश्चात् व्यापार स्थानान्तरण की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

20--श्री जटा शंकर सिंह तथा

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[9वें सोमवार के लिये स्थगित]

लखनऊ, प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

21--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि श्री जगपाल सिंह, दुग्धशाला विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा स्थानीय लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के कितने कर्मचारियों का मई, 80 से अब तक स्थानान्तरण किया गया ? क्या यह भी सही है कुछ कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किए गये ? यदि हां, तो

क्यों ? अन्य शेष कर्मचारियों के आदेश निरस्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मई, 1980 से सितम्बर, 1980 तक की अवधि में स्थानीय लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के 6 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया जिसमें से एक कर्मचारी का स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आधार पर निरस्त किया गया तथा दूसरे के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया । शेष चार कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जनहित में निरस्त नहीं किये गये ।

22—श्री शिव प्रताप सिंह--

[9वें बुद्धवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय, लखनऊ द्वारा पर्वतीय विकास पर व्यय की गई धनराशि

23--श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि गत वर्ष उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय को कितनी धनराशि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए दी गई ? उस धन में से कितना धन पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, लखनऊ का वेतन एवं भत्ता पर्वतीय विकास योजना से निकाला जाता है ? यदि हां, तो निदेशक को पर्वतीय क्षेत्र में न रह कर लखनऊ में रहने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

गत वर्ष कुल 129.72 लाख रु0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष में 132.74 लाख रु0 व्यय किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चौपटिया उद्यान, अल्मोड़ा का उत्पादन

24—श्री सीताराम निषाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चौपटिया गार्डन, रानीखेत, अल्मोड़ा में चालू वर्ष में सेब की कितनी फसल पैदा हुई और गत तीन वर्षों में कितनी पैदावार हुई ? सम्पूर्ण सेब की उपज का वितरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजकीय उद्यान, चौपटिया में चालू वर्ष तथा गत 3 वर्षों के सेब उत्पादन के आंकड़े निम्नांकित रहे—

वर्ष	सेब की मात्रा का (कि0 ग्रा0 में) उपज
1977–78	51,738
1978–79	207,692
1979–80	38,000
1980–81	25,177
कुल उपज ..	322,607

25—27—श्री ऊदल—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

शाहजहांपुर जिले के बांसमण्डी निवासी श्री राम स्वरूप के धन की वापसी

28—श्री बलवीर सिंह—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र दिनांक 11–11–76 द्वारा श्री राम स्वरूप पुत्र श्री चन्दन लाल, निवासी 427, बांसमंडी, बरेली को यह सूचित किया था कि उनके जमा किये गये धन को वापसी करने हेतु पत्र व्यवहार चल रहा है ? यदि हां, तो उसका अन्तिम निर्णय अब तक हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। श्री राम स्वरूप पुत्र श्री चन्दन लाल निवासी 427, बांसमण्डी, बरेली को जिला कृषि अधिकारी, बरेली के कार्यालय के पत्रांक 7, 773–75/लेखा–गबन, दिनांक 11–11–76 के द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा जमा किये गय धन की वापसी करने के विषय में उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार चल रहा है। वापसी के बारे में अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि सम्बन्धित सहायक कृषि निरीक्षक श्री सुखवीर सिंह की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो गयी और भंडार की तिजोरी में पैसे उपलब्ध न होने के कारण सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अतः जमा धनों की वापसी के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया जा सका।

उरई, कृषि रक्षा विभाग द्वारा हरिजनों को दिया गया अनुदान

29—श्री राम लाल—

क्या कृषि मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 मार्च, 1980 को जिलाधिकारी, उरई को एक प्रार्थना–पत्र देकर कृषि रक्षा विभाग द्वारा हरिजनों

और अ.एजेंत वाले किसानों को दिये जाने वाले अनुदान में घपला किए जाने और किसानों से औषधियों का अधिक मूल्य लिये जाने एवं रसीद न दिये जाने की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर दब और किसके द्वारा जांच की गयी और क्या शिकायतकर्ता को आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया गया और जांच परिणाम क्या निकला ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

मामले की जांच कृषि रक्षा अधिकारी जलौन द्वारा कर ली गई । शिकायतकर्ता को आरोप सिद्ध करने का अवसर दिया गया परन्तु उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया । जांच 28 सितम्बर, 1980 को पूर्ण हुई । जांच में आरोप निराधार पाये गये ।

चूंकि शिकायतकर्ता उक्त जांच से सन्तुष्ट न थे अतः जिलाधिकारी द्वारा जिला विकास अधिकारी को जांच हेतु निर्देशित किया गया है ।

गोरखपुर के रुस्तमपुर-कजाकपुर मार्ग का निर्माण

30--श्रीमती गौरी देवी --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुस्तमपुर-कजाकपुर, जिला गोरखपुर सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करने तथा इसे डगोपर तक बढ़ा कर जनता को सुविधा प्रदान करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण सम्प्रति यह कार्य कराना सम्भव नहीं है ।

फैजाबाद जिले के तमसा नदी पर गौरा गयासपुर घाट के पुल निर्माण की मांग

31-- ी सीताराम निषाद--

क्या पंचायत राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में तमसा नदी पर गौरा गयासपुर घाट उसरू गांव के पास पुल निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व विधायक, श्री अंगने लाल का कृषि कर्मचारियों के सम्बन्ध में पत्र

32--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि भूतपूर्व विधायक, हरदोई (श्री अंगने लाल) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1977 जो तत्कालीन मुख्य सचिव (श्री कृपा

न रयन श्रीव स्तव) को प्रेषित होकर गृह मन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को पृष्ठांकित था, जिसमें 11 अधीनस्थ कृषि कर्मच रियों को लेन-देन के अ धार पर उत्पीड़न, प्रत ड़न, भ्रष्ट च र एवं व्य पह अनियमितत ओं से सम्बन्धित म मले में क र्मिक विभाग, मन्त्री मंडल सचिव लय, न र्थ ब्ल क, नई दिल्ली के उप सचिव (श्री रमेश चन्द जोशी) का पत्र दिनांक 10 जून, 1977 श सन को प्राप्त हुअ है ? यदि हां, तो वह पत्र एवं कृत कार्यवाही को सरक र सदन के पटल पर रखने की कृप करेंगे ?

श्री बलर म सिंह य दव--

संदर्भित पत्र दिनांक 10 जून, 1977 शासन को प्राप्त नहीं हुअ है।

चूंकि प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अत: उसे सदन के पटल पर रखने एवं उस पर कृत र्यव ही की सूचना दिये जाने क प्रश्न नहीं उठत ।

र नी डीह-मिर्जापुर म र्ग का निर्माण

33--श्रीमती गौरी देवी--

क्य सरक र कृपय बतयेंगे कि स वंजनिक निर्माण विभाग द्वार र नी-डीह-मिर्जापुर म र्ग क निर्माण प्रारम्भ हो गय है ? यदि हां, तो उस पर मिट्टी व खड़ञ्जे क कार्य कब त पूरा हो ज यग ?

श्री अम्म र रिजवी--

जी नहीं ।

र नीडीह-मिज पुर म र्ग पर विक स खंड खोर ब र के म ध्यम से श्रम के बदले खाद्यान्न योजन के अन्तर्गत मिट्टी का कुछ कार्य कराय गय है । मार्ग पर खड़ंजा लगव ने के सम्बन्ध में अभी कुछ कहन सम्भव नहीं है ।

34--श्री मन्जूर अहमद--

[30 सितम्बर, 1980 को अत रांकित प्रश्न संख्य 93 द्वार उत्तरित]

कृषि उत्प दन मण्ड स द ब द, जिला मथुर द्वार श्री अजब सिंह को दिय गय कथित चेक

35--श्री बदन सिंह--

क्य कृषि मन्त्री को जानक री है कि कृषि उत्प दन मंड समिति स दाब द, जिल मथुर ने श्री अजब सिंह, नि सो बंजौली, जिल मथुर से गेहूं खरीद कर चेक नं 161839, दिनांक 28 मई, 1979 क ट था । यदि हां, तो उस चेक क भुगत न मथुर, जिला सहक री बैंक लि0, मथुर ने किय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलर म सिंह य दव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास निगमों की विकास कार्य योजनायें एवं पूंजी

36—श्री ऊदल—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने मण्डलीय विकास निगम (कमिश्नर) राज्य सरकार ने बनाए हैं ? और इनके कार्यों का विवरण एवं पूंजी के विवरण देने की कृपा करेगी ? निगम बनने के बाद से विकास कार्यों से सम्बन्धित योजनायें बनायी गई, उनको पूरा किया ? जो पूंजी उन्हें कर्ज के रूप में सरकार द्वारा दी गयी थी उसे उन्होंने वापस भी किया ?

श्री अम्मार रिजवी—

राज्य सरकार ने मैदानी क्षेत्र के प्रत्येक मंडल में एक-एक मंडलीय विकास निगम बनाया है जिनके कार्यों का विवरण, पूंजी का विवरण तथा विकास कार्य से सम्बन्धित योजनाओं का विवरण संलग्न है ।

निगमों द्वारा मुख्यतः कृषि सेवा, कृषि उद्योग, लघु तथा कुटीर उद्योग, अल्प सिंचाई, ऊसर सुधार, आदि से सम्बन्धित परियोजनायें एवं अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के विकास कार्यक्रम जिनसे सम्बन्धित क्षेत्र की आर्थिक प्रगति एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हो, संचालित किये जा रहे हैं ।

मंडलीय विकास निगमों को राज्य सरकार द्वारा दी गयी धनराशि अंश पूंजी के रूप में दी जाती है न कि कर्ज के रूप में । अतः इसे वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में भी दो मंडलीय विकास निगम (कुमायूं एवं गढ़वाल) स्थापित किये हैं। जिनका कार्यक्षेत्र पर्वतीय जनपद है और यह पर्वतीय विकास विभाग के नियन्त्रण में है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1119 पर ।)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री रियासत हुसेन—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, आप इसी प्रश्न के संबंध में देख लें ..

[समय 11.20 पूर्वाह्न]

श्री अध्यक्ष—

आप सभी माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया था मैं निश्चित रूप से यह शासन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह उचित नहीं है कि जो प्रश्न यहां रहे उसका मन्त्री उपस्थित न रहे और उसके लिए कोई तैयार न रहे । भविष्य में ऐसा न हो मैं चाहता हूं कि शासन इस पर ध्यान दें ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया है 301 लेने से पहले इसे ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

पहले नियम 301 लेंगे उसके बाद आपका औचित्य का प्रश्न लेंगे ।

नियम 301 में कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 6 स्वीकृत हुई ।

श्री हुकम सिंह---

(श्री सोमांश प्रकाश का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर) मान्यवर, मेरी और उनकी एक ही सी सूचना है इसलिए मैं पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

नहीं, वह तो श्री सोमांश प्रकाश की है ।

थानाध्यक्ष बनकटा (देवरिया) द्वारा ग्राम प्रधान जिला सीवान, बिहार निवासी श्री सामरथ चौधरी की गोली मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नंद किशोर सिंह---

महोदय, जिला देवरिया, थाना बनकटा के अन्तर्गत प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री के गेट से सामरथ चौधरी, ग्राम प्रधान, जिला सीवान को दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 के शाम 5 बजे थानाध्यक्ष बनकटा ने पकड़ा । उसके पास 50 हजार का बैंक ड्राफ्ट, 10 हजार नकद व एक बुलेट मोटर साइकिल थी जिसे थानाध्यक्ष ने अपने कब्जे में कर लिया और उसे कार में बैठाकर थाना बनकटा ले आये । जिसका पीछा गामा चौधरी तथा अन्य लोगों ने किया । परन्तु बनकटा पुलिस ने उन लोगों को मार कर भगा दिया । रात में करीब साढ़े ग्यारह बजे नोनाड़ पान्डेय के बगीचे में ले जाकर एक पेड़ में बांध कर उसको गोली से उड़ा दिया गया । जिससे पेड़ की छाल भी उड़ गयी है । उसका 50 हजार का बैंक ड्राफ्ट, 10 हजार नकद व बुलेट मोटर साइकिल थानाध्यक्ष बनकटा ने हड़प लिया है । सामरथ चौधरी को प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री से बनकटा थाना एवं नोनाड़ पान्डेय तक ले जाते समय हजारों लोगों ने देखा । इस घटना से पूरे इलाके में भय एवं आतंक का वातावरण उपस्थित हो गया है । यह बताना उचित होगा कि सामरथ चौधरी का घर बिहार प्रान्त में है । बिहार के थाना भैखा क्षेत्र में सामरथ चौधरी के रिश्तेदार बैजनाथ यादव को कुछ लोगों ने गोली से उड़ा दिया था । जिन लोगों ने गोली से उड़ाया था उनसे तथा सामरथ चौधरी के बीच गहरा मतभेद चल रहा था । थानाध्यक्ष बनकटा श्री अखण्ड प्रताप सिंह का घर बलिया जिला में है और इनकी रिश्तेदारी सामरथ चौधरी के दुश्मनों से है । थानाध्यक्ष बनकटा ने अपने रिश्तेदारों का कंटक साफ करने के लिए उनके दुश्मन सामरथ चौधरी को गोली से उड़ा दिया । जिससे वहां भयंकर संघर्ष की सम्भावना बढ़ गयी है ।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि उक्त घटना की न्यायिक जांच कराकर न्याय दिलाने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर विभाग के सेव निवृत्त अधिकरियों की बिक्रीकर ट्रिब्युनल में नियुक्ति पर अपत्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचन

श्री मोहन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बिक्री कर विभागने अभी अक्तूबर महीने के पहले सप्ताह से बिक्री कर ट्रिब्युनल स्थापित कर दिय है इस ट्रिब्युनल में बिक्री कर विभाग के उन्हीं अधिकारियों को नियुक्त किय जा रह है जिन्हें नियमानुसार अभी तक रिटायर हो जान चहिये था। इस ट्रिब्युनल में रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष कर दी गयी है। परिणामतः श्री सुरेशचन्द्र खन्ना जिन्हें 30 अप्रैल, 1980 को ही रिटायर हो जान था उन्हें पहले तो 6 महीने का सेवा में विस्तार दिय गय और अब उन्हें दो वर्ष के लिए ट्रिब्युनल में नियुक्त कर दिय गया है। इसी तरह उप बिक्रीकर अयुक्त श्री एम0 एन0 राय को जिन्हें 30 सितम्बर, 1980 को रिटायर होन था पहले तो उन्हें दो महीने की सेवा में विस्तार दिया गय और अब ट्रिब्युनल में स्थान दे दिय गया है। इस तरह रिटायर होने वाले अधिकरियों को शसन की ओर से नियम विरुद्ध सेवा में विस्तर दिया जा रह है और बिक्री कर मुकदमों के निस्तरण में एक नया व्यवधान शासन की ओर से उपस्थित किया गया है। इस ट्रिब्युनल की नियुक्ति से प्रदेश के ईमानदार व्यपारियों में क्षोभ व असंतोष व्याप्त ह। उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स अधिवक्ता संघ ने इसके विरुद्ध एक ज्ञापन भी शसन को 30 जून, 1980 और 30 सितम्बर, 1980 को दिय है। इस सूचना के माध्यम से हम शसन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस ट्रिब्युनल को खत्म करने की मांग करते हैं।

श्री हुकम सिंह--

मुझे श्री सोमांश प्रकाश वाली सूचना को पढ़ने की इजाजत दे दें। उनका और हमारा एक ही विषय है, हमने भी इसकी सूचना दी थी। मुजफ्फरनगर में ओले तूफान से बड़ी भारी क्षति हुई है ...

श्री अध्यक्ष--

ऐसे नहीं आप बैठें।

मंत्रि मन्डल में सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री भीखालाल--

श्रीमन्, मैंने औचित्य के प्रश्न की एक सूचना नियम 300 के अन्तर्गत दी है, जिसका विषय यह है कि हमारा जो मौजूदा मंत्रि परिषद है, उसमें सामूहिकता क अभाव हो गय है और संविधान के अनुच्छेद 164(2) की भावना का इसमें पूर्ण अभाव हो गया है। उसका प्रदर्शन आज ही यहां आपको देखने को मिला है। एक मंत्री जिनका प्रश्न था, यहां उपस्थित नहीं थे। मंत्रिमन्डल का कोई मन्त्री उसके लिए तैयार नहीं था और आपको अपनी ओर से कहना पड़ा कि ऐसे अवसरों पर मंत्री को उपस्थित रहन चाहिये और वह नहीं हैं तो दूसरे उस का जवाब दिया करें।

आज यहां जनता में भी चर्चा का विषय हो गया है, मुख्य मन्त्री जी दिल्ली दौड़कर गये थे और प्रधान मन्त्री जी से कह कि हमारे मंत्रिपरिषद् में समूहिकता नहीं है, कुछ मन्त्री हमसे असहयोग कर रहे हैं और अपना समानान्तर प्रशासन चला रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कुछ मंत्रियों को हटाने की इजाजत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मांगा और साथ ही उन्होंने यह भी पुनः एक बार फिर धमकी दी कि यदि यह नहीं होता है तो हमारा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जाय । तो आज प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जनमानस समझने लगा है कि हमारे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और यदि है तो कोई प्रभावशाली सरकार नहीं है । मुख्य मंत्री जी ने भी भिन्न-भिन्न मंत्रियों को पत्र लिखे हैं, जो उन्होंने ऐसे कर्तव्य किये हैं, जिनमें सामूहिकता का अभाव है, उसका उसमें उन्होंने हवाला देकर उन्हें आगाह किया है ।

तो मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में जो समस्यायें खड़ी हैं, अतिवृष्टि की, महंगाई की, बाढ़ की, शांति व्यवस्था की जो स्थिति हो गयी है उसको सुलझाने में सरकार की मशीनरी फेल हो गयी है, हर जगह नौकरशाही कर रही है ।

आज हमारी सरकार संविधान के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो रही है । आज शासन की ओर से यह कहा जायेगा कि मुख्य मंत्री ने इसका खंडन कर दिया और आपस में कोई गुटबाजी नहीं है, सामूहिकता में सब का विश्वास है और सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कार्य कर रहा है । इससे पहले भी मुख्य मन्त्री ने बयान दिया है कि हमारे मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है । अखबारों में बार-बार इस प्रकार के बयान निकलना इस बात का प्रमाण है कि एक दूसरे मंत्री अलग-अलग प्रशासन चला रहे हैं और इसका सबूत आज प्रश्नोत्तर काल में इसी सदन में हुआ है । इसलिए मैं आपसे इस औचित्य के प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

*पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय भीखालाल जी को सुनकर मुझे एक शेर याद आयी कि "दिल को बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है" । इनको बराबर यह फिक्र लगी रहती है और कहते रहते हैं कि यहां के मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का सहयोग नहीं, सामंजस्य नहीं, कोई कोआर्डिनेशन नहीं है और अखबारों में शायद बातों को लेकर यहां पर चर्चा उठायी जाती है । मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि किसी प्रकार का आपस में क्लेश या टकराव नहीं है और न नेतृत्व वाले मामले में हमारे मंत्रिमंडल में या सरकार में कोई मतभेद नहीं है । केवल विरोध पक्ष में भेदभाव और टकराव है । मैंने उस दिन भी कहा था कि विपक्ष के दल आपस में लड़ने के कारण एक जगह नहीं हो रहे हैं । पहले नेता विरोधी दल को 500 रुपया मिलता था वह भी मोहन सिंह जी ने कटवा दिया । वे यह नहीं देख सकते थे कि 500 रुपया नेता विरोधी दल को मिले । तो इस प्रकार का टकराव आपस में इतना बढ़ चुका है और उसको इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहते हैं । मंत्रिमंडल में आपस में किसी प्रकार का टकराव नहीं है और हमारा पूरा विश्वास हमारे मुख्य मन्त्री में है । तो इस प्रकार की शरारत की खबरें हैं, उनकी सत्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा भी औचित्य का एक प्रश्न है, उस पर मैं बाद में आऊंगा । इस समय जो माननीय भीखालाल जी ने प्रश्न उठाया है उसी पर बल देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी हमारे संविधान की जो धारायें हैं, उनको उलटने की कोशिश कर रहे हैं । उनका कहना है कि सभी मंत्रियों का मुख्य मंत्री पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह---]

पूरा विश्वास है जब कि मुख्य मंत्री का सभी मंत्रियों में विश्वास होना चाहिए, यह नहीं है ।

मान्यवर, आप स्वयं देखें पिछले 3 महीनों से अभी तक भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है । हर बार समाचार निकलता है कि सत्र समाप्त होते ही हो जायेगा । मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री ने इस समाचार का प्रतिवाद कर दिया कि अभी मंत्रिमंडल को नहीं बढ़ाया जायेगा । इनका आपस में इतना मतभेद है कि मुख्य मंत्री के जो प्रतिद्वन्दी मंत्री हैं उनके विभाग के सचिवों का अकारण ही स्थानान्तरण किया जा रहा है । स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य सचिव का, उनकी इच्छा के प्रतिकूल, स्थानान्तरण किया गया । यही नहीं जिन मंत्रियों को ऊपर के निर्देश पर मंत्रिमंडल में रखा गया है, उनके विरुद्ध किले बन्दी करके राज्य सरकार द्वारा अफसरों के स्तर पर की जा रही है । तो मान्यवर, यह मंत्रिमंडल सामूहिक जिम्मेदारी के निर्वहन करने में अक्षम है और इस सदन के अन्दर जवाबदेही जिस मंत्रिपरिषद् की है, उसमें भी अजएकता नहीं है । इस समय हमारी सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है । इसलिए मैं माननीय भीखालाल जी के औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, माननीय रिजवी साहब ने गालिब का जो शेर पढ़ा उसकी आखिरी लाइनें तो सुनायीं, पर उसके पहले उन्होंने क्या कहा वह नहीं सुनाया, वह मैं सुना रहा हूं "हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन" उसके बाद है यह कि "दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है" । असल में अन्दरूनी मामलात क्या हैं उससे हमें कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यह सदन पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है और इस समय सदन बैठा हुआ है, सेशन चल रहा है, तो इस समय अगर मंत्रि परिषद् में आपस में कोई गड़बड़ घोटाला है तो उसके बारे में कोई बात सदन में नहीं बतते, प्रेस में वक्तव्य देते हैं जब कि यह मंत्रि परिषद् इस सदन के प्रति जिम्मेदार है । मंत्रि परिषद् का किसमें विश्वास है, किसका नहीं है, यह अन्दरूनी मामला है, लेकिन अखबारों में जो खबर छपती है, दो दिन पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी दिल्ली भी गये थे, कुछ लोग यह समझते थे कि एक्सटेन्शन होने वाला है इसलिये परमर्श करने दिल्ली गये हैं, कुछ लोग समझते थे कि कुछ काटे जायेंगे, कुछ बढ़ाये जायेंगे यह सारी खबरें छपी अखबार में, फ्रन्ट पेज पर यह खबर छपी कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य मंत्री में कोई विरोधाभास नहीं है, यह जो कुछ भी बात है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सदन में कोई बयान देना चाहिये था । माननीय भीखालाल जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी को बयान देना चाहिये ।

*श्री काशी नाथ मिश्र---

यह जो चर्चा इस समय यहां उठायी गयी है यह उस समय उठायी जा सकती थी जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित होते, मैंने पायनियर और स्वतंत्र भारत प्रेस के खिलाफ एक विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस भी आपको दिया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय जो प्रश्न चल रहा है, उस पर आपको अगर कुछ कहना है तो कहें ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मैं उसी पर आ रहा हूं । जो बात माननीय मोहन सिंह जी तथा माननीय रियासत हुसैन ने उठायी है वह उसके दूसरे पक्ष को उजागर करता है । विरोध पक्ष कुछ अखबार वालों से सांठ-गांठ करके शासन और सदन को अपमानित करने के लिये और उसके छवि जन साधारण में धूमिल करने के लिये इस तरह की निराधार बातें करता है और अखबार वाले छाप रहे हैं । इसीलिये मैंने पायनियर और स्वतन्त्र भारत समाचार पत्रों के प्रकाशक एवं सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग के सवाल की सूचना आपको दी है । ऐसी बबुनियाद खबर छपी है और इसके बारे में अमृत पत्रिका पेपर में आज यह भी खबर छपी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह सफेद झूठ है-दैट इस एब्सलेटेंट लाइ" ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की समाचार पत्रों की आजादी में कोई आस्था नहीं है, इसीलिये वे अनावश्यक रूप से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाये हैं । उनकी बात का तो उत्तर मुझे देना नहीं है, लेकिन माननीय भीखा लाल जी की बात के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहूंगा । मान्यवर, किसी दल में क्या हो रहा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है । वह श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी किसी को निकाल दें, मान्यवर, हमसे उससे मतलब नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

आप से खूब मतलब है । हम अच्छी तरह जानते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्रि परिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व के हनन से अगर हमारे प्रदेश का प्रशासन प्रभावित होता है, तो यह जरूर चिन्ता का विषय है । इस मंत्रि मंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है । अभी कुछ दिन पहले मंत्रि परिषद् के एक सदस्य ने कहा कि प्रदेश का विभाजन होने जा रहा है । कहीं कुछ कहीं कुछ आपको पार्टी की तरफ से कहा गया । इन सब बातों से प्रदेश के प्रशासन पर खराब असर पड़ रहा है एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो रहा है । अभी हमने नया-नया बजट पास किया है । अगर इस मंत्रि मंडल में, मंत्रि मंडल के द्वारा, जो इनका सामूहिक उत्तरदायित्व है, इनका सामूहिक उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है । इससे प्रशासन प्रभावित हो रहा है । जो माननीय भीखा लाल जी ने प्रश्न उठाया है, मान्यवर, इस स्थिति को साफ करने की कृपा करें । जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं, साफ-साफ बात बतायें कि वास्तव में माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं । इन शब्दों के साथ मान्यवर, माननीय भीखा लाल जी ने जो विषय उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राजेन्द्र सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भीखालाल जी ने एक औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है । इस पर काफी कहा जा चुका है, लेकिन मैं तो थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं । यह बात कि दल में अन्दरूनी क्या चीज है, इससे हमसे कोई ताल्लुक नहीं है । लेजिस्लेचर की हिस्ट्री में मान्यवर, यह चीज नहीं है कि इस प्रदेश के वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने बजट चलते हुए कितने घन्टे इस ह उस को अटेन्ड किया है । यह बहुत बड़ी चीज है । यह है इनका उत्तरदायित्व इस सदन के प्रति ।

दूसरी चीज श्रीमन्, आप देखेंगे ऐसे कई मसले आये, जब कि एक ही मंत्री जी ने तमाम प्रश्नों के उत्तर दिये । अभी भी प्रश्न का उत्तर किसी और मंत्री को देना था, लेकिन रिजवी साहब ने उत्तर दिया । ऐसे भी मसले आये श्रीमन्, कि मंत्री जी बैठे हुए हैं और एक अमुक मंत्री उत्तर दे रहे हैं । तो श्रीमन्, आपने कहा कि हमारे अन्दर सामंजस्य है । हममें, सबमें, एक दूसरे में विश्वास है । अभी-अभी 6-7 तारीख में एक माननीय सदस्य बाजपेयी जी ने एक बात कही कि माननीय मुख्य मंत्री जी की कुर्सी खींचने के लिये एक मंत्रि मंडल के सदस्य ने कोशिश की, जो मुख्य मंत्री बनना चाहते थे । उनकी कुर्सी खींचना चाहते थे । माननीय मुख्य मंत्री की प्रेजेंस में यह चीज उन्होंने कही कि उनके एक सहयोगी ने मुरादाबाद के बारे में षडयंत्र करा कर वहां पर कण्ड कराया । यह चार्ज माननीय मुख्य मंत्री की प्रेजेंस में माननीय बाजपेयी जी ने लगाया और माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे-बैठे सुनते रहे । उन्होंने इसका प्रतिवाद नहीं किया । इससे निश्चित है कि प्रदेश के अन्दर जो व्यवस्था है वह समाप्त हो चुकी है । यह तो हम भी कहते हैं कि सरकार, आप ऐसी व्यवस्था बनाइये, जिससे प्रशासन चलता रहे । जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वह बड़ा गम्भीर है । इस पर आपकी पीठ से व्यवस्था आनी चाहिये ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, अगले अधिवेशन के लिए इसको रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय बाजपेयी जी, माननीय मंत्री जी खड़े हैं और आप बोल रहे हैं ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)---

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने इस बात को उठाया कि स्वायत्त शासन मंत्री शायद प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहते थे, यह बात नहीं है । आज इत्तिफाक की बात है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 12-20 तक होते थे और आज जल्दी अर्थात् 11-20 पर समाप्त हो गये । मैं यह समझकर कि अभी वक्त है इसलिये काउन्सिल चला गया था, क्योंकि आज मुझे विधेयक वहां पेश करना था । मैं 11-25 पर हाउस में था जब कि 12-00 बजे तक तारांकित प्रश्न चलते है तथा अल्प सूचित तारांकित प्रश्न उसके बाद आते हैं । लेकिन जब मैं यहां आया तो मुझे यह मालूम हुआ, जिसका मुझे खुद, अफसोस है कि ऐसी आशंका उत्पन्न होने का मौका मिला ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, बड़ा गम्भीर विषय है, जो माननीय भीखालाल जी ने औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया ह ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बहुत कम समय लें पहले ही इस पर अधिक समय लिया जा चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह बड़ा अहम मसला है । इस बीच में माननीय मुख्य मंत्री जी के दो बार स्तीफे की धमकी सामने आयी और उनके स्तीफे की धमकी से साफ जाहिर होता है कि मौजूदा मंत्रिमण्डल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना मौजूद नहीं है । मान्यवर, जो प्रदेश की जनता के सामने, अधिकारियों, कर्मचारियों और माननीय विधायकों के सामने एक अविश्वास का वातावरण पैदा हो रहा है । इसलिये मैं इस औचित्य के प्रश्न को उचित समझते हुए उसका समर्थन करना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी ओर से भी कोई निर्देश दिये जायं ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, आप इनसे यह पूंछे कि यह सूचना क्या औचित्य का प्रश्न बन सकती है ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, यह जो औचित्य का प्रश्न हमारे साथी ने उठाया है । समाचार-पत्रों की निराधार खबरों पर क्या औचित्य का प्रश्न बन सकता है । ऐसा करके केवल सदन का बहुमूल्य समय नष्ट किया जा रहा है ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, माननीय भीखा लाल जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया, उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह माननीय सदन जो है, वह उत्तर प्रदेश की आवाम का दर्पण है । जब दर्पण ही गंदा हो जायेगा, तो जो हमारे प्रदेश की प्रतिमा है वह भी जनता में साफ दिखाई दे जायेगी, जिससे यह मंत्रिमण्डल इस सिरे से लेकर उस सिरे तक कमजोर दिखाई देगी । और यही नहीं मान्यवर, अब तो मंत्रिमण्डल एक बीमारियों का झमेला बनकर रह गया है । आये दिन माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के बीच उत्पन्न विरोधाभास की खबरें छपती हैं, जिसका असर स्वाभाविक है प्रदेश की जनता और आफिसरों के बीच... ।

श्री अध्यक्ष--

कई लोग इस बात को कह चुके हैं, संक्षेप में अपनी बात को कहें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

बस मान्यवर, आपसे निवेदन करना था कि इस सिलसिले में आप कोई व्यवस्था सदन में दें तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलवाकर उनसे इस सिलसिले में वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

---

*वाक्य ने भाषण का पुनर्शोधन नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय भीखा लाल, मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, प्रदीप कुमार यादव तथा नेता विरोधी दल ने यह औचित्य का प्रश्न उठाया और समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री, काशी नाथ मिश्र तथा विमल प्रसाद तिवारी जी ने इस औचित्य के प्रश्न के उठाने के विरोध में जो बातें कहीं। इसमें तीन बातें सामने आयीं। एक तो यह कि मैं यह जानना चाहता था कि किस आधार पर यह प्रश्न उठाया गया, इसमें जो दूसरी तरफ से व्यक्त हुआ उससे स्पष्ट है कि समाचार-पत्र में कुछ समाचार छपा था जिसके आधार पर यह प्रश्न आया, उसके अतिरिक्त कुछ उदाहरण स्वरूप कि सहयोग नहीं है मंत्रिमण्डल में, आज की घटना की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया कि एक प्रश्न था जिसका उत्तर दिये जाने के लिए कुछ विलम्ब से दूसरे एक मंत्री ने उत्तर दिया जो कि स्वायत्त शासन मंत्री को देना चाहिये था, जो नहीं थे। एक और घटना को उनके उदाहरण के साथ यह रखने का प्रयास किया गया कि इससे प्रदेश में ऐसी भावना व्याप्त है कि मंत्रिमण्डल में आपस में सहयोग नहीं है और मंत्रिमण्डल सुचारुरूप से कार्य नहीं कर रहा है। श्री रियासत हुसैन ने कहा कि समाचार पत्र में खण्डन देने के बजाय सदन में इस प्रकार का स्पष्टीकरण होना चाहिये।

इन सारी बातों पर विचार करते हुये पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा विमल प्रसाद तिवारी जी का प्रश्न था कि समाचार-पत्र में छपे किसी समाचार पर, ऐसी परम्परा रही है कि कोई औचित्य का प्रश्न उठाने की आज्ञा नहीं दी जाती है, तो यह सारा का सारा समाचार-पत्र में छपे समाचार के आधार पर है। अब इसके अतिरिक्त हमारे सदन में कोई ऐसी घटना हमारे समक्ष या सदन के समक्ष नहीं हुई है। जहां तक आज के प्रश्न का सम्बन्ध है, खन्ना जी की इस बात से मैं और आप भी सहमत होंगे कि साधारणतया 12 बजे तक यहां प्रश्न रोज होते हैं और 12 बजे के बाद अल्प सूचित तारांकित प्रश्न लिए जाते हैं, आज प्रश्नों की कमी के कारण प्रश्न पहले समाप्त हो गये और 12 बजे से पहले अल्प सूचित तारांकित प्रश्न आ गये और माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया, कौन्सिल में भी अपने कार्य के सम्बन्ध में उन्हें जाना था। ऐसी अवस्था में वह समय से नहीं आ सके इस ध्यान से कि वह 12 बजे तक आयेंगा साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने आपके समक्ष खेद भी व्यक्त किया कि वह नहीं आ सके। मंत्रिमण्डल के सुचारु रूप से कार्य करने की जो बात कही गयी, मैं समझता हूं कि मंत्रिमण्डल सुचारुरूप से हमारे सदन का जहां तक सम्बन्ध है अपना कार्य कर रहा है। इसलिए ऐसे प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। इसी के साथ-साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि श्री काशीनाथ मिश्र ने कहा कि समाचार-पत्र पर मानहानि की कार्यवाही क्यों न की जाय। उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है वह सदन से सम्बन्धित नहीं है समाचार-पत्र यदि किसी अन्य बात के बारे में जो सदन से सम्बन्धित नहीं है प्रकाशित कर रहे हैं तो सदन उसको संज्ञान में नहीं लेता।

आगरा मण्डल के आयुक्त, श्री देशराज सिंह के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

[समय 11·55 पूर्वाह्न)

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आपकी अनुपस्थिति में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी (माननीय उपाध्यक्ष) ने 18 तारीख को एक निर्देश सदन की ओर से दिया था कि इस सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करने के लिये आगरा मण्डल के कमिश्नर के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। यह बात सही है कि यह पूरे सदन का निर्देश था। सदन के संज्ञान में बातें आने के दो माध्यम हैं। एक सरकार महत्वपूर्ण घोषणायें सदन में ही करें और जो सदन को निर्देश हों उन पर शासन कार्यवाही करे और सदन को अवगत कराये। यह संसदीय परम्परा में पहले से है कि नीति विषयक मामले सदन के चलते पहले सदन में घोषणा की जाये यह सभी सरकारों पर लागू होती हैं। लेकिन ये सदन के बाहर घोषणायें करते हैं। इसलिए विशेषाधिकार, औचित्य, नियम की अवहेलना के जरिये प्रश्न उठाये जाते हैं। आपकी पीठ से निर्देश मिला कि औचित्य का प्रश्न है लेकिन मर्यादा का नहीं है। इसके बावजूद यह परिपाटी चलाई जा रही है कि सदन में घोषणायें नहीं की जातीं।

मान्यवर, आज का नार्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात में खबर छपी है कि न्याय विभाग ने कोई विरोधी राय दी है। सदन, न्याय पालिका और कार्य पालिका के अधिकार क्षेत्र के बारे में सुप्रीमकोर्ट ने अनेक बार राय दी है। केशव सिंह का मामला भी यहीं आया था, काशीनाथ की बुद्धि प्रखर थी, इन्होंने ही उठाया था, सुप्रीमकोर्ट तक गया था। भारत के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से हमारे अधिकार परिभाषित किए जा चुके हैं। सदन के अन्दर अनुशासन का मामला सदन विनिश्चित करेगा। सदन ने निश्चय किया और आदरणीय पीठ से सरकार को निर्देश किया गया। सरकार केवल आपकी पीठ से दिए गए आदेश के कार्यपालक के रूप में है। इसलिए न्याय विभाग या किसी न्यायालय की राय क्या है, यह विधान मण्डल के अधिकार पर अतिक्रमण करने वाला प्रयास है। इसलिए इसे औचित्य के जरिये से उठाया। शासन स्पष्ट जानकारी दे कि सदन के निर्णय के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की और यदि नहीं की तो यह सदन के अवमान और अपमान का मामला है। इसलिए इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए और सदन का घोर निर्देश उनको दण्डित करने के लिए दिया जाना चाहिए।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जब आप बाहर तशरीफ ले गए थे तो 18 तारीख को निर्देश दिया और उसके वर्ड्स थे, जितना मुझे याद है, देश राज सिंह ने इस सदन की कार्यवाही में बाधा डाली है, इसलिए मैं शासन को निर्देश देता हूं कि देशराज सिंह कमिश्नर, आगरा के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। इस तरह का निर्देश पीठ से हुआ। बीच में भी मैंने उपाध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट किया कि पीठ से चलिंग हो चुकी है, इसके अन्दर सदन का मान आ गया, हम लोगों को बार-बार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

याद दिलाने की जरूरत न पड़े, इस पर उपाध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं खुद इस बात को देख रहा हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है कि जिसकी घोषणा सदन में हो चुकी है, उस पर पूरी तरह से अमल हो जाए। मैं 2 दिन के लिए बाहर चला गया था कि शायद सदन का आखिरी दिन है, अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ तो इसलिए सदन उठने से पहले इसकी घोषणा हो जाना चाहिए तब माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सदन 13 को उठेगा और सदन उठने से पहले इस बात को देख रहे हैं, इस बात का निर्णय अन्तिम रूप से हो जायेगा और सदन में घोषणा हो जायेगी। सारी चीजें अखबारों में छपती रहती हैं। आज जो अखबारों में आया है, वह इस तरीके का रूप आया है कि कोर्ट के अन्दर देशराज सिंह को किस-किस ढग से डिफेंड किया जा सकता है। चूंकि सारी घटना सदन के सामने हुई थी, या तो शासन आज इस बात की घोषणा करे कि उन्होंने निर्देश के अनुसार क्या दंड देशराज सिंह को दिया और अगर शासन इस समय घोषणा नहीं करती, अपन को समझती है कि इस योग्य नहीं रह गई है, किसी ब्यूरोक्रेट अधिकारी के खिलाफ कोई दंड की कार्यवाही कर सके, तो फिर यह प्रापर्टी माननीय सदन की है, माननीय सदन के सामने यह घटना हुई। इस बात की आज्ञा दें कि माननीय सदन कोर्ट के रूप में उस चीज का निर्णय अपने आप करे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले उपवेशन में मैंने यह मामला औचित्य के रूप में उठाया था। पीठासीन उपाध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि आज 13 तारीख को शासन की ओर से यह अवगत कराया जायगा आदरणीय सदन को कि श्री देशराज सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। इसमें कहीं दो रायों का सवाल नहीं है। श्री देशराज सिंह ने इस आदरणीय सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल कर वह व्यवहार किया जिसके लिए माननीय उपाध्यक्ष को दंडित करने का निर्देश देना पड़ा। इसके पहले माननीय काशीनाथ मिश्र ने श्री वरुण के खिलाफ मामला उठाया था जो अधिकारियों की दीर्घा में बैठ कर पर्चे बांट रहे थे। वह मामला विशेषाधिकार समिति में गया था और विशेषाधिकार समिति ने यह संस्तुति दी थी कि उनका अभद्र व्यवहार है और उनको दंडित किया जाना चाहिए लेकिन चूंकि उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली थी इसलिए दूसरा विचार हुआ। श्री देश राज सिंह ने अदरणीय सदन की कार्यवाही में बाधा डाली, यह सम्पूर्ण सदन की राय थी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया था। मुझे निजी सूत्रों से सूचना मिली है कि उनका ट्रांस्फर एक स्थान पर कर दिया गया है। लेकिन वह ट्रांस्फर प्रोन्नति के रूप में हुआ है। वह अपने पद से प्रोन्नत हो गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष ने जो निर्देश दिया था 13 तारीख को, दंड की क्या कार्यवाही की गई इससे सदन को अवगत कराया जायगा।

जहां तक मेरी जानकारी है आज इस सत्र का अन्तिम दिवस है, उसके बाद कब अधिवेशन होगा, यह सरकार तय करेगी आपकी स्वीकृति से। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट निर्देश दें कि सदन के उठने से पहले नहीं, तत्काल क्योंकि इसके पहले निर्देश दिया जा चुका है इस सदन को अवगत कराया जाय कि श्री देशराज सिंह के अभद्र व्यवहार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिससे सदन संतोष व्यक्त कर सके। इस अनुरोध के साथ माननीय मोहन सिंह ने जो प्रश्न उठाया है उसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(संसदीय कार्य मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मैंने लिखकर दिया था कि निर्णय लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

उसके तथ्य सामने आ चुके हैं । कोई विशेष बात कहनी हो तो कहें ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

जो तथ्य आ चुके हैं, उसके अलावा कहना है । जिस समय आप नहीं थ, इसी सदन में एक निर्देश यह भी दिया गया था कि ट्रांसफर इज नो पनिशमेंट। शासन की ओर से इस तरह की बातें कुछ कही जाती रही हैं । दूसरी बात यह भी कही गई थी । माननीय उपाध्यक्ष ने बताया था कि सम्बन्धित मंत्री ने सूचित किया है कि श्री देशराज सिंह के खिलाफ दंडित करने की कार्यवाही प्रगति पर है । जब यह सवाल उठाया गया तो उस समय यह जवाब मिला था ।

मान्यवर, आज के लिये यह भी स्पष्ट निर्देश जैसे थे कि इसी सत्र के समाप्ति के पहले ही शासन, जो निदेश पीठ से हुये हैं, उनका पालन करके सदन को सूचित कर दिया जायेगा । मान्यवर, आज तक कोई सूचना नहीं मिली है बल्कि अखबारों में जो छपा है उससे लगता है कि शासन इस तरह का बहाना ढूंढ रहा है कि कमिश्नर को बचाया जा सके । आज अखबार में छपा है कि शासन उनके खिलाफ कार्यवाही करने में असमंजस में है कि वह न्यायालय में जा सकते हैं, यदि उसको सस्पेंड किया गय । लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है । सदन के समक्ष जो घटना घटी उससे उनको दोषी करार दिया गया और दंडित करने के लिये पीठ से निर्देश दिया गया लेकिन शासन द्वारा उस निदेश का पालन न करना पूरे सदन का अपमान है ।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न आपके और सदन के बीच में है, इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है और केवल निर्णय देना है शासन को । तो वह निर्णय, कंटम्प्ट का, उपाध्यक्ष महोदय ने कर दिया है कि सदन का अपमान हुआ है । लेकिन क्या सजा दी जायेगी यह भी 9 तारीख की प्रोसीडिंग को देख लें वह उसमें है कि सजा की 13 तारीख को घोषणा की जायेगी, यदि नहीं हो पाया तो मैं कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय ने उसका एलान कर दिया है कि सदन का अपमान हुआ है ।

अब सवाल उठता है कि उनको क्या सजा दी जाय । इसमें प्रक्रिया है कि हाउस के विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें । इस बात का निर्णय करने के लिये कि कौन सी सजा देशराज सिंह को दी जाय, तो सदन सजा देने का अधिकारी है और वह निर्णय हो चुका है । इसलिये इसको विशेषाधिकार समिति को यदि सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, सुपुर्द कर दिया जाय कि कौन सा दंड उनको दिया जाय ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, विशेषाधिकार समिति को देने का कोई औचित्य नहीं है ।

*पंचायतीराज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, जो भी आदेश इस पीठ से दिये जाते हैं वह सरकार के लिये शिरोधार्य ह और सरकार किसी भी असमंजस में या किसी ,कश्मकश में नहीं है कि किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय या नही । जब आपकी पीठ से आदेश हो जाता तो वह हमारे लिये अन्तिम आदेश हो जाता है । जहां तक देशराज सिंह के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय का आदेश था कि उचित कार्यवाही की जाय और वह 13 तारीख तक कायवाही पूरी हो जाय और उस दिन इस सदन को सूचित कर दिया जाय । आज 13 तारीख है, जो भी कार्यवाही हुई है, जो की गयी है, उसकी सूचना आज निश्चित रूप से इस सम्मानित सदन को दे दी जायेगी । जो उनका आदेश था वह कार्यवाही में परिभाषित नहीं किया गया था और कहा गया था कि उचित कार्यवाही की जाय और उससे सभी सहमत है और ट्रान्सफर कोई पनिशमेंट नही होता है तो आपके द्वारा में सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि सदन के उठने के पहले इसकी सूचना दे दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 3 और 4 साढ़े 12 बजे से होना है इसलिये मद संख्या 5 ले रहा हूं । खाद्य एवं रसद मंत्री ।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 का तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1976-77†

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 का तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976-77 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रथम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1972-73‡

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रथम वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 (1 जून, 72 से 31 मार्च, 73 तक) को रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा 4 के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1973-74‡

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1973-74(1 अप्रैल 1973 से 31 मार्च 1974 तक) को रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया ।

‡छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे†

*पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 30 सितम्बर, 1978 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) की (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या 3838-सं/सत्रह-80- 289-69 दिनांक 27 सितम्बर, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) की (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980 को उत्तर प्रदेश साधारण खन्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976‡

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या सी/ 91-12 सी-2-76, दिनांक 19 अगस्त, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1976 को विलम्ब के कारण सहित, उत्तर प्रदेश साधारण खन्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 ††

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 3544/12-सी-2-75-76, दिनांक 19 अगस्त, 1976 द्वारा प्रख्यापित सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 को विलम्ब के कारण सहित, उत्तर प्रदेश साधारण खन्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापे नहीं गये ।

‡छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977†

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 4055/2सी-77--7 (10)/76-यू0 पी0 11/1966-रूल्स-1976-ए0 एम0 (1)-77 दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 को विलम्ब के कारण सहित, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान मन्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के गठन के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन की सूचना

सचिव विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आप की अनुमति से सदन को यह सूचना देता हूं कि सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश से दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 को निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :--

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 की बैठक में माननीय वित्त एवं नियोजन मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया--

यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि :--

विधान मन्डल सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु सामान्य प्रयोजन समिति के गठन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 27 मार्च, 1979 को पारित प्रस्ताव, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने 16 अप्रैल, 1970 को अपनी सहमति प्रदान की, को निरस्त करते हुए यह सदन निश्चय करता है कि उक्त विषयों पर विचार हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा एक विधान मन्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाय, जिसमें अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान सभा के 10 सदस्य और सभापति, बिधान परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के 5 सदस्य हों और जो अपने गठन के 6 माह के अन्दर उत्तर प्रदेश विधान मन्डल के दोनों सदनों को अपनी संस्तुतियाँ प्रतिवेदित करें । अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध लागू होंगे ।

यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह अनुरोध करता है कि वह कृपया इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान करे ।"

उक्त प्रस्ताव उसी दिनांक की बैठक में निम्नलिखित संशोधन के साथ सर्व सम्मति से स्वीकार हुआ--

---

†छापी नहीं गयी ।

विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के गठन के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधन की सूचना

"प्रस्ताव की चौथी पंक्ति में विचार हेतु" के बाद "उत्तर प्रदेश विधान सभा" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश विधान मण्डल" रख दिया जाय ।

अतः आप से अनुरोध है कि आप कृपया इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति प्राप्त कर यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।"

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

मैं श्री अध्यक्ष की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1980 को उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, देवरिया ने अपने वायरलेस मैसेज, दिनांक 10 अक्तूबर, 1980, जो इस सचिवालय में दिनांक 11 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, सदस्य, विधान सभा, देवरिया, भारतीय दंड विधान की धारा 188, पुलिस स्टेशन कोतवाली के अन्तर्गत दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 को गिरफ्तार किये गये और जेल भेजे गये ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष--

आज कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

एक मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष--

एक श्री काशी नाथ मिश्र का है जिस पर विचार हो रहा है । बाकी किसी का नहीं है ।

राज्य निराश्रित सहायता समिति माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा 13 विश्वविद्यालयों की सभाओं के लिये निर्वाचित सदस्यों की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को यह सूचना दे रहा हूं कि राज्य निराश्रित सहायता समिति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा 13 विश्वविद्यालयों की सभाओं

[श्री अध्यक्ष---]

निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय 10 अक्तूबर, 1980 के अपराह्न 5 बजे तक के लिये निर्धारित की गयी थी। उक्त समय के भीतर उक्त निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अतिरिक्त जो नाम थे वे वापस ले लिये गये हैं। अतः उक्त निकायों में शेष सदस्य विधिवत् निर्वाचित घोषित किये गये हैं। जो सदस्य निर्वाचित घोषित हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :---

राज्य निराश्रित सहायता समिति---

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट (अल्मोड़ा), श्री हरदेव (बलिया), श्रीमती संतोष कुमारी पाठक (बदायूं)।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश---

सर्वश्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी), प्रवीण कुमार शर्मा (बुलन्दशहर), निर्भय नारायण सिंह (बलिया), दामोदर शर्मा (मेरठ), बदन सिंह (आगरा)।

लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा---

सर्वश्री गौरी शंकर, एडवोकेट (इटावा), सुनील शास्त्री (गोरखपुर), श्याम लाल बाजपेयी (बाराबंकी), राम कुमार भार्गव (सीतापुर) तथा सन्त बख्श रावत (लखनऊ)।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा---

सर्वश्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (प्रतापगढ़), अशोक कुमार बाजपेयी (इलाहाबाद), राम कुमार राय (आजमगढ़), मोहन सिंह (देवरिया) तथा राधेश्याम पटेल (इलाहाबाद)।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा---

सर्वश्री दुर्गा प्रसाद मिश्र (देवरिया), चन्द्रबली ब्रह्मचारी (आजमगढ़), पंचानन (आजमगढ़), खुदादीन अन्सारी (देवरिया) तथा गौरी शंकर भइया (बलिया)।

आगरा विश्वविद्यालय की सभा---

सर्वश्री किरनपाल सिंह (बुलन्दशहर), कु0 उर्मिला अग्निहोत्री (एटा), ओम प्रकाश जिन्दल (आगरा), शिवराज सिंह (अलीगढ़) तथा कन्हैया लाल (मथुरा)।

कानपुर विश्वविद्यालय की सभा---

सर्वश्री सुबेदार सिंह (मैनपुरी), भूधर नारायण मिश्र (कानपुर), श्रीमती सुखदा मिश्रा (इटावा), विमल प्रसाद तिवारी (फर्रुखाबाद) तथा खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर)।

मेरठ विश्वविद्यालय की सभा---

कुंवर वीरेन्द्र सिंह डाना (मेरठ), सर्वश्री सोमांश प्रकाश (मुजफ्फरनगर), रामयश सिंह (सहारनपुर), बलवीर सिंह (रामपुर) तथा धर्मवीर सिंह (मेरठ)।

कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा--

सर्वश्री गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र (नैनीताल), गोवरधन (अल्मोड़ा), चारु चन्द्र ओझा (पिथौरागढ़), शिवनारायण सिंह नेगी (नैनीताल) तथा श्रीमती विमला राकेश (सहारनपुर) ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा--

सर्वश्री द्वारिका नाथ धवन (देहरादून), खुशहाल सिंह (टेहरी), गुलाब सिंह (देहरादून), नरेश चन्द्र (हरदोई) तथा शिव नन्द नौटियाल (चमोली) ।

रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय की सभा--

सर्वश्री अबरार अहमद (बदायूं), श्रीकृष्ण गोयल (बदायूं), रामेश्वर नाथ चौबे (बरेली), चेतराम गंगवार (बरेली) तथा बलवीर सिंह (रामपुर) ।

बुन्देलखन्ड विश्वविद्यालय की सभा--

(1) श्री ओम प्रकाश रिछारिया (ललितपुर), (2) श्री चन्द्र प्रकाश (बांदा), (3) श्री सुजान सिंह बुन्देला (ललितपुर), (4) श्री गुलाम नबी (आगरा), (5) श्री शंकर सिंह (जालौन) ।

अवध विश्वविद्यालय की सभा--

(1) श्री अकबाल हुसेन (गोन्डा), (2) श्री रिजवानुर्रहमान किदवई (बाराबंकी), (3) श्री प्रियदर्शी जेतली (फैजाबाद), (4) श्री देवेन्द्र पान्डेय (सुल्तानपुर), (5) श्री जैराज गौतम (सुल्तानपुर) ।

काशी विद्यापीठ की सभा--

(1) श्री मान्डवी प्रसाद सिंह (वाराणसी), (2) श्री मोहम्मद सफीउर्रह-मान अन्सारी (वाराणसी), (3) श्रीमती धनेश्वरी देवी (वाराणसी), (4) श्री राम कृष्ण उपाध्याय (जौनपुर) (5) श्री रामधनी (गाजीपुर) ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा--

(1) श्री राम हर्ष राय (गाजीपुर), (2) श्री श्रीनाथ सिंह (वाराणसी), (3) श्री वृद्धिनारायण सिंह (वाराणसी), (4) श्री कैलाश टन्डन (वाराणसी), (5) श्री सूर्यनाथ उपाध्याय (जौनपुर) ।

विधान मन्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के गठन के प्रस्ताव पर विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर सहमति का प्रस्ताव

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान मन्डल के वेतन-भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा की एक "विधान मन्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति गठित किये जाने के विषय में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को पारित प्रस्ताव, जो कि विधान परिषद् की सहमति प्रदान करने हेतु भेजा गया था, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में किये गये संशोधन से सहमत हूं ।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान मंडल सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा को एक विधान मंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति गठित किये जाने के विषय में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को पारित प्रस्ताव, जो कि विधान परिषद् को सहमति प्रदान करने हेतु भेजा गया था, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 के उपवेशन में किये गये संशोधन से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज कार्यस्थगन के चार प्रस्ताव आये थे । पहला श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का था, सम्पूर्ण प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनसेफलाइटिस बीमारी से कई लोगों के मरने के सम्बन्ध में दूसरा श्री कुबेर भंडारी श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह ने भी इसी तरह का सूचना दी थी । तीसरा श्री मोहन सिंह जी का है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 21 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करने तथा 26 जिलों को संवेदनशील घोषित किये जाने के सम्बन्ध में था । चौथा श्री हरिवंश सहाय ने देवरिया जिले में खाद न मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में सूचना दी थी । इन सब कार्य स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है ।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय, यह जो शासन ने घोषणा की है संवेदनशील क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह अल्पसंख्यक उन्मूलन अभियान जो सरकार चला रही है, यह उसका एक हिस्सा है (व्यवधान) प्रदेश के अन्दर इस तरह की घोषणा करके शासन ने एक आतंक पूर्ण स्थिति पैदा कर दी है और पिछले दिनों जब प्रदेश के अन्दर इस आदरणीय सदन में बहस हो रही थी, सामान्य प्रशासन पर, उस समय सरकार को चाहिये था कि सदन में कहते जिससे यह आदरणीय सदन में हम मत व्यक्त कर सकते लेकिन जब सामान्य प्रशासन पर सामान्य चर्चा हो गयी और उसके बाद यह निर्णय कर दिया और आपने निर्णय कर दिया कि कोई भी चीज जिसकी घोषणा अखबारों के जरिये की गयी हो यहां चर्चा का विषय नहीं बनता । लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में घोषणा सदन के बाहर की जाती है तो उस स्थिति में संकल्प को लाकर के हम चर्चा कराये और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं रहता । यह अत्यंत अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा होना आवश्यक है । पूरे प्रदेश में पुलिस और सेना का राज्य कायम हो गया है । बकरीद का त्यौहार दिवाली तथा दशहरा का त्यौहार आने वाला है जिसमें हिन्दू और मुसलमान भाई दोनों मिलकर इसे भाई चारे से मनाना चाहते हैं उनके मन उदास हैं । इस प्रकार के शासनदेश से पूरे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को सेना के हवाले कर दिया गया है ।

यहां पर पोलिटिकल अथॉरिटी और मंत्रिमंडल और सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है । इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय में सारे कारणों को सदन में रखकर चर्चा की जानी चाहिये । चूंकि इस पर वक्तव्य का निदेश भी आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं दे सकते हैं क्योंकि आज सदन उठने वाला है इसलिए इस पर आज चर्चा करा दी जाय और शासन को सम्पूर्ण विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करना चाहिय । इस तरह से एक खतरनाक आदेश जारी किया गया है जिसके लिए हमने यह संकल्प लाने का प्रयास किया है । इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, देवरिया में इन्सेफलाइटिस से कई लोग मर गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 301 में आ चुका है अब साढ़े 12 बजने वाले हैं मैं अगला आईटम ले रहा हूं । (व्यवधान) कई सदस्य एक साथ बोलन लगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, दो मिनट सुन लें ।

श्री कुबेर भंडारी--

सैकड़ों लोग आज देवरिया में मर चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(घोर व्यवधान)

1980-81 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वितीय वर्ष 1980-81 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, हमारी इस पर आपत्ति है ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

[× × ×]

1973-74 के अतिरिक्त अनुदान

वित मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 1973-74 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

[× × ×]

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

यह जो बोल रहे हैं यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, हमें इस पर आपत्ति है यह जो मंत्री जी रख रहे हैं ।

[समय 12-30 अपराह्न]

अनुपूरक अनुदानों एवं अतिरिक्त अनुदानों पर प्रस्तुत करने के दिन ही विचार एवं मतदान कराने हेतु नियमावली के तत्सम्बन्धी नियमों के निलम्बन के प्रस्ताव पर आपत्ति

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अनुसरण में यह सदन एतद्द्वारा निश्चय करता है कि उक्त नियमावली के नियम 194(2)...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जो आपके इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्ति है जो माननीय सदस्य करना चाहते हैं ।

*श्री रियासत हुसैन--

मुझे बड़े खेद और दुःख के साथ यह आपत्ति मंत्री जी के अनुपूरक अनुदानों पर करना पड़ रही है इस वक्त । इस माननीय सदन के अन्दर हर साल बजट जब पास होता है, उसके बाद रिवाइज्ड बजट जब आते हैं, उस समय सप्लीमेंटरी अनुदान पास होते चले आ रहे हैं । लेकिन इस वर्ष एक नई चीज सामने आ रही है, जो प्रजातान्त्रिक परम्पराओं का, मान्यताओं का स्पष्ट हनन है और उसी को लेकर मुझे आपत्ति है। अभी सचिव जी ने बताया आज ही घोषणा हुई मूल बजट के इनेक्टमेंट की । परन्तु बड़े ताज्जुब की बात है कि तुरन्त घोषणा के बाद ही माननीय वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों के लिए सदन के सामने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है । समझ में नहीं आता है, जो 8 तारीख को इनेक्टमेंट हुआ है जो रुपया इस सदन ने मन्जूर किया है वह जिला लेवेल पर पहुंच गया था । जब रिवाइज्ड एस्टीमेट है तो फिर वहां से इस बात की सम्भावना है कि कीमतें बढ़ने की वजह से, मूल बजट के वक्त जो चीज सामने नहीं आई थी, उसके कारण से उसका बजट रिवाइज्ड होगा । जिसके कारण सप्लीमेंटरी ग्रान्ट की शक्ल में वित्त मंत्री जी को सदन के सामने पेश करने की जरूरत पड़ती । लेकिन अभी तक इसका न तो जिलों तक गया और न डिस्बर्स हुआ । समझ में नहीं आता है कि सारी परम्पराओं को खत्म करके सप्लीमेंटरी बजट को तुरन्त रखने की वित्त मंत्री को क्या आवश्यकता पड़ गई जब यह सब ग्रान्ट्स वह सामने रख रहे हैं तो पूरे विस्तार से इसका वह कारण बतायें कि आज इनेक्टमेन्ट की घोषणा होने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुछ मिनटों बाद कौन सी बात आ पड़ी कि रिवाइज्ड बजट उनके सामने आ गया और माननीय सदन के सामने रख दी । इनकी 306 की तादाद है और आज का खबरों के अनुसार वह और बढ़ने जा रही है, लेकिन रोड-रोलर की तरह वह काम न करें । यह पावर का मिस्यूज है ।

मान्यवर, यह सदन की और आपके नियमों की स्पष्ट अवहेलना है । आपको रूल्स सस्पेन्ड करने की 311 में पावर है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में करना पड़ता है । आपकी पावर इसमें निहित है, अध्यक्ष चाहे तो इसमें सब कुछ हो सकता है । लेकिन जो वित्त मंत्री ने किया है, उसमें डेमोक्रेसी की सारी परम्पराओं का हनन होगा और हनन ही नहीं खून होगा ।

*श्री मोहन सिंह---

श्रीमन्, यह सरकार नई नई व्यवस्था कायम कर रही है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जनतन्त्र में इनकी कतई निष्ठा नहीं है । कुछ विशेष परिस्थितियों में जबकि आय-व्ययक पास होने के बाद शासन अनुपूरक के जरिये सदन के सामने कुछ मांगें पेश कर सकती है । आज के एजेन्डे में आईटम नं0 14 पर देखें, हमें सूचना दी जा रही है कि राज्यपाल महोदय ने विनियोग विधेयक को अपनी आज तक के संसदीय परम्परा के इतिहास की यह पहली घटना है स्वीकृत दे दी है । कि अभी तक विभागों की प्रशासकीय आदेश भी जारी नहीं हुए होंगे, एक पैसे का खर्चा भी नही हुआ होगा कि अनुपरक अनुदानों की आवश्यकता कैसे आ खड़ी हुयी । हमें इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी गयी । जिन खर्चों के बारे में इस सदन को कोई जानकारी नहीं है कि किन-किन मदों में खर्चा किया गया है, तो इस प्रकार के खर्चों की इजाजत देने के लिए हम तैयार नहीं है । अगर सदन की स्वीकृति की ही आवश्यकता थी तो इस सदन को 15 दिन की नोटिस पर बुलाया जा सकता थ। । अभी 2-3 दिन पूर्व इस सदन ने 27 अरब रुपये की स्वाकृति दी थी और उसके खर्चे के बारे में इस सदन को कोई जानकारी नही है तो ऐसी स्थिति में, मैं इन अनुपूरक मांगों को खिलाफत करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस धनराशि को खर्च करने की सरकार को इजाजत न दी जाये । यह सही है कि माननीय राज्यपाल की ओर से मंत्रिमंडल अनुपूरक अनुदान पेश करता है लेकिन शासन ने उनको भी अंधकार में रखा होगा । तो जो सरकार इस सदन को और महामहिम राज्यपाल को अन्धकार में रखे उस सरकार को यह रुपया खर्च करने की मैं इजाजत देने के लिए तैयार नहीं हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, कई बार ऐसे अवसर आये हैं जब इस सरकार के कारनामे उजागर हुए हैं और वह समय-समय पर श्री राज्यपाल को सलाह देती रहती है । आज जो सदन में अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत की गयी हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि यह सरकार समय पर निर्णय लेने में अक्षम है, संसदीय परम्पराओं के प्रति उसके हृदय में कोई सम्मान नहीं है । अभी-अभी बजट पेश हुए हैं । ये आकस्मिकता निधि से खर्च कर सकते हैं और खर्च किया भी है लेकिन अभी-अभी कौन सा ऐसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

खर्चा आ पड़ा कि आप आकस्मिकता निधि से खर्च नहीं कर पाये । यह जानबूझ कर सदन की अवमानना है । संविधान में जो भी आर्थिक स्थिति है उस पर इस विधान मंडल की अधिकार है, हमारे सदन को अधिकार है कि उनकी अनुमति के बिना कोई खर्च नहीं किया जा सकता । जो खर्चा करने का उद्देश्य है, उससे प्राप्ति क्या है और उसके प्राक्कलन क्या है । इस सब पर विचार करके ही यह सदन अपनी स्वीकृति देता है ।

आज ये माँगें हमारे सामने प्रथम अनुपूरक मांगों के रूप में आ रही हैं । इसके बाद फिर अनेक अनुपूरक माँगें आयेंगी । नियमानुसार वर्ष में एक बार वार्षिक बजट आयेगा और फिर अपरिहार्य कारणों से, अगर कोई हों, तो एक बार अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जायेगा । कल परसों मूल बजट पास हुआ और तमाम संसदीय परम्पराओं की अवहेलना करके आज यह अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जा रहा है । मेरी मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप कानूनी शिकंजे में आप ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे सदन का सम्मान रह सके और सरकार की जो अदूर्दर्शिता है उस पर अंकुश लगा सकें ।

*श्री भीखा लाल--

मान्यवर, आज जो सदन में अनुपूरक अनुदान सरकार की ओर से प्रस्तुत की जा रही है, मैं भी चाहता हूं कि इस पर आप आज्ञा न दें । मान्यवर, जिस ढंग से ये अनुदानें प्रस्तुत की जा रही हैं, उस प्रणाली क्रम में सख्त विरोध करता हूं । जो इस सम्बन्ध में तर्क दिए गये है, उनको मै दुहराना नहीं चाहता हूं लेकिन इससे स्पष्ट है कि सरकार में किस प्रकार से अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है ।

मान्यवर, आज की कार्य-सूची के आइटम 14 पर लिखा हुआ है कि विनियोग विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी एक्सेन्ट दे दी लेकिन अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करना कार्य-सूची की आइटम 3 पर आ गया । मान्यवर, आपके सचिवालय को भी एक अनुपूरक एजेन्डा जारी करना पड़ गया । अनुपूरक अनुदान उधर से और अनुपूरक एजेन्डा आपके कार्यालय से आ रहा है । तो इस प्रकार से अनिश्चितता पैदा कर दी गई जो परम्पराओं के विरुद्ध है । अभी 3 दिन पूर्व मूल बजट पेश हुआ और आज उस पर अनुपूरक बजट आ रहा है । तो इसमें कोई औचित्य नहीं है कि सरकार इस प्रकार से अनुपूरक बजट पेश करें । इसलिए मैं भी इसका कड़ा विरोध करता हूं । इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी आज्ञा से अगर वित्त मंत्री जो सदन में अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करेंगे तो उतने समय तक मेरा सदन में बैठे रहना उचित नहीं है ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आज प्रदेश के अन्दर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उपवास करके या आधा पेट भोजन करके जी रहे हैं । इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के बजट का एक-एक पैसा ठीक तरह से खर्च हो और उसके लिए जिम्मेदारी इस सदन की है । आज जिस प्रकार से यह सप्लीमेन्टरी बजट माननीय वित्त मंत्रा जी ने पेश किय है यह संसदीय इतिहास की अभूतपूर्व घटना कही जायेगी । हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं एक तरह से कस्टोडियन है और यह हमारे मुंह पर एक तरह से तमाचा मारा गया है । हमारी समझ में यह नहीं

---

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आ रहा है कि वे कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत कि जिसके कारण यह अनुपूरक बजट यहां लाना पड़ा । अभी कल ही तो हम लोगों ने बजट पास किया । रात भर में क्या बात ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से यह लाना पड़ा । यह तो इस आदरणीय सदन को धोखा देने की बात है । जनता के पैसे के दुरुपयोग करने की बात है । इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और हम चाहते हैं कि आप इसे पेश करने की अनुमति न दें ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह शासन सारी लोकतांत्रिक मान्यताओं को कुचलने पर उतारू हो गया है और जो संसदीय परम्परायें हैं उनको भी यह रहने नहीं देना चाहता। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आज मूल बजट पास हो और कल ही सप्लीमेन्टरी बजट आ जाये । मूल बजट में ही शासन इसका प्राविधान कर सकता था, मगर यह शासन तो अपने को अस्थायित्व में पा रहा है । आपने देखा कि पहले 7 महीनों का वोट आन अकाउन्ट लिया, 5 माह का कल ही हमने मूल बजट पास किया और उसके बाद यह सप्लीमेन्टरी आ रहा है । यह सारी लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन हो रहा है । वित्त विभाग के कर्मचारी तो हर वर्ष बजट तैयार करने के लिए एक माह का वेतन पाते हैं, लेकिन आपके विभाग के कर्मचारी जो इतने माह तक इस बजट के पास होने के कार्य में लगे रहते हैं, जो लगातार कई महीने काम करते हैं, उनको कोई इन्सेन्टिव नहीं मिलता । तो इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा । यदि इनको इसे पास करने की अनुमति दी जाती है तो हम लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानने वाले ऐसे समय में यहां बैठे रहना पसन्द नहीं करेंगे ।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

जहां तक मान्यवर, संवैधानिक एतराज है वह अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मोहन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि एक तो होता है "लेटर्स आफ ला" और दूसरा होता है "इस्प्रिट आफ ला" । आप इसे लेटर्स आफ ला के मुताबिक गलत कह सकते हैं, लेकिन इस्प्रिट आफ ला के अनुसार इसे हमें देखना पड़ेगा । कानून और संविधान की आत्मा पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। माननीय मोहन सिंह जी पुराने सदस्य रहे हैं, वे जानते हैं कभी यहां समय से बजट पेश नहीं हुआ, अबकी बार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि अगले सत्र में बजट सत्र फरवरी में आरम्भ होगा और फरवरी में बजट पेश होगा तथा 31 मार्च के पूर्व ही पास किया जायेगा । यह एक अच्छी परम्परा पड़ने जा रही है । जहां तक नियमों का सवाल है, अगर कोई नियम हमारे काम करने में बाधक सिद्ध होते हैं, तो 311 के अन्दर आप उसको निलम्बित कर सही दिशा में कदम उठाते हैं, यह जो अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं, इसको आप देखेंगे एजेंडे में, आपको 73-74 को रेगुलाराइज करना पड़ेगा, अगर वहां पर आ गया है आडीटर जनरल, तो उनका एतराज, तो जो बहुत सी गड़बड़ियां हो जाती हैं, उसको रेगुलाराइज करने के लिए ही आज अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं । उसी को ठीक करने के लिए इस काम को आप होने दीजिए । 3-4 महीने के बाद हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशीनाथ मिश्र--]

बजट बनायेंगे, फिर फरवरी महीने में 81-82 का बजट पेश होगा। आज वाला हमारा अनुपूरक बजट सही है। उसको पेश करने की इजाजत माननीय वित्त मंत्री जी को आप दे सकते हैं।

श्री खैरुल बशर--

माननीय, मैं यह समझता हूं कि यह मंत्रिमंडल जो है अपना विवेक खो बैठा है। कहना उनको क्या चाहिए और वह कह क्या रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो सब कह चुके हैं।

श्री खैरुल बशर--

माननीय, मंत्रिमंडल को कोई जानकारी नहीं है। नौकरशाही इन पर हावी है।

श्री बदन सिंह--

माननीय, यह मंत्रिमंडल की आम शिकायत है कि इस मंत्रिमंडल पर नौकरशाही हावी है। यह अनुपूरक बजट को देखने से पता चल जाता है कि वास्तव में यह मंत्रिमंडल अपना विवेक खो बैठा है। कौन सा काम पहले किया जायगा और कौन सा काम बाद में किया जायगा, यह इनको पता नहीं है। तो माननीय, हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप बैठें।

*पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, संविधान में यह कहीं कोई चीज नहीं लिखी गई है कि सप्लीमेंट्री बजट कब, कितने समय बाद आवेगा, इसका जिक्र नहीं किया गया है। इसमें कुछ शर्तें रखी गयी हैं कि सप्लीमेंट्री बजट कब रखा जाय। गवर्नर की उस पर मंजूरी हो जाय, उस पर जो बिल है, ऐक्ट बन जाय, उसकी सूचना सम्मानित सदन को दे दी जाय। यह तीनों शर्तें पूरी हो चुकी है और कहीं पर कोई रुकावट संवैधानिक जैसा माननीय काशीनाथ जी ने कहा कहीं लेटर आफ ला जो है, शब्दावली जो है, कोई चीज संविधान के विपरीत नहीं की जा रही है। अनुच्छेद 205 में माननीय, लिखा है--

"(क) अनुच्छेद 204 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के बारे व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गयी किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गयी है अथवा।

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर उस सेवा और उस वर्ष के लिए अनुदान की गयी राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया हो, तो राज्यपाल यथास्थिति,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गयी राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान सभा में ऐसी अधिकाई के लिए मांग उपस्थित करायेगा ।"

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, सप्लीमेन्ट्री बजट आपने कैसे पेश कर दिया ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, 16 जुलाई को यह बजट रखा गया था और 16 जुलाई के बाद बहुत सा रुपया हमें केन्द्र सरकार के द्वारा मिला । बाढ़ आई, बाढ़ का पैसा हमें मिला । वहां से 35 करोड़ 100 लाख रुपया हमें बाढ़ के लिए मिला । उसके बाद 84 करोड़ अतिरिक्त अनुदान मिला । इसके अतिरिक्त माननीय, यह 2 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, 2 अगस्त को माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये थे, माननीय नियोजन मंत्री जी के साथ इनकी मीटिंग हुई थी । नियोजन मंत्री के साथ मीटिंग जब हुई थी, तब 84 करोड़ रु0 भारत सरकार से लाये और 75 करोड़ रु0 फुड फार वर्क में लाये । इसलिए सरकार अपना फर्ज समझती है कि जो भी पैसा लाये और उसमें से जो पैसा खर्च हो, उन सबका लेखा-जोखा आपके सामने रखे और 20 करोड़ रु0 हरिजनों की सहायता के लिए हम भारत सरकार से लाये और हमें आगे मिलने की आशा है और इसी तरह से 56 करोड़ रु0 आकस्मिक निधि में लाये। तो इस तरह से जो तमाम पैसा हम भारत सरकार से लाये । तो यह सब तमाम पैसा किन कारणों में खर्च होना है, इसलिए सप्लीमेंट्री बजट लाकर हमको यह दिखाना अनिवार्य होगा । यह आप कहें अगर कि यह सब हम न दिखायें तो सारा का सारा पैसा वापस कर दिया जाए । कह दीजिए कि यहां न तो बाढ़ ग्रस्त लोगों की सहायता की जरूरत है और न हरिजनों और न फुड फार वर्क में इसकी जरूरत है । इसलिए इस पैसे को रख रहे हैं आप सब सम्मानित सदस्यों के सामने ।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इतना-इतना पैसा केन्द्र से लाये । तो इस सिलसिले में मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो पैसा आप केन्द्र से लाये तो उससे तो आपके डिफिसिट पूरे होने चाहिये और बजट सरप्लस होना चाहिये । तब आपके सप्लीमेन्ट्री बजट के लाने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी--

एक बजट तो 16 जुलाई को पारित हुआ और दूसरा (शोर)तो यह संविधान में कहीं नहीं है कि एक बजट पारित होने के 3-4 दिन बाद दूसरा बजट नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा प्रतिबन्ध संविधान में नहीं है । इसलिए जो भी हो रहा है, वह सब संवैधानिक ढंग से हो रहा है और परिस्थितियों के अनुसार हर चीज करनी पड़ती है । पिछड़े लोगों, हरिजनों और बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता करना अवश्यक है सरकार के अधीन । लिहाजा यह सरकार ऐसे ही काम कर रही है, जो उसके अपनी जिम्मेदारियां है, और जो जनहित में है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इसीलिए इस बजट को प्रस्तुत करने से पहले वित्त मंत्री जी चले गये क्योंकि उनसे जवाब दे नहीं मिलता और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो इन बातों में माहिर ही हैं कि हर बात को घुमा-फिरा कर रखना खूब जानते हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जब पैसा इनको सेन्ट्रल से हर मद में खूब या जरूरत भर का मिला, तब तो इनका सारा डेफिसिट कवर हो जाना चाहिये और हमारा बजट भी सरप्लस होना चाहिये । तब यह आधार कहां से बनता है कि सप्लीमेन्ट्री बजट रखकर और रुपया मांगें । यह सारी बातें इन लोगों को उल्टी ही समझ में आती है और जनता के पैसे का दुरुपयोग का औचित्य बनाना, मैं उचित नहीं समझता । इसलिए जनता पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं भी इस पर मोहर लगाने को तैयार हूं क्योंकि यह सप्लीमेंट्री बजट को पेश करना, जनता की नेक कमाई का दुरुपयोग करना है, इसलिए मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

श्री खैरुल बशर--

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति प्रस्तुत की है कि यह अनुपूरक अनुदान अब कैसे पेश किए गये, तो इसमें उचित और अनुचित क्या है, उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया । माननीय राज्यपाल महोदय ने इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा दे दी, इसलिए वह प्रस्तुत हो जायेगा और जहां तक यह प्रश्न है कि हम नियम निलम्बित कर इसे पास करें । तो इस सम्बन्ध में यदि विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसा करना चाहिये । ऐसा नियम भी है, ऐसे दूसरे निर्णय हैं जिसमें कहा गया है कि बहुत सावधानी से नियमों के निलम्बन में ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिये । मने माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बातें सुनी और उसमें मैं समझता था कि उन परिस्थितियों को वह बतायेंगे, जिसकी वजह से नियमों को निलम्बित करना चाहिये ।

श्री मोहन सिंह--

अगर नियमों के निलम्बन के बारे निर्णय दे रहे हैं तो हमको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आपको जो कुछ कहना हो कह लें तो मैं अन्तिम निर्णय दूंगा ।

श्री मोहन सिंह--

जो सप्लीमेन्टरी प्रस्तुत किया गया है उस पर आपत्ति है । अभी हमने नियमों के निलम्बन के बारे में तो कहा ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

एक-एक मिनट में आप अपनी बात कहें ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, 311 में नियमों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में निलम्बित करने का सिद्धांततः अधिकार है और उसी आधार पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया है । अनुपूरक और अपर अनुपूरक अनुदान को महामहिम राज्यपाल की सहमति से प्रस्तुत किया जा सकता लेकिन जो 184 धारा है, जो सर्वथा आपसे सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं । इसमें साफ तौर से लिखा है माननीय, 184 के उपधारा (4) में । इन नियमों के अधीन आय-व्ययक ऐसे रूप में उप स्थापित किया जाएगा जिसे प्राक्कलन समिति के सुझावों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात वित्त मंत्री सर्वोत्तम समझें । उपधारा (3) में माननीय, लिखा है प्रत्येक मांग में पहले प्रस्थापित पूर्ण अनुदान का विवरण होगा और तदनन्तर प्रत्येक अनुदान के अधीन सविस्तार प्राक्कलन का विवरण, जो मदों में बटा हो, दिया जायगा । तो माननीय, इन्होंने पूरा विवरण सप्लीमेन्टरी बजट का नहीं रखा और इस प्रकार से नियमों को निलम्बित करवा के यह अपने जिम्मे काफी धनराशि खर्च करना चाहते हैं । जैसा हमारे वरिष्ठतम सदस्य श्री काशी नाथ मिश्र ने कहा कि उनकी सरकार फरवरी के महीने में बजट प्रस्तुत करना चाहती है इस सिलसिले की शुरुआत की जा रही है माननीय वित्त मंत्री द्वारा जिन्हें हम लोग ब्रह्म दत्त जी कहते हैं वह इस आदरणीय सदन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अम्मार रिजवी साहब को शिया सम्प्रदाय के होने के नाते कभी-कभी सच बात को कहना पड़ता है । केन्द्र ने 75 करोड़ रुपया दिया है खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण करने हेतु ।

श्री अम्मार रिजवी---

सड़कों का जिक्र नहीं आया ।

श्री मोहन सिंह---

और जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं अपनी पीठ थपथपा ली कि जब वह दिल्ली जाते हैं तो वह जो पेट्रोल खर्च करते हैं उससे केन्द्र से उनको पैसा मिला करता है । माननीय, प्रदेश का जो बजट है जो वार्षिक प्रस्तुत होता है इसके लिए केन्द्र का बहुत बड़ा योगदान है । म साफ तौर से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से धनराशि फरवरी और मार्च के महीने में नहीं मिलने वाला है । यह केन्द्र का सिद्धान्त है इसलिए यह आश्वासन थोथा और अनर्गल है । इस झूठे आश्वासन पर अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करने के लिए नियमों को निलम्बित करके बिल्कुल इजाजत न दी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्री मोहन सिंह जी ने जो तर्क प्रस्तुत किय, उसी सम्बन्ध में दूसरा तर्क देना चाहता हूं । कोई भी प्रस्ताव आ सकता है लेकिन उसकी ग्राह्यता पर आपको अपने विवेक से विचार करना है । नियमावली के नियम 184 देखें, माननीय । इसमें आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा न होगी जिस दिन वह सभा के समक्ष रखा जायेगा । आज ही रखा गया अतः आज चर्चा नहीं हो सकती । उधर से

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

प्रस्ताव आया कि नियम निलम्बित किये जायें । इस सम्बन्ध में नियम 195 देखने का कष्ट करें । इसमें मूल आय-व्ययक आते हैं । उसमें कटौती के प्रस्ताव रखते हैं जिसका उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना होता है । जो अनुपूरक अ अनुदान आते हैं उसमें यह सीमा सीमित कर दी गई है । अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा और जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

अनुदान कापी नहीं मिली, हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मन्त्री जी को विवेक हुआ, कापियां बटवाने लगे । हम आलोचना भी उन्हीं विषयों पर करेंगे जिनको प्राविधान कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में नियम 196 देखें । जब किसी नयी सेवा पर प्रस्थापित व्यय के लिये पुन विनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सकता हो, तो कोई प्रतीक राशि के अनुदान की मांग सदन के मतदान के लिए रखी जा सकेगी । यह इसलिये कहन चाहत हूं कि कल तक यह बजट चल रहा था अगर इस बीच जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि रुपया केन्द्र से मिल गया तो जो विनियोग विधेयक पास हुआ था उसमें बताते कि 80 करोड़ था । 100 करोड़ खर्च हैं । बाढ़ आ गयी है या बीमारी फैल गई है । इसलिए मैं आपका ध्यान 195 की ओर इंगित करता हूं कि सही आलोचना कर सकूं, पढ़ कर, समझ कर, जो हमारे कर्त्तव्य हैं, उनको पूरा कर सकूं । अत: आज किसी भी प्रकार विवाद की अनुमति न दें ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

जैसे मान्यवर, हाई कोर्ट में बड़ा होशियार वकील अदालत को झांसा देता है वैसे ही ये हैं । 105 के खंड 2-3 में बड़े स्पष्ट रूप से दिया गया है । ये मान्यवर, बजट, सप्लीमेंट्री बजट या प्रतीकात्मक बजट में कोई अन्तर नहीं करते । धारा 194(2) देखें मान्यवर । अध्यक्ष नेता सदन से परामर्श करके ऐसी मांगों पर चर्चा एवं मतदान के लिए एक या अधिक दिन नियत करेंगे । इन प्रकरणों में उसी प्रक्रिया का जो नियम 185, 186, 187....

(व्यवधान)

अभी माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने कहा कि बजट उस दिन पेश होगा उसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती, अनुपूरक बजट के बारे में, सप्लीमेंटरी बजट के बारे में हमारी नियमावली में कोई ऐसा बाधक क्लाज नहीं है । कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिस दिन पेश होगा उसी दिन चर्चा नहीं होगा । जहां तक नियम 311 की बात है, वह अधिकार आपको है । ऐसी स्थिति में नियमों को निलम्बित करके चर्चा आज करायी जाय ताकि भविष्य में हमारा सिलसिला ठीक हो जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, एक मिनट सुन लें ।

श्री अम्मार रिज़वी--

श्रीमन्, नियम 311 में सम्बन्धित नियम जो हैं उसके निलंबन की बात कही गयी है । जिस समय विरोधी दल के नेताओं से परामर्श हो रहा था

उस समय निश्चित रूप से तय हुआ था, उस समय माननीय मोहन सिंह जो भी थे और बैठक में हमारे बराबर के साझीदार थे कि सदन में एक ही दिन में रख कर पास कर दिया जाय। मेरे ख्याल से वह इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि जो विशेष परिस्थिति है, नवरात्रि भी चल रही है, दशहरा और बकरीद का भी सवाल है। सब माननीय सदस्य चाहते हैं, जल्दी से जल्दी क्योंकि काफी ड्यूरेशन का सत्र रहा है, वह समाप्त हो जाय।

जहां तक चर्चा का प्रश्न है आप जानते हैं कि किसी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव यहां इस प्रकार के सप्लीमेंटरी बजट पर नहीं होता। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं हो रही ह जो कभी नहीं हुयी है। नियमों का निलंबन पहली बार नहीं हो रहा है। जब कभी परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से हम बहुत सी चीजों को किया करते हैं। कानून आज सही है कल तब्दीली ले आते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं तो इसी बजट से निलंबन का संविधान रखा गया है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाय तो नियमों को निलंबन किया जा सके।

आज पहली बार किसी नियम को निलंबन किया जा रहा हो तो यह बात होती। इससे पहले भी नियमों को निलंबन किया जा चुका है। परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें नियमों को कई बार निलम्बित किया जा चुका है इससे पहले विरोधी दल के नेताओं से परामर्श भी हो चुका है, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, इस वजह से कि लोग जल्दी से घर पहुंचना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यान पूर्वक सुना। माननीय मोहन सिंह और माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने तथा अन्य कई सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। यह सही है कि आज ही यह घोषणा यहां हुयी है विनियोग विधेयक के अधिनियम बनने की और आज ही यह प्रस्ताव आया है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सही है कि यह सब बातें कार्य मंत्रणा समिति में आयी थीं और कार्य मंत्रणा समिति ने इसको इसी तरह से रखने के लिये स्वीकार किया। तो जो विशेष परिस्थितियां माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने बतायी हैं उनको इस पृष्ठभूमि में कि कार्य मंत्रणा समिति ने इसको स्वीकार किया है, मैं काफी समझता हूं। अन्यथा अगर कार्य मंत्रणा समिति ने इसको इस तरह से स्वीकार न किया होता तो शायद आपने जो विशेष परिस्थितियां बनाये हैं वह काफी नहीं होतीं। चूंकि मैं इनको काफी समझता हूं इसलिये मैं मद संख्या 20 की इजाजत देता हूं। लेकिन फिर भी सब चीजों के बावजूद भी इतना मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी नियम का निलम्बन सदन में तभी होना चाहिये जबकि सभी सदस्य इसके पक्ष में हों। एक भी सदस्य अगर इसके विरोध में हो तो ऐसा निलम्बन नहीं होना चाहिये। आज किये गये नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव दृष्टान्त नहीं बनेगा।

(संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर।)

श्री मोहन सिंह--

चूंकि सरकार ने आपके निर्देश को नहीं माना। सरकार की व्यवस्था के विरोध में हम लोग सदन से वाक आउट करते हैं।

(श्री मोहन सिंह लोक दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री भीखालाल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। अभी माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा है, जब मैंने बजट का पन्ना खोला तो पहले पन्ने पर लिखा है कि वी० आई० पोज० के लिये हवाई जहाज खरीदना, स्टाफ कार खरीद रहे हैं। इस अनुदान में सूखे के नाम पर, बाढ़ के नाम पर कुछ नहीं है। अप्रत्याशित खर्चे के नाम पर वी० आई० पोज० के लिये हेलीकाप्टर की व्यवस्था है, स्टाफ कार की व्यवस्था है। इसलिये जब तक इस नापाक अनुपूरक अनुदान पर जब तक बहस होगी तब तक के लिये हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

1980-81 के अनुपूरक अनुदानों एवं 1973-74 के अतिरिक्त अनुदानों पर प्रस्तुत करने के दिन ही विचार एवं मतदान करने हेतु नियमावली के तत्सम्बन्धी नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव

*पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अनुसरण में यह सदन एतद्द्वारा निश्चय करता है कि उक्त नियमावली के नियम 194(2) के साथ पठित नियम 184 एवं तत्सम्बन्धी अन्य नियमों को उस अंश तक निलम्बित किया जाय जिससे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांग तथा वित्तीय वर्ष 1973-74 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा एवं मांगों पर मतदान, अनुदान की मांगों के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को ही, सम्पादित किया जा सके।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अनुसरण में यह सदन एतद्द्वारा निश्चय करता है कि उक्त नियमावली के नियम 194 (2) के साथ पठित नियम 184 एवं तत्सम्बन्धी अन्य नियमों को उस अंश तक निलम्बित किया जाय जिससे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांग तथा वित्तीय वर्ष 1973-74 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा एवं मांगों पर मतदान, अनुदान की मांगों के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को ही, सम्पादित किया जा सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1980-81 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कोई अपने विचार व्यक्त करना नहीं चाहते हैं।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9--स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 13,00,59,000 रुपये...

[समय 1.10 अपराह्न]

(श्री रियासत हुसैन के आने पर)

श्री अध्यक्ष--

क्या आप बोलना चाहते हैं।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, आपकी आज्ञा हो गयी और माननीय रिजवी साहब को इसे पेश करने का मौका मिल गया। मान्यवर, मैं विशेष रूप से 2-3 बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम के द्वारा क्योंकि इसमें गृह विभाग से सम्बन्धित मांग है जन स्वास्थ्य से भी सम्बन्धित रुपया मांगा है, राजस्व विभाग में गन्ने से सम्बन्धित रुपया मांगा है। तो मैं बहुत थोड़े समय में तीन-चार बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, यह रुपया मांग रहे हैं, मेरे ख्याल से माननीय रिजवी जी जो रुपया आप गृह विभाग के लिये मांग रहे हैं, शायद आप इनाम देना चाहते हैं पुलिस विभाग को जिसने मुरादाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़ के अन्दर और प्रदेश के दूसरे भागों में माइनारिटीज और बेगुनाह लोगों के खून से होली खेली है।

आप शायद उनको इनाम देना चाहते हैं। इसी लिए सप्लीमेंटरी बजट की शक्ल में यह रुपया गृह विभाग के लिए मांगा है। इस सरकार के कामों को देखा जाय तो तीन-चार बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह सरकार मुकम्मिल तौर से नाकामयाब रही है प्रदेश के अन्दर माइनारिटीज के जान-माल की सुरक्षा करने में, यह मुकम्मल तरीके से नाकामयाब रही है प्रदेश के अन्दर स्त्री वर्ग की इज्जत की सुरक्षा करने में लगातार पिछले तीन महीने में, समय-समय पर घटनाओं का विवरण यहां होता रहा है। इस प्रदेश के 46 जिलों में एक सैलाब की मुसीबत आयी जिसमें डेढ़ हजार आदमी डूब कर मर गया या मकानों में दब कर मर गया। उस सैलाब को फेस करने में यह सरकार पूरे तरीके से नाकामयाब रही है।

एक चीज जिससे हर सदस्य पीड़ित है, चीनी दस रुपये में खुले बाजार में बिक रही है जब कि 2.40 रु0 में जब जनता पार्टी की सरकार समाप्त हुई थी, बिक रही थी। आज वह बढ़कर 8-10 में चीनी का बाजार पहुंच गया है। इसके अलावा हर चीज की कीमत बढ़ी है, चाहे दाल हो, तरकारी हो, गेहूं हो, जो जन--जीवन की आवश्यकता की चीजें हैं, उन सब की कीमतें इतनी बढ़ गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन---]

हैं, उन बढ़ी हुई कीमती को रोकने में सरकार बिल्कुल असफल रही है जब कि माननीय मुख्य मन्त्री ने धावा बोल दिया, लोगो को पकड़ने के लिए, कोई कसर उठा नहीं रखी लेकिन इसके बावजूद सिविल सप्लाईज विभाग के अन्दर रजा हुसेन त्यागी लेकर ऊपर से नीच तक न मालूम कितन रजा हुसेन त्यागी होंगे । इस वजह से यह सरकार मुकम्मल तरीके से नाकामयाब रही ह ।

(इस समय 1 बज कर 20 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द पीठासीन हुये) ।

इस प्रदेश में पचास चीनी मिलें सरकार के कंट्रोल में है । केवल 39 चीनी मिलें प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में हैं । खाद की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ी । बिजली की कीमत बढ़ी । उम्मीद थी कि आप की सरकार गन्ने की कीमत 20 रुपये क्विंटल दिलवायेगी । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने 13 रुपये क्विंटल की कीमत फिक्स की । इस प्रदेश के 25 लाख किसान जो गन्ने की खेती से सम्बन्धित उनमें अजीब बेचेनी पैदा हो गयी है । 13 रुपये क्विंटल की कीमत किस हिसाब से कैलकुलेट की है । आपकी सरकार ने 140 रुपये क्विंटल की मांग की थी । 125 रु0 प्रति क्विंटल का खर्च लगता है उगाने में, यह कैलकुलेट किया था । लेकिन पता नहीं किस बेसिस पर 105 रुपये और 100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत सेंट्रल गवर्नमेंट ने रख दी । डीजल की हालत देखिए । पश्चिमी प्रदेश में जाकर देखिए क्या हालत है लखनऊ में क्या हालत है । मुरादाबाद में डीजल न होने से 90 और 100 में 20 लीटर डीजल बरेली से लेकर आये हैं और धान की फसल को सींचा है । बड़े अफसोस की बात है, स्वास्थ्य मन्त्री ने बार-बार तसलीम किया है कि तीन सौ शफाखानों में डाक्टर और डाक्टरनी नहीं हैं ।

बिस्तर नहीं, बिजली नहीं, एक्सरे मशीनें नहीं । यह सारी चीजें न होने से जिस हालत में प्रदेश है, उसको देखते हुये जो सप्लीमेन्टरी मांग कर रहे हैं, वह कांस्टीटयूशन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो आपकी मारेल्टी है, वह कहां गयी, मारेल्टी के अनुसार ठीक नहीं है । क्या आप कानून कायदे के अनुसार ही शासन चलायेंगे या जो परम्परायें हैं, जो कंवेन्शन्स हैं, जो रूलिंग्स होती आयी हैं और जिनका यहां रेकार्ड एकट्ठा होता है, उसका अवलोकन करें तो वित्त मन्त्री जी ने जो सप्लीमेन्टरी बजट मांगा है उसमें मुझे दुख और है जो सप्लीमेन्टरी बजट मांगा है वह बिल्कुल अनुचित है क्योंकि आपके विभागों के जो कार्यकलाप हैं, उनसे जनता सन्तुष्ट नहीं है, इसलिये सप्लीमेन्टरी बजट पेश नहीं होना चाहिये, यह मेरी निश्चित राय है ।

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, सारे नियमों और नीतियों को ताक पर रखकर इन्होंने एक घटिया किस्म का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है और उसके विरोध में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, लाखों रुपये बाढ़ में और नगरपालिका को देने की बात है । इलाहाबाद नगरपालिका का मामला यहां उठाया गया था, उसकी 60 लाख रुपये की अल्लापुर योजना अधर में लटकी है, उसका इसमें प्राविधान नहीं है और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये स्टाफ कार और कर्मचारियों को लाखों रुपये वेतन देने की मांग इसमें किया है । इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गृह विभाग में एक अलग से सेल कायम किया जा रहा है, उसका नाम होगा-- दस्यू उन्मूलन अभियान, आढ़ रहित तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिये विशेष पुलिस का गठन जिसमें एक उप पुलिस महानिरीक्षक और उनका स्टाफ भी होगा जिस पर खर्च करने के लिये अनुपूरक अनुदान में मांग की गयी है । मान्यवर, जब प्रदेश के अन्दर इतनी समस्यायें हैं, और रचना के कार्य नहीं होते हैं, प्राइमरी पाठशालाओं की छत गिर गयी हैं, तो उस समय यह अनावश्यक व्यय करना जनता के साथ खिलवाड़ करना है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

मान्यवर, आपने पुलिस कल्याण निधि को बढ़ाने की बात किया है । तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ गयी । वह इसलिये कि शासन ने एक गुप्त राजकीय आदेश जारी किया है जिसके जरिये किसी भी पुलिस कप्तान के अपने जिले में दस्यु उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत पुलिस इनकाउन्टर करने के आदेश दिये गये हैं । उसका नतीजा है कि इनकाउन्टर के जरिये निरपराध व्यक्तियों को मारा जा रहा है जिस तरह की सामंतवादी जमाने में होता था कि गरीब के बेटों को आपस में लड़ाया जाता था और जब से यह मुख्य मन्त्री बने हैं तब से इन्होंने सामंतवादी प्रथा को कायम करने का काम किया है । पुलिस कर्मचारी झूठे इनकाउन्टर के नाम पर निरपराध व्यक्तियों को मार रहे हैं । परिणामस्वरूप पुलिस के कर्मियों का उन्मूलन अपराधी लोगों न शुरू कर दिया है जैसे देवरिया में पुलिस इंस्पेक्टर मारा गया, जौनपुर में एक सब-इंस्पेक्टर मारा गया, बागपत कांड में भी मारा गया । जब तक इस तरीके से अवैधानिक तरीके से नियमों को ताक में रखकर पुलिस कर्मचारियों का निरपराध लोगों को मारने का अभियान चलेगा और जिसके लिये पुलिस निधि को बढ़ाने की बात किया है तो उसकी जरूरत और इसलिये पड़ी कि पुलिस कर्मचारियों की हत्यायें हो रही हैं जिसकी जिम्मेदारी शासन पर है । इसलिये प्रारम्भ में ही सामान्य प्रशासन के अनुदान को पेश करने में मैंने आपत्ति किया था । मान्यवर, 11 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग आपने विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के लिये किया है । हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक कोई भी तकनीकी और वैज्ञानिक आदमी इस विभाग का डाइरेक्टर और सचिव नहीं बनाया जा रहा है । वहां पर साधारण से इंजीनियर हैं जिनका विभाग ने डिपुटेशन पर लिया है जिन्होंने जीवन भर भ्रष्टाचार किया है । मैंने इस मामले को इस सदन में उठाया था और माननीय मन्त्री जी ने इसकी स्वीकारोक्ति की थी कि जल निगम के अधिकारी के खिलाफ सतर्कता विभाग की पूरी रिपोर्ट है लेकिन फिर भी वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में डिपुटेशन पर काम कर रहा है । मैं कहना चाहता हूं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है यह मुख्य मन्त्री जी के अन्तर्गत आता है । इस विभाग के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था सुझाव के तौर पर कि किसी पढ़े-लिखे आदमी को इस विभाग का मन्त्री बनाया जाना चाहिए जिसे विज्ञान में रुचि हो, तकनीकी में रुचि हो उत्तर प्रदेश इस बात का गौरव हासिल कर सके कि वह अपने प्रदेश से ऐसे वैज्ञानिक पैदा कर रहा है और देश और दुनिया में हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहा है । लेकिन अफसोस यह है कि इस विभाग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है । इस विभाग के लिए भी आप अलग पैसा मांग रहे हैं । जब तक इसके ढांचे में कुछ बुनियादी परिवर्तन नहीं कर दिया जाता तब तक इस विभाग के लिए 11 लाख रुपये की अनुपूरक मांग के जरिये मांग करना मैं समझता हूं अनुचित है ।

जो आय-व्ययक आप ने प्रस्तुत किया है उसमें जो प्राथमिकता वाले कार्य हैं, जिन्हें युद्ध स्तर पर, त्वरित गति से, पूरा किया जाना चाहिए, वे बच जाते हैं । प्रदेश में सैलाब आया सारे सड़क, पुल-पुलियां टूट गई । आप शहरी सड़कों

[श्री मोहन सिंह---]

के लिए अनुदान मांग रहे हैं लेकिन देहाती सड़कों के लिए, पुल-पुलियों के लिए, खाद्यान्न योजना में जितना पैसा चाहिए वह आप नहीं दे रहे हैं । प्राइमरी स्कूलों के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं । प्राथमिकता के बारे में सरकार का एक साफ दृष्टिकोण होना चाहिए और उसके हिसाब से वह अनुपूरक मांगे तो हमारे जैसे लोग इस मांग के लिए तैयार हैं । प्रदेश के हित में, जनता के हित में पैसा खर्च करने की अनुमति आप चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं । अपनी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, अफसरशाही को बढ़ाने के लिए यदि आप अनुपूरक पैसा मांगते हैं तो हमें आपत्ति है ।

सामान्य प्रशासन पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रदेश की जनता को इस सदन के जरिये आश्वासन दिया था कि हमारा जो घाटा है उस घाटे को प्रशासनिक मितव्ययता से पूरा कर देंगे और इस आश्वासन के बावजूद प्रशासनिक खर्चा बढ़ाया गया है, अफसरों की फौज बढ़ा दी गई है । मंडलीय विकास निगम जिसे डिप्टी डेवलेपमेंट कमिश्नर देखा करता था उसके बारे में विभाग की ओर से योजना चल रही है कि वहां पर उप विकास आयुक्त और मंडलीय विकास निगम के प्रबंधक निदेशक दो व्यक्ति होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए । यानी 13 विकास मंडलीय निगम पूरे उत्तर प्रदेश में है जहां 13 डी0 डी0 सी0 काम देखते थे अब वहां 13 पद और बनाये जायेंगे । अधिक पद आई0 ए0 एस0 कैडर के लिए रिजर्व किये जायेंगे ढूंढ-ढूंढ कर के चूंकि सत्ता के ऊपर राजनीतिक अधिकार खत्म हो चुका है । अफसरशाही के नियंत्रण में प्रदेश है । पिछले ढाई, तीन महीनों में अतिरिक्त पदों का निर्माण और सृजन कर के प्रशासनिक खर्चे को बढ़ाया जा रहा है । और उसका एक साफ-साफ उद्धरण इस अनुपूरक बजट के अनुदानों में देखते हैं । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जो आपने प्रायरिटीज की घोषणा पहले की थी उसके परिप्रेक्ष्य में अनुपूरक अनुदानों की आप मांग कीजिये तो हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस पर आपत्ति है ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे ऐसा अहसास होता है कि विचार का तथा एजूकेशन का स्थान प्रोपोगंडा ने ले लिया है । यह भी अहसास होता है कि विरोध पक्ष न तो काम करना चाहता है और न काम करने देना चाहता है । एक बात याद आती है एक किसी बड़े महापुरुष ने कहा था "वार इज दी कास्टलियेस्ट पास्टाइम आफ मैनकाइंड" उसी पैटर्न पर मुझे एक बात याद आती है "एजिटेशन इज दी चीपेस्ट वासटाइम आफ अवर अपोजीशन ।" जिधर भी आप देखें आप चारों तरफ एक ही वातावरण देखेंगे एजिटेशन करने का जनता में अराजकता और व्यवस्था फैलाने का । यह तरीका अख्तियार किया है विरोध पक्ष ने ।

एक निवेदन करूं क्या 5 वर्ष विरोध पक्ष इन्तजार नहीं कर सकता ? आखिर डेमोक्रेटिक लाइफ क्या है ? 5 वर्ष इन्तजार कीजिये और इस दर्मियान जनता के बीच अपनी बात आप कहें । वही एक सच्चा तरीका है, यही डेमोक्रेटिक नार्म है । लेकिन आज जो तरीका विरोध पक्ष की ओर से अपनाया जा रहा है वह डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने वाला है । अगर आप हवा बोयेंगे तो तूफान काटेंगे । अगर शान्ति व्यवस्था कायम करनी है तो हमको आपको एक साथ काम करने की जरूरत है । ऐसा मौका आता है जीवन में जब हमको और आपको एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है लेकिन यहां के विरोध पक्ष ने यह तरीका नहीं सीखा । किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अंग्रेज एम0 पी0 से पूछा था कि आपको पोलिटिकल लाइफ कैसी पसन्द है । उसने कहा माडरेशन, टालरेंस, कैपेसिटी फार कम्प्रोमाइज एंड कंटिन्युइटी । हमारे यहां बिलकुल उल्टा है । हमारे यहां विरोध पक्ष का एक स्वभाव बन गया है एजिटेशन करना, डिमांस्ट्रेशन करना तथा एडमिनिस्ट्रेशन को पैरेलाइज करने की धमकी देना ।

बागपत का मामला ऐसा उठाया जिसमें एक बात बाकी रह गयी थी कि चौधरी चरण सिंह उसे युनाइटेड नेशन्स ले जाना भूल गये । वहां ले जाते तो ज्यादा बेहतर होता । बागपत में क्या नहीं हुआ । एजिटेशन किया गया । एक कनेडियन यूथ फास्ट पर बैठ गये । आपने एडमिनिस्ट्रेशन को पैरेलाइज करने की धमकी दी । हालांकि सरकार ने कहा कि इंक्वायरी हो रही है लेकिन आप जोरों के साथ एजिटेशन ही करते रहे । क्या यही तरीका डेमोक्रेसी का है । मुरादाबाद में भी वही हुआ । रियासत हुसैन साहब ने मुरादाबाद की बात उठाई और बहुत सी बातें उस बारे में कही । सरकार ने निहायत ईमानदारी और तत्परता से उसे कंट्रोल किया और मुख्य मंत्री ने यहां तक कहा कि जो गिल्टी हैं बेनकाब होंगे, जिन्होंने यह किया है । इसके कुछ कारण थे और मुख्य कारण यही है कि हम एक नेशनल आइडेंटिटी कायम कर सके हैं । इसलिये यह झगड़े और झंझट होते रहते हैं ।

मुझे एक बात याद आती है "पिटी द नेशन डिवाइडेड इटु फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट डीमिंग इट सेल्फ ए नेशन ।" हम इस हद तक पहुंच गये हैं और हम नेशनलिटी कायम नहीं कर सके और उसमें सबसे अधिक कोई बाधक है तो विरोध पक्ष बाधक है । मैं विरोध पक्ष से अपील करूंगा कि यह ऐसा मौका आया है जब आप भारत की प्रगति में रोड़ा न बनें । मैंने जिलों में देखा है और सब जगह देखा है कि विरोध पक्ष के लोग प्रोपोगेन्डा और अराजकता की झूठी बातें चारों तरफ फैला रहे हैं । यकीन मानिये इस मुल्क के ऊपर शासन करना आसान काम नहीं है । मैं आपको यह भी यकीन दिलाता हूं कि आपमें इस मुल्क को चलाने की क्षमता नहीं है । इसलिये चलाने दें । पांच साल इन्तजार करें । यह पूरक बजट आया है इसको पास करें । कोई भी यह अन्दाज नहीं लगा सकता कि कब क्या होने वाला है । हम वचन बद्ध हैं गरीबों को ऊपर उठाने के लिये, अराजकता को समाप्त करने के लिये, शान्ति स्थापित करने के लिये और मुल्क में अमनचैन कायम करने के लिये । हम आशा करते हैं कि गुड सेन्स विल प्रवेल, आई प्लीड फार सैनिटी, आई प्लीड आफ स्टेट्समैनशिप । अपोजीशन इसमें बाधक न बने ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अंग्रेजी अंश का हिन्दी अनुवाद कर दें । श्री लाल प्रताप सिंह मैं इस बात को प्लीड करता हूं कि यहां पर सैनिटी कायम हो, अच्छे विचार कायम हों और इस देश के लोगों के ऊंचे विचार हों ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार जो नौकरशाही के चंगुल में फंसी हुई है, पैसे का दुरुपयोग करने वाली है, वचन भंग सरकार है, जो अपने ही वायदे का अपने ही वचन का और अपनी ही घोषणाओं का पालन न कर रही हो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को अनुपूरक अनुदान के रूप में एक भी पैसा देना, उसको स्वीकृति या सहमति देना प्रदेश की दुखी और पीड़ित जनता के साथ

[श्री मोती लाल देहलवी---]

धोखा विश्वासघात और जाल-फरेब करने के बराबर होगा । मान्यवर, इसी सदन में यह घोषणा हुई थी कि अतिवृष्टि के कारण जो मकान गिर गये थे, बाढ़ आयी थी तो इस सरकार ने यह घोषणा की थी इस सदन में, कि जिन लोगों के मकान गिरेंगे उनको प्रति कच्चे मकान पर 500 रुपया और प्रति पक्के मकान पर 800 रुपया दिया जायेगा । इसके साथ यह भी घोषणा इसी सदन में की गई था कि इस मद में पैसे की कमी नहीं आयेगी । कलेक्टर जितना भी पैसा मांगेंगे उतना पैसा उनको दे दिया जायेगा । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि सरकार नें जो घोषणा की थी 500 रुपया देने की वह नहीं हो रहा है । मैं बहुत से गांव घूम कर आया है, मेरे यहां किसी भी गांव में मकान गिरने के बाद किसी भी हरिजन तक को 500 रुपया नहीं दिया गया । 500 रुपये के वजाय 50-50 रुपया दिया जा रहा है । इसके साथ यह भी हो रहा है कि यदि किसी गांव में 50 मकान गिरे हैं तो केवल 4 को ही 50-50 रुपया दिया गया है । आज भी जिनके मकान गिरे पड़े हुये हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल । उनकी उपेक्षा की जा रही है । यह लोग हरिजनों की बात ज्यादा करते हैं और हरिजनों के साथ धोखा करते ह । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि खासतौर से अनुदान देने में हरिजनों, विधवाओं और मुसलमानों के साथ उपेक्षा वर्ती गयी ह । आज वहां लोग अनुदान नहीं पाये हैं । मैं कई मुसलमान गांवों में घूमकर आया हूं । यह अनुदान किसको दे रहे हैं जिससे कमीशन पा रहे हैं । तहसील का लेखपाल, हाकिम परगना और गांव का प्रधान मिलकर जिसको चाहें दे रहे हैं और यह तीनों मिल कर अनुदान का पैसा लूट रहे है और खा रहे हैं । सही माने में जिसको अनुदान मिलना चाहिये उनको अनुदान नहीं मिल रहा है । तो इस सरकार से क्या उम्मीद की जाय कि यह पैसे का सदुपयोग करेगी । अब तक जो देखने में आया है उससे नहीं मालूम होता कि यह पैसे का सदुपयोग करेगें । यह सरकार न तो अपराधियों न महंगाई को नियंत्रित कर पायी है और न सड़कों की मरम्मत कर पा रही है, चोर बाजारी बढ़ रही है । वरसात में तमाम सड़कें टूट गयी ।

मैंने अपने वजट भाषण में कहा था कि अगर यह सरकार कुछ करना चाहती या इनका कुछ करने का इरादा होता तो घोषणा की होती कि जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने जिन सड़कों पर मिट्टी डाली थी उन पर कम से कम खडंजा बिछा दिया जायेगा, उन पर पुलिया बना दी जायेंगी । आज कहीं भी यह नहीं हो रहा है । यही घोषणा की होती कि जिसकी वजह से बाढ़ आती है, पानी भरा रहता है फसल डूबी रहती है उनके कारणों को दूर किया जायेगा । अगर सरकार का यह इरादा होता तो मुझे को खुशी होती और कहता कि उन्हे अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति मिलनी चाहिये । लेकिन मैं जानता हूं कि इनका कोई इरादा ऐसा नहीं है, यह सरकार पैसे की अय्याशी करने वाली है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी---

पैसे की अय्याशी पूर्णतया संसदीय शब्द है । मैं जानता हूं कि पैसे का सदुपयोग नहीं होगा । जिस तरह से सदुपयोग होता आया है उसी तरह से इस

अनुपूरक अनुदान का भी दुरुपयोग होगा इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि पैसे के दुरुपयोग के लिए अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति नहीं मिलना चाहिये ।

*श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, सबसे पहले मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में मुझे यह कहना है कि हमारे जनपद में और खासकर हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क आनन्तगंर जो तहसील मुख्यालय है वहां से एक सड़क नौतनवा से होते हुए काठमांडू और लासा तक को मिलाती है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सड़क अभी तक वैसे ही पड़ी हुई है । पिछली सरकार ने 1979–80 के बजट में उसके आधुनिकीकरण के लिए मंजूरी दी थी लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ और न उस सड़क को बनाने के लिए पैसा रखा गया है नतीजा यह है कि काम रुका पड़ा है उसी सड़क पर आगे चलकर बृजभान गंज से कोहुयाई को मिलाने वाली सड़क पर 80 मीटर सड़क ऐसी है जिसको बनवाना बहुत जरूरी है, जिससे नौतनवा से बृजभानगंज तक सीधे यातायात की व्यवस्था हो जायेगी । उस सड़क के लिए हमने बार–बार आग्रह किया है, पर उसे नहीं बनवाया गया । पिछली बार किसी तरह वह मंजूर भी हुई, किन्तु इसे अधूरा अधर में डाल दिया गया है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें प्राथमिकता के आधार पर इस सड़क को बनवाने का कार्य किया जाये । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ ।

अब सिंचाई व्यवस्था के बारे में सिंचाई मंत्री से कुछ कहना चाहता हूं । कहा यह जाता है कि वहां कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां नहरें हैं और कुछ ऐसा है जिसमें नलकूप हैं । किन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे यहां न नहर हैं और न नलकूप हैं । नलकूप जो हैं, वह टूटे पड़े हुए हैं, कुछ नाम मात्र को हैं । फारेंदा वह क्षेत्र है जहां जरा भी वर्षा कम होती है तो वह क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है, चूंकि वहां नलकूपों और नहरों की संख्या नगण्य है । इसलिए वहां पर राजकीय नल अधिक मात्रा में लगाकर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराया जाये ।

बाढ़ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं । हमारे यहां कुछ गांव ऐसे हैं, जो बरसात शुरू होने से लेकर आज तक बाढ़ से घिरे हुए हैं और वहां हजारों मकान ध्वस्त हो गये है । सर्वाधिक प्रभावित गांव करखी, करमहा, कमनहा, वैसार, रामपुर, बसहवा, हथिगढ़वा, पुरन्दरपुर, पचरूखी, छितदी, पोआ, गारैया, बनकटा, सनगद, ककटही, चौका–कोमर, खड़खड़िया, रामकोला, बेलमानकेटकी आदि हैं इसमें सिंचाई मंत्री जी के भी कुछ गांव शामिल हैं । यहां से पानी न निकल सकने के कारण खरीफ की फसल नहीं हो पाई और रबी की फसल भी चली गई । इसलिए इन ग्रामों के लिए मकान अनुदान दिलवाये जाये और सहायता कार्य और अधिक तेजी के साथ किया जाए । इसके साथ ही वनदेइया बंधे तथा कोइलाडाड़ में एक–एक रेगुलेटर लगवाया जाये ।

अन्त में मैं वन विभाग के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद मे टांगिया काश्तकारो की संख्या सर्वाधिक है । उन्हीं के बलबूते पर वन विभाग कायम है और रेवेन्यू का उससे बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है । लेकिन वहां आज भी सामन्तशाही है और वे अब भी जंगली स्थिति में रह रहे हैं । उनको न जमीन मिलती है औ न वेतन मिलता है । उनके पास मकान नहीं हैं, उसका इन्तजाम किया जाये । इस विभाग में सबसे अल्प वेतन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्याम नरायन तिवारी---]

भोगी ठूठ लिपिक होते हैं, जिनको केवल तीन माह काम मिलता है और 175 रुपया माहवार वेतन मिलता है । इनकी हालत बड़ी दयनीय है, इनके बारे में मेरा अनुरोध है कि इनको नियमित और स्थायी किया जाये, जो पुश्त दर पुश्त जंगल में काम करते रहते हैं ।

अन्त में गृह विभाग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सुनियोजित ढंग से हमारे प्रदेश में माइनारिटीज को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है । जो ताकतें स्थायित्व को कायम करना चाहती है और अच्छा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाना चाहतीं हैं, उनके प्रति नफरत का भाव कुछ साम्प्रदायिक ताकतें पैदा कर रही हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाय । आज ही श्री अम्मार रिजवी साहब इस बात की घोषणा करें कि एक स्टैन्डिंग कमेटी बनाई जाय जो प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने का प्रयास करे जिससे अराजक तत्व हमारे प्रदेश में विषवमन और अस्थिरता का वातावरण पैदा न कर पाये । आज माइनारिटीज को...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं माननीय सदस्य, गोरखपुर, को एक सूचना देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए प्रान्तीय स्तर पर एक "राष्ट्रीय एकीकरण कमेटी" का गठन शीघ्र ही होने वाला है । अतः जो बात आपने कही है उसकी पूर्ति शीघ्र ही हो जायेगा ।

*श्री ध्रुपराय---

मान्यवर, अभी भी बजट सत्र चल रहा है । मूल बजट तो पास हो चुका है लेकिन आज अनुपूरक बजट के रूप में हमारे सामन आया है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में काफी कार्य-क्रम हमारे सामने पेश किए हैं । इसमें 90 हजार करोड़ रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट का खर्च होने जा रहा है जिसमें से काफी रुपया हमारे मुख्य मंत्री जी वहां जाकर ले आये हैं । करीब-करीब 15-20 हजार करोड़ रुपया उसमें से उत्तर प्रदेश में आ रहा है । आज जो अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत है, उन्हीं अनुदानों के हिसाब से है और उसका वितरण हुआ है । ऐसा रुपया जो प्रदेश की उन्नति के लिए है, उसमें खेती, उद्योग, विद्युत, पुलियों, सड़कें और नहरों के निर्माण कार्य हैं । बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो सकता है और बार-बार उसके लिए पैसा लेने ही पड़ता है और उसको प्राप्त करने के लिए अनुपूरक बजट पेश ही करना पड़ता है । जो काम हम प्रान्त की चतुर्मुखी उन्नति के लिए करना चाहते हैं, उसमें जो पैसा लगता है, मैं समझता हूं कि विरोध पक्ष को उसका विरोध नहीं करना चाहिए । उन्हें प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को कायम करने के लिए सरकार को सहयोग देना चाहिये । कोई भी सरकार हो चाहे विपक्ष की ही सरकार हो, बिना शान्ति व्यवस्था स्थापित हुए कोई उन्नति नहीं कर सकती है ।

विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से मेरी एक और प्रार्थना है कि उन्हें हमारी पुलिस का जो आत्मबल है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसकी ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर वे शान्ति व्यवस्था कायम न कर सके तो इसमें गरीब भाइयों और मिडिल क्लास वालों को ही तकलीफ उठाना पड़ेगी। अगर चोरी-डकैतियां पड़ती हैं तो व्यवस्था ठीक नहीं चल पाती है। पुलिस में सुधार करना तो ठीक है लेकिन यह कहना कि पुलिस की गड़बड़ी से ऐसा हुआ है, मैं नहीं सोचता हूं। पुलिस का सिस्टम वर्ष 1816 में अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बाद 1903 में अंग्रेजों ने एक कमीशन बैठाया था। उसकी जो रिपोर्ट आयी थी उसमें लिखा था कि--

"इन्डियन पुलिस सिस्टम इज अन्डर डेवलप एण्ड इज नाट करेक्ट एण्ड इज नाट एबल टु सर्व दि कांज आफ दि पापुल।"

लेकिन उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। बहुत सी चीजें बदलीं और पुलिस में भी कुछ सुधार आया, लोगों के सम्पर्क में आये, कुछ थोड़ा सा ही उनमें सुधार आया।

हमारे गवर्नर के अभिभाषण में रखा गया था कि इनके लिए एक ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किया जायेगा। उसमें कान्सटेबिल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो सबसे अधिक जनता के सम्पर्क में आते हैं और उनकी उप माहौल पर ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें वे अधिकाधिक जनता की सेवा कर सकें। लेकिन इंगलैंड की पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस माना गया है। उनका कहना था कि मेरी केवल इच्छा यही है कि हमारे यहां ब्रिटिश टाइप की पुलिस हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह जरूर होना चाहिये कि हमारे यहां की पुलिस में सुधार हो। कानून और व्यवस्था की हालत में सुधार हो। अमन कायम होना चाहिये। पर इसमें हमारे विरोध पक्ष का भी सरकार का सहयोग करना चाहिये।

मान्यवर, इस अनुपूरक बजट को पास करने से हमारे प्रदेश की उन्नति होगी। जैसा कि हमारी सरकार चाहती है हमारा लक्ष्य 6.4 प्रतिशत प्रदेश की प्रति वर्ष आय बढ़ाना है। यह एक अच्छा ख्याल है। देखा जाये तो यह आमदनी 5 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाना चाहिये, पर अगर 6 परसेंट या इससे ऊपर जाती है तो यह तो इस सरकार का प्रशंसनीय कार्य है, इसलिये विरोध पक्ष को चाहिए कि वह इस अनुपूरक बजट को पास करे। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री खैरुल बशर--

अधिष्ठाता महोदय, अनुपूरक अनुदानों का जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि एक तो यह सरकार दिलो दिमाग को खो चुकी है, दूसरे सरकार के पास कोई विवेक नहीं है। उसे अपने भूत और भविष्य का भी ज्ञान नहीं है।

आज मान्यवर, चीनी के बारे में जो बात कही गई है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, मगर यह सही है कि चीनी में चोर बाजारी को इस सरकार ने वैध घोषित कर दिया है, व्यापारी चाहे जिस भाव से बेचे। ईद और दशहरे के अवसर पर चीनी की मात्रा बढ़ा दी जाती थी, हर त्यौहार पर वह बढ़ा कर मिलती थी, इस त्यौहार पर उसे भी घटा दिया गया है। चीनी की मात्रा कम कर दी गई है। देहात में जो चीनी जाती है वह 95 फीसद कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है, गांव के तो एक आदमी को भी वह नहीं मिल पाती। सप्लाई विभाग में जितना भ्रष्टाचार पल रहा है उतना कहीं नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरुल बशर--]

सीमेंट के बारे में हाल यह है कि हमारे यहां 25 हजार बोरी सीमेंट लैप्स कर गयी । लोगों को नहीं मिली, चोर बाजारी में 80 रुपये की बोरी बिक रही है सीमेंट की । शरीफ आदमी कोई भी सप्लाई दफ्तर नहीं जाना चाहता ।

बिजली की हालत यह है कि हमारे यहां जलालपुर-फैजाबाद के लोग आये थे, उनके यहां की बिजली काटी जा रही है, जुलाई 1979 से फरवरी, 1980 तक 2 घंटा भी बिजली नहीं दी गई । जिस कारखाना को 2 घंटा बिजली न मिले और उसकी बिजली काट दी जाये यह कहां का इंसाफ है । आज बिजली न मिलने के कारण वह कारखाना बैठ गया ।

अभी आज पढ़ा कि सरकार ने 21 जिले डिस्टर्व जिले घोषित किए हैं । मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने अपने को ही डिस्टर्व सरकार घोषित क्यों नहीं किया । यह सरकार आज डिस्टर्व सरकार है जिसके पास कोई विवेक नहीं है, कोई नीति नहीं है, जो दीवालिया हो चुकी है, प्रदेश की जनता का जो विश्वास खो चुका है और पूंजीपतियों के चंगुल म हुई है । हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है । आज वह अनुपूरक मांगों को लेकर यहां पर आये हैं और ऐसी परिस्थिति हमारे देश में पैदा कर दिया है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं, हमारे प्रदेश के अन्दर वह लोग जिन्होंने आपको वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी को, उन लोगों को आपने, न जाने सरकार के ऊपर क्या जनून समाया है, उनको मच्छर और मक्खियों की तरह से कुचल कर रख दिया । मुरादाबाद में जितना कान्ड पी० ए० सी० ने किया और उसके बाद पुलिस को यहां इनाम दिया जा रहा है । ऐसी परिस्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप धीरज रखिये 5 साल मुझे काम करने दीजिए, मुझे याद है ।

मान्यवर, जब चुनाव हो रहा था, तो इंदिरा कांग्रेस का प्रचार महंगाई को लेकर किया जा रहा था और हम लोगों का विरोध किया जा रहा था । जिस राज्य की छत्रछाया में बेकारी, भ्रष्टाचार अपनी चरमसीमा पर पहुंच गयी हो, वही हमको शिक्षा दे रही है । मुरादाबाद में क्या हुआ, आज भी नहीं दिखाई देता, अलीगढ़ में क्या हुआ, क्या वह भी दिखाई नहीं देता । जेल भरो आंदोलन लेकर भी आ गये थे । उस समय विरोधी पक्ष पर हमला जो था वह कहां गया था । इसलिए यह केवल एक पारसी की कहावत है कि "खुदरा नसीहत, दिगरा फजीहत ।" तो मान्यवर, यह सरकार हमको, सबको सिखा सकती है, लेकिन अपने को, सबको सिखाने के लिए तैयार नहीं हैं । नियमों का उल्लंघन करना, वसूल को तोड़ना और खर्च इस तरह से किया कि एक-एक डिपार्टमेंट के अन्दर हर मंत्रियों के अपने खर्च बड़े पैमाने पर हैं । आज प्रदेश के अन्दर इसका रिकार्ड नहीं मिलता । तो ऐसे समय में सदन का समय ज्यादा न लेकर इन अनुदानों का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसका विरोध करेगा ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, आपने जो समय मुझे अनुपूरक अनुदानों के बजट पर, अपने विचार रखने के लिए समय दिया है, मैं आपकी आभारी हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जब उधर की बातें होती हैं, मैं सोचती हूं कि शायद कुछ ऐसी सही बातें मिल जायं, जिसका अनुभव हम लोग कुछ प्राप्त कर सकें। दो-तीन बातें ऐसी कही गयीं कि जैसे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है, कुछ और बातें अधिक बढ़ी हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने विरोधी सदस्यों से कहना चाहती हूं कि अगर हमारी नीयत भ्रष्टाचार की होती तो शासन में आते ही जो जमाने में एक दवाइयों का घोटाला हो रहा था, उसे हम पकड़ते नहीं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते। लेकिन जैसे ही हम शासन में बैठें सबसे पहले दवाइयों का घोटाला पकड़ा और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया कि हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम बड़ी पूंजीवादी विचार-धारा के हैं। मान्यवर, वह इसकी परिभाषा को जानने की जरा कोशिश करें। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की बागडोर ली, एक प्रगतिशील विचार-धारा के सदस्यों के साथ साथियों के साथ तो हमने लड़ाई ली उन लोगों से जो पूंजीवादी विचारधारा के थे। हम उन प्रोग्रामों को लेकर जमीन में उतरे। मान्यवर, जो पूंजीवादी विचारधारा के बीच में फंसे हुए थे, हम लोग जमीन में उतरे। मान्यवर, यह हमारी पूंजीवादी विचारधारा है या पूंजीवादी विचारधारा से यह पूंजीवादी विचारधारा से उन कायक्रमों को लागू करने के काम को छोड़ना है, जो हमारा सिद्धान्त है और हमने स्मगलरों को पकड़ा। जो बहुत बड़े तस्कर थे, बक्शी और हाजी मस्तान इनको पकड़ने में हम सफल हुए और आज हमारे ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने मिली-जुली सरकार बनायी और महात्मा गांधी की समाधि पर झूठी कस्में खाईं, देश को ऊपर उठाने की कस्म खाई। देश की गरीब जनता को, पिछड़ी जाति को ऊपर उठाने की कसम खाई, लेकिन क्या और आज हमारी सरकार को निकम्मी सरकार कहते हैं (शोर)।

एक सदस्य—

आपके राज्य में कौन से वायदे पूरे हो रहे हैं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

जब आप हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, तो हम सुनते रहते हैं और जब हम बोल रहे हैं तो आप भी खामोशी से सुनना सीखिए, अब चिल्ला क्यों रहे हैं। इसलिए जो हमारी अनुपूरक मांगे हैं वह एक विचारधारा और कार्यक्रमों के तहत है और जो आप सपना देख रहे हैं, वह कभी पूरा होने वाला नहीं है और जैसी जनता को हमारे नेतृत्व पर और श्रीमती गांधी के नेतृत्व पर विश्वास है और आस्था है, उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे संसदीय कार्यमन्त्री जी ने बजट रखा है, उसका मैं सम्मान करती हूं और विरोध पक्ष की जो भावनाएं हैं, उनका विरोध करती हूं।

(शोर)

*श्री धनीराम—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। जो अनुपूरक अनुदान की मांग पेश की गयी हैं, वह जनता को गुमराह करने वाला शासकदल धन का दुरुपयोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धनी राम---]

करने वाला या यूं कहिए कि यह जो अनुपूरक मांगे पेश की गयी हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि शासक दल धन का दुरुपयोग कर रहा है और जो खर्चे का ब्योरा दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि कोई भी स्थायी प्रगति के लिए धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सहकारिता विभाग की जो अनूपूरक मांगे हैं और जो उनकी ब्याज दर 9 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक है, उसको कम करते तो मैं समझता कि सचमुच जनता के हित को ध्यान में रखकर मांग की जा रही है और साथ ही साथ यदि प्रदेश में जो नयी योजनाएं सिंचाई की थीं और नयी सड़कें बनाने की योजनाएं थीं, उनको दृष्टि में रखकर कुछ किये होते तो मैं समझता कि यह अनुपूरक मांगे ठीक हैं और यह पैसा सदुपयोग में खर्च होगा।

अभी जो पिछले दिनों बाढ़ आयी, वह खासतौर से इटावा में अधिक भीषण बाढ़ आयी। जैसा कि वहां के लोगों का कहना है कि सैकड़ों वर्ष पहले ऐसी बाढ़ कभी नहीं आयी। इस विषय में शासन का कहना है कि प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके पास ढाई एकड़ से कम सिंचित जमीन है, उसे डेढ़ सौ रुपया और हाउस सब्सीडी के रूप में 500 रु० प्रदान किया जायेगा। लेकिन मान्यवर, मैं आप के माध्यम से शासन को बताना चाहता हूं जैसा कि हमारे सुनने में आया कि अभी तक वहां कोई रुपया प्रदान नहीं किया गया और हमारे तहसील में हाउस सब्सीडी तक नहीं दी गयी और यह भी सुनने में आया कि गांव के लोगों में यदि किसी को पैसा दिया भी गया है तो रुपये दिये गये हैं 25 और लिखाया गया है 125 और 225 और 20 के आगे 2 बना दिये गये या 25 के आगे एक बना दिया यह काली करतूत की जा रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधूना और औरैया तहसील में कोई भी स्थायी एस० डी० एम० नहीं है। विधूना का एस० डी० एम० औरैया में और औरैया में तो एस० डी० एम० नाम का कोई पदाधिकारी है ही नहीं। वहां पर एक एस० डी० एम० नियुक्त है जिससे शासन दल के लिये मनमाने ढंग से किसी गांव में एक हजार किसी गांव में 500 सहायता बटवा रहे हैं और मान्यवर, शक्कर की तो यह हालत है कि शक्कर का परमिट ऐसे डीलर्स को दिया जा रहा है जिनके ऊपर 3/7 का मुकदमा चल रहा है और यदि उनको नहीं दिया गया तो उनके ही परिवार के किसी अन्य सदस्य को दिया गया है। मान्यवर बहुत से ऐसे गांव भी मिलेंगे जहां 2 महीने और 4 महीने में भी शक्कर का एक दाना भी नहीं मिला होगा और अगर आपका विश्वास न हो तो हमारे यहां हरचन्द्रपुर एक बहुत बड़ा गांव है वहां सितम्बर के महीने में एक दाना चीनी नहीं मिली है आप जांच करवा लें और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं पुनः अपनी बात कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच शासक दल जन कल्याण की भावना रखता है तो गरीबों पर दया करो और गरीबों के ऊपर जो जुल्म ढाये जाते हैं उनकी छानबीन कराकर पुलिस आफिसर पर और पुलिस अपराधियों पर जो गलती करते हैं कार्यवाही करें और उनको सजा दी जाय। मान्यवर, पुलिस विभाग का कोई दरोगा गलती करता है और उसकी शिकायत होती है तो उसकी जांच पुलिस विभाग की डी० एस० पी० से कराई जाती है यह नितान्त गलत है पुराना तरीका है अंग्रेजों के जमाने का चला आ रहा है इसको बदलना होगा। कोई दरोगा गल्ती करता है और डी० एस० पी०

उसकी जांच करता है, तो वह सही बात को सामने नहीं रखता है और झूठी इंक्वायरी की जाती है और शिकायतकर्त्ता जो निरीह है, निर्दोष है, सताया जाता है । यह पुराना ढर्रा चला आ रहा है यह काम गलत है । साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि विधूना और औरैया तहसील में भयंकर सूखा पड़ा तथा 10 और 12 रुपये में डीजल खरीद कर जो रबी की फसल तैयार की गई वह ओला पड़ने के कारण 12 आने से 16 आने तक नष्ट हो गई । मान्यवर, वहां का जन जीवन तबाह है और किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई । सहायता के नाम पर भगवान का सहारा है ।

मान्यवर, शासक दल के लोग अपने क्षेत्रों में मनमाने ढंग से बाढ़ सहायता बटवा रहे हैं । मान्यवर, मैं कहता हूं कि बाढ़ पीड़ितों की सचमुच सहायता करनी है तो खाद, बीज की व्यवस्था की जाय नहीं तो आधे से अधिक खेत बिना बोये रह जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदान का विरोध करता हूं और सरकार से पुनः अपनी मांगों पर कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

*वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में कुछ कहने का अवसर दिया । मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और उससे आपको सहायता मिलेगी इस पर चर्चा करने की । सबसे पहला प्रश्न यह उठा कि यह संवैधानिक है या नहीं । यदि कोई किसी विशेष सेवा पर चालू . . . ।

श्री मोती लाल वेहलवी--

अपनी ही कमजोरी को दबाने की बात है ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया यह बतायें कि आपका यह उत्तर भाषण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं, मैं ब्रेकअप दे रहा हूं ।

मान्यवर, कुल 310·37 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है । इसमें राजस्व व्यय 190 करोड़ का है जिस से आयोजनागत 153.54 तथा आयोजनेत्तर 37·23 करोड़ हैं । पूंजीगत व्यय 66·97 करोड़ है । आयोजनागत 62·30 तथा आयोजनेत्तर 4·60 करोड़ । ऋण और अग्रिम मान्यवर, 52·63 करोड़ है जिसमें आयोजनागत 50·93 तथा आयोजनेत्तर 1·70 करोड़ हैं । इस प्रकार आयोजनागत 266·77 करोड़, आयोजनेत्तर 43·60 करोड़ हैं । कुल 310·37 करोड़ का है ।

मान्यवर, राज्य आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित धनराशि आयोजनागत 46 करोड़ 40 लाख है । आयोजनेत्तर 9 करोड़ 88 लाख है ल 56 करोड़ 28 लाख हैं । भारत सरकार से प्राप्त निःशुल्क खाद्यान्न के समतुल्य राशि जिसके सम्बन्ध में समायोजन किया जाना है आयोजनागत 75 करोड़ है । बाढ़ कार्यों पर व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि 33 करोड़ 15 लाख हैं । शेष धनराशि बजट में प्राविधानित धनराशि से वहन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्म दत्त]

होगी । 10 करोड़ रुपये की राशि जो क्षेत्र विकास निधि से वहन की जायेगी । पुलिस कल्याण निधि को 5 करोड़ रुपये की राशि का संक्रमण तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को इस निधि से अतिरिक्त ऋण दिये जाने हेतु आयोजनागत में 5–5 करोड़ रुपये हैं । राज्य आयोजना के आकार में वृद्धि से सम्बन्धित धनराशि तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित केन्द्रीय आयोजना योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि 121 करोड़ 7 लाख है । आयोजनेत्तर नई योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि में 2 करोड़ 55 लाख रुपये नई पुलिस बटालियन हेतु तथा 82 लाख रुपये पुलिस की वर्दी का पुनरीक्षण तथा एक करोड़ तकाबी हेतु है । कुल 4 करोड़ 87 लाख रुपये है । इस प्रकार मान्यवर, कुल 310 करोड़ 37 लाख रुपये का है, बनता है।

इस समय एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस समय हमने पूरा बजट प्रस्तुत किया था उस ससय यह चीज नहीं थी कि आकार क्या होगा योजना का । योजना का आकार बढ़ा है उसके खर्चे की व्यवस्था करने के लिए अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है । इससे प्रदेश के विकास में सहायता मिलेगी । बाढ़ सुरक्षा हेतु जो धन मिला है उसका उपयोग समय से हम कर पायेंगे ।

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र––

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । एक शेर की लाइन याद आ गई––

वक्त जब गुलशन पर था तब लहू हमने दिया,
अब चमन में बहार आयी तो कहते हैं तेरा काम नहीं ।

मान्यवर, अभी–अभी मोहन सिंह जी उठकर चले गये । कम से कम उनके जैसे आदमी को, उनकी सुसज्जित भाषा तो कम से कम मैं सुनना चाहता था लेकिन उनसे मैं यह भी सुनना चाहता था कि जो भी हमारी सरकार के माध्यम से अच्छे काम हो रहे हैं, उसकी वह तारीफ करेंगे । बिना तारीफ किये वह चले गये । मान्यवर, आजाद होने के बाद इन 30 सालों में हमने पता नहीं कितने अच्छे–अच्छे काम किये हैं और देश और प्रदेश को एक सुन्दर दिशा दी है लेकिन उन सारी बातों को यह हमेशा भूलने की कोशिश करते हैं ।

श्री कुबेर भण्डारी––

मैं आपके स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देवरिया जिले में कितने लोग मरे हैं पता कर लीजिये ।

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र––

मैं सम्मानित सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह इसे मंत्री जी से पूंछ लेंगे ।

मान्यवर, सवाल इस बात का है कि हमने इस देश को क्या दिया । इस देश में क्या था और आजादी के 30 सालों के बाद हमने इसको क्या दिया । हमने जो दिया है वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है । लेकिन दुर्भाग्य से यह इतिहास को झुठलाना चाहते हैं और जागरफी को फेल करना चाहते हैं । इतिहास को गलत साबित कर द तो कोई बात नहीं लेकिन जागरफी को गलत साबित

करना ठीक नहीं है । हमनें स्वास्थ्य में क्या तरक्की की, नियोजन में क्या तरक्की की, स्वायत्त शासन में क्या तरक्की की, इरीगेशन में क्या तरक्की की, हमने किस क्षेत्र में तरक्की नहीं किया । हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है । सार्वजनिक निर्माण विभाग को देख लीजिये । इस कोने से लेकर उस कोने तक, पूर्वान्चल से लेकर पश्चिमांचल तक और उत्तरांचल से लेकर दक्षिणांचल तक सड़कों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ।

मान्यवर, अभी हमारे त्रिपाठी जी बोल रहे थे, मान्यवर, यह बात तो हर आदमी कह सकता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है । लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के जनक और जननी कौन हैं । अगर इसमें गुरेज की बात न हो तो मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के जनक हम और जननी आप हैं । हम और आप अगर इसको समूल नष्ट करना चाहते हैं तो हमको कुछ करना होगा । हम यहां भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं और सदन से बाहर निकलते ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है । पुलिस विभाग के बारे में कहा जाता है प्रशासन को चलाने के लिए, नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए इसका होना जरूरी है कि पुलिस विभाग हो । विभाग बुरा नहीं है व्यक्ति बुरा हो सकता है अगर व्यक्ति बुरा है तो उस पर आपकी निगाह होनी चाहिये, उस तक आपकी निगाह होनी चाहिये और उसको सरकार के सामने खड़ा करना चाहिये ।

मान्यवर, काउन्टर की बात चल रही है । देवरिया जिले में काउन्टर हो रहे हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काउन्टर उन बदमाशों के होने चाहिये जो कम से कम 2-4-10 मर्डर करते हों, 2-4-10 डकैतियां करते हों । लेकिन काउन्टर में निरीह और गरीब लोगों को किसी के कहने पर दरोगा जाकर मार देते हैं और रुपया लेते हैं । इस पर आपका नियंत्रण होना चाहिये । अंत में मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अनुदान जरूर मिल रहा है, लेकिन देवरिया जिले में इनसे फेलाइटिस से पचासों आदमी नित्य प्रति मर रहे हैं । मैंने लिख कर दिया है लेकिन नहीं लिया गया, क्वेश्चन दिया है लेकिन नहीं लिया गया । देवरिया जनपद में पडरौना में अस्पताल में आप इन्क्वायरी करा लें निश्चित रूप से 10-15 आदमी रोज मर रहे हैं । स्वास्थ्य मंत्री जी, आप मेरी बात पर ध्यान दें । पडरौना में लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और नित्य प्रति इनसेफिलाटिस से दम तोड़ रहे हैं । आपकी व्यवस्था जरूर है लेकिन मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन मरती हुयी लाशों के लिए दवा की व्यवस्था करें ।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं समझता हूं कि सरकार के हाथ में जो रुपया जायगा उसका दुरुपयोग होगा और यह प्रदेश के हित में लगने वाला नहीं है । पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि पी0 ए0 सी0 की बटालियन्स को बढ़ाने जा रहे हैं । अभी 24 वाहिनियां हैं, 3 की वृद्धि करके यह 27 वाहिनियां हो जायंगी और इनके द्वारा दस्यु दल समस्या का हल करेंगे । मान्यवर, यह क्या करने जा रहे हैं उसका नमूना तो जहां-जहां वाहिनियां हैं और जो वह कर रही हैं वह उसी से समझ में आ रहा है । हमारे यहां की स्थिति यह है, जालौन,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शंकर सिंह--]

इटावा, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी में श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां आज गांवों में आदमी का रहना मुश्किल है । छविराम, मलखान, घनश्याम, विजय सिंह, मुस्तकीम, फूलन देवी, फौजी न जाने कितने, हर रोज नये-नये गिरोह पैदा हो रहे हैं ।

(इस समय 2 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

और सरकार तमाशा देख रही है । सरकार एक गिरोह का भी सफाया नहीं कर पा रही है । इसलिए मान्यवर, सरकार इसकी जांच करायें कि एक भी डाकू मारा गया हो । डाकू बिक्रम मारा गया, पुलिस ने यह कहा और बड़े-बड़े अधिकारी वहां गये और इनाम बांट दिया गया लेकिन गांव के एक-एक बच्चा जानता है मंत्री जी भी जानते हैं, कि गांव के लोगों ने उसको देखा कि आपसी लड़ाई डकैतों में चली जिससे उसके गिरोह के लोगों ने उसको मार दिया । बाद में पुलिस वहां पहुंच गई, जैसे कि जानवर मरने के बाद गीदड़ उस पर टूट पड़ते हैं, और पुलिस ने कहा कि इनकाउन्टर में हमने बिक्रम डाकू को मारा है ।

तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या इसकी जांच करायेंगी । पुलिस ऐसे लोगों को मारती है जिनको कि गांव से पकड़ कर ले जाती है और फिर उसको डकैतों में फरार दिखाया जाता है और जंगल में इनकाउन्टर दिखाकर उसको मार दिया जाता है । इसलिए जहां डाकू मारे जाते हैं वहां आपस के डकैतों की लड़ाई होती है और उसमें वह मरे जाते हैं और पुलिस कहती है कि हमने उसको मारा है । इसलिए मान्यवर, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये और इसकी जांच होनी चाहिये ।

मान्यवर, जालौन में पिछले 15 दिनों में 10-12 अपहरण दस्यु दल द्वारा किये गये हैं । कालपी में लोग पकड़े गये । वहां 30 हजार की आबादी है। तहसील और ट्रेजरी के पीछे से श्री नारायण त्रिपाठी, एडवोकेट के 15 साल लड़के का अपहरण हो जाता है जिसका पुलिस पता नहीं लगा पायी । हमीरपुर से उरई बस जाती है उसको लूट लिया गया और दो व्यक्तियों का अपहरण किया गया । एटा से कोंच जाती हुई ट्रेन लूटी गयी जिसको नियम 301 में यहां सदन में उठाया गया लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं दी गयी । ग्राम बरखौरा में ट्रैक्टर चलाते हुए किसान को पकड़ा गया । इसी तरह दो दिन पहले पता चला कि मलखान का गैंग आया, ग्राम कुरौली में दो व्यक्तियों को जान से मार दिया गया और दो व्यक्तियों को वह पकड़ कर ले गये जिसका सरकार पता नहीं लगा पायी। इसका नतीजा है कि हमारे यहां सारे विकास के कार्य जालौन में रुके पड़े हैं । ट्यूबवेल और नहरों की खुदाई होती है लेकिन सिंचाई विभाग को कोई भी कर्मचारी वहां जाने से कतराता है क्योंकि आपके अधिकारी वहां अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं । जैसे आई0टी0आई0 के प्रिंसिपल को उरई जिले के मुख्यालय से दस्यु दल उठा ले गया और एक महीने बाद एक लाख रुपया दिये जाने पर उनको दस्यु दल ने छोड़ा । इसी तरह एक ओवरसियर और एक ठेकेदार को दस्यु दल उठाकर ले गये हैं और उनके रुपये देने पर उनको छोड़ा है लेकिन सरकार कहती है कि इन लोगों को हमने छुड़ाया है । इस तरह जब आप अपने अधिकारियों को नहीं बचा सकते हैं तो जनता के लोगों को कैसे बचायेंगे । इससे आपके जमाने में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । इसलिए जिलों में खासकर जालौन में व्यवस्था करें जो वाहिनी के लिए पैसा मांगा है वह उस पर खर्च करें तो ठीक है वरना अनुचित है ।

माननीय, आज किसानों के लिए सिंचाई आवश्यक है। लेकिन जिसने ट्यूबवेल हैं उनकी लाईनें टूटी हैं और बाढ़ के कारण बिजली के खंभे उखड़ गय हैं किन्तु बिजली विभाग उनको ठीक नहीं करता है। इसी तरह नालियां टूटी हैं, पाईप लाईने टूटी हैं लेकिन सिंचाई विभाग उनको ठीक नहीं कराता है। डीजल किसानों को नहीं मिल पा रहा है जिससे किसान की बोआइं रुकी पड़ी है। पी0 डब्यू0 डी0 की सड़कें टूट गयी हैं लेकिन अभी तक मरम्मत कार्य उनका शुरू नहीं हुआ है। रास्ते जाम हो गये हैं। इसका आवश्यक प्रबन्ध करवाएं। इन शब्दो के साथ मैं अनुपूरक बजट की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

परम आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट की मांगों के समर्थन में खड़ा हूं। अभी आपने विरोधी पक्ष और शासन पक्ष के सम्मानित सदस्यों के विचार सुने। उससे ऐसा लगा कि विरोध पक्ष केवल एक बात कुरेदना चाहता है, शासन पक्ष यदि कोई अच्छी बात भी करे और धन बढ़ा कर भी प्रदेश की सेवा करना चाहे, प्रदेश के तमाम वर्गों के लोगों की सुख-सुविधाएं मुहइया करने के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि इससे शासन की छवि अच्छी हो जायगी, तो उनके मन में पीड़ा होती है और वह विरोध करते हैं। मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शासन ने अनुपूरक मांगों द्वारा जो वित्तीय व्यवस्थायें की हैं, उसके लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ इसमें 75 करोड़ रुपय की धनराशि जो केवल पुस्तक समायोजन के रूप में केन्द्रीय शासन के द्वारा प्राप्त फूड फार वर्क की योजना के अन्तर्गत मिला है, उसका बुक अकाउन्ट का ऐडजस्टमेंट करने के लिए जो प्राविधान किया है उसमें अधिक देर नहीं लगती है। लेकिन फूड फार वर्क योजना के अन्तर्गत कहीं-कहीं जो गड़बड़ियां हो गयी थीं उस ओर माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे। केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले शासन में जो सड़कों पर कार्य शुरू हुआ, तो सड़कों को लेने में फूड फार वर्क में पालिटिक्स घुस गयी। तमाम उन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया जो प्राथमिकता पाने के हकदार थे।

माननीय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस और प्रशासन के सम्बन्ध में जहां पर यह प्रश्न उठता है कि पुलिस की तरफ से कितनी ज्यादतियां और गलतियां हो रही हैं, मैं आपके माध्यम से विरोधी पक्ष के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शासन के उचित कार्य के सम्पादन में या सहयोग के लिए उनसे भी अपेक्षा की जाती है। बागपत के एक कांड में अगर कहीं कोई दरोगा विशेष का नाम आया, कानून का सहारा न लेकर, शासन की वकालत नहीं की, बल्कि जब वह जा रहा था तो उसकी हत्या कर दी गयी। इसलिए सोचना पड़ेगा कि कानून के तहत रहते हुए प्रजातन्त्र की व्यवस्था का कैसे परिपालन हो सकता है, इसमें माननीय सदस्य और माननीय सदन सहयोग दें।

अभी मुरादाबाद और इलाहाबाद या अलीगढ़ जहां कहीं कोई ऐसी बातें होती हैं, चाहे शासन को बदनाम करने के लिए होती हों, शासन तो बदनाम होता है लेकिन इससे प्रजातन्त्र को धक्का लगता है। इससे प्रजातन्त्र धीरे-धीरे नष्ट हो जायेगा। प्रजातन्त्र में, शासन में, कभी हम आएंगे कभी वह आएंगे। इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन पर भी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता जिन दिनों में सत्ता की कुर्सी पर विराजमान थे, उनके भाषणों को मैंने पढ़ा है। चाहे सिंचाई मंत्री के रूप में या कृषि मंत्री के रूप में हो, अच्छी तरह से वह शासन के पक्ष को प्रस्तुत करते थे उन तर्कों को प्रस्तुत करते थे, जिससे

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

शासन सुदृढ़ हो। उन्हीं के शब्दों में मैं निवेदन करूंगा कि विरोध पक्ष के लोगों से शासन पक्ष के लोग जो अपेक्षा करते हैं उसको वह पूरा करेंगे। यह मैं आशा करता हूं।

चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित एक बात कहना चाहता हूं। इनसिफिलाइटिस एक ऐसा रोग है, जो पिछले जनता पार्टी के शासन में इस प्रदेश में आया था। उस शासन ने जहां तमाम बीमारियां पैदा की थीं वहां इनसिफिलाइटिस भी पैदा किया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से उम्मीद करता हूं कि इसको भी यहां से समाप्त कर देंगे। जैसा उनका इलाज जनता ने कर दिया है एसे ही आप से अपेक्षा है कि इनसेफलाइटिसका इलाज अपने शासन काल में अवश्य करा दें।

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई विभाग में बहुत सी योजनायें आई हैं। सिंचाई विभाग में कुछ योजनायें जान कर के रोक दी गई हैं खास कर के हमारे इलाहाबाद में गौडरी बांध रेगुलेटर की समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अनुपूरक मांग में जो धनराशि विभाग को मिलती है उससे उसकी व्यवस्था करा दी जायगी।

एक निवेदन और है। हमारे क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक कालेज है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने और शासन ने कृपा कर उसके प्रान्तीयकरण करने का आश्वासन भी दिया है। इस शासन से अपेक्षा करता हूं कि उसका प्रान्तीयकरण कर के उसकी समुचित व्यवस्था कराने की ओर ध्यान दिया जायगा। साथ ही साथ हमारे हंडिया तहसील में सड़कें ध्वस्त की हालत में ह। मुझे उम्मीद है कि सरकार उस ओर भी ध्यान देगी।

*श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जो आप ने मुझे समय दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

मान्यवर, अभी मैं काउन्टर की बात सुन रहा था। देवरिया जिले की ओर माननीय मन्त्री जी जरा ध्यान दें एक महीने के अन्दर 25 काउन्टर हुये हैं और एक भी काउन्टर पुलिस मुठभेड़ में नहीं हुआ। मैंने एक सूचना दी थी 301 के तहत, 50 हजार का माल, 10 हजार नगद, बुलेट मोटर साइकिल, यह सारा दरोगा ने ले लिया। गांव के चौधरी से उसकी दुश्मनी चल रही है और लोगों को पकड़ कर काउन्टर कर लिया और सारा रुपया ले लिया। ऐसी हालत उसकी रहती हैं। चाहे पडरौना हो, चाहे देवरिया, सलेमपुर, चारों तरफ दरोगा, बनने के लिए काउन्टर कर दिया गया और दरोगा बन गये। दस हजार रुपया एक कुशवाहा से लिया और 12 बजे रात उसे छोड़ दिया। इस प्रकार के दिन रात काउन्टर हो रहे हैं।

मान्यवर, हमारे मिश्रा जी ने 301, नियम 56, की बात कही। स्वास्थ्य मन्त्री जी देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के जिले में जाकर देखें। आप कहते हैं 250 लोग मर गए 50 नहीं, एक गांव में औसतन एक आदमी, दो आदमी मर गये और कोई दवा का इन्तजाम नहीं हैं। कमिश्नर से मेरी बात हुई। कमिश्नर ने कहा कि इन्तजाम कर रहे हैं घबड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अस्पताल जाने के बाद दो रुपये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की दवा नहीं मिलती है । मान्यवर, आज आपकी व्यवस्था जो है वह इकदम छिन्न भिन्न है । कहीं सरकार नाम की जैसी चीज नहीं दिखाई दे रही है । जिलों के अधिकारी मनमाने तौर पर काम रहे हैं ; किसी की बात नहीं सुनते हैं । खाद की बात क्या कहूं । बुआई शुरू हो गई है । गोदामों पर खाद नहीं मिल रही है और सारी खाद बिहार की तरफ ब्लैक मार्केट में जा रही है । देवरिया में चीनी के सस्ते दुकानदार चीनी लेकर बिहार के रास्ते चीन को भेज रहे हैं । अभी 8-10 दिन हुये 68 बोरी चीनी को एस० डी० एम०, देवरिया ने पकड़ । हजारों बोरे चीनी पकड़ी जा रही है । प्रशासन एक दम बिल्कुल खराब है ।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, अभी कुछ समय पूर्व मैंने इस अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में कुछ सूचना दी थी । केवल दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं उसी से उसका पूरा उत्तर मान लिया जाय ।

मैंने इसका ब्रेक अप दिया था 310 करोड़ रुपये का और 37 लाख का जो अनुपूरक बजट हमने प्रस्तुत किया है । इसकी मोटी-मोटी बात करना चाहता हूं हमारी 84 करोड़ रुपये के करीब राज्य की योजना की आकार में वृद्धि हुई है । और बाढ़ से राहत देने के लिए लगभग 35 करोड़ रुपया खर्च करना ह 20 करोड़ रुपये हमको सब कम्पोनेन्ट्स के अन्तर्गत मिले हैं जिसका लाभ कमजोर वर्ग तथा हरिजनों को मिलेगा । 56 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि में वापस करन हैं । इसमें से 55 करोड़ रुपये पिछले वर्ष समाप्त हुए और 1 करोड़ रुपये इस वर्ष हुए हैं । 75 करोड़ रुपये का केवल कागजी एडजेस्टमेंट है जो सारा का सारा खाद्यान्न के रूप में भारत सरकार से मिला । इससे स्पष्ट है कि यह जो धनराशि हमने मांगी है यह प्रदेश के विकास तथा राहत कार्य के लिये मांगी है । बाकी किताबी एडजस्टमेंट है । जहां तक लग्जरी पर खर्च करने की बात रही गयी तो हमारा यह निश्चय है कि लग्जरी पर कोई व्यय न बढ़ाया जाय । व्यय हम तीन चीजों पर ही करने जा रहे हैं । एक जो हमारी मौजूदा उत्पादन क्षमता है चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो उसका अधिकतम उपयोग किया जाय, दूसरे जो चालू योजनायें हैं उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिये उनको पूरा किया जाय और तीसरे उन योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें जिनका दूरगामी प्रभाव हमारी अर्थ व्यवस्था पर पड़ता हो तो अब दो तीन महीने बाद इसे लाया जाता, तो उस समय इन मदों पर खर्च करने में हमको कठिनाई होती और उस समय खर्च को हम बैलेंस नहीं कर पाते । 31 मार्च तक इस व्यय को हम संतुलित कर सकें इसके लिये ही हम यह अनुपूरक बजट लाये हैं । यह एक स्वस्थ परम्परा है और हमारे प्रदेश के विकास में यह सहायता करेगी । इन शब्दों के साथ मुझ आशा है कि सदन इन अनुपूरक मांगों को स्वीकार करेगा ।

1980-81 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 9-स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग

[समय 2 बजकर 45 मिनट अपराह्न]

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत

[श्री राम सिंह खन्ना--]

13,00,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9--स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 13,00,59,000 रुपये अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 5,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 5,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 17--सचिवालय

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--सचिवालय के अन्तर्गत 79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17--सचिवालय के अन्तर्गत 79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 2,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 2,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या—25—गृह विभाग (पुलिस)

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 8,42,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 8,42,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार)

समाज कल्याण मन्त्री (श्री छेदा लाल चौधरी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 5,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 5,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावसिक भवन) के अन्तर्गत 1,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावसिक भवन) के अन्तर्गत 1,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 2,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 2,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,00,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,00,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35—स्पोर्ट्स विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 8,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 8,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्राद्योग विभाग

पंचायती राज्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्राद्योगिक विभाग के अन्तर्गत 11,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्राद्योगिक विभाग के अन्तर्गत 11,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 33,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 33,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 12,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 12,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 4,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 4,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ ।)

अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 1,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 1,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग

सूचना राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग के अन्तर्गत 58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग के अन्तर्गत 58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदालाल चौधरी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 20,72,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 20,72,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 9,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 9,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री रामनारायण पाठक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 1,15,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 1,15,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 6,14,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 6,14,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 91,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान सख्या 52--कृषि विभाग (कृषि)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 91,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 75,01,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 75,01,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग

पंचायत राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 11,07,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 11,07,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 22,86,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 22,86,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 25,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 25,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 32,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 32,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62--वन विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--वन विभाग के अन्तर्गत 90,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62 वन विभाग के अन्तर्गत 90,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य राजस्व लेखा)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 4,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण काय-राजस्व लेखा)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 4,80,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 12,01,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 12,01,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 6,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 6,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,65,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजानिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,65,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वितीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76---सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 11,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 11,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 77---चिकित्सा विभाग-पूंजीगत परिव्यय

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77--चिकित्सा विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--चिकित्सा विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 85--सहकारिता विभाग--पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85---सहकारिता विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,16,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85---सहकारिता विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,16,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 7,57,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकासविभाग पूंजीगत पारेव्यय के अन्तर्गत 7,57,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग--पूंजीगत परिव्यय

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 6,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 6,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग--पूंजीगत परिव्यय

सूचना राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88--सूचना विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 50,00,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--पूंजीगत परिव्यय

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 7,92,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 7,92,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 98--पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 98-पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 98-पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 99-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)--पूंजीगत परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 99-पशुधन विभाग (दुग्ध शाला विकास) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 99-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 100-मत्स्य विभाग--पूंजीगत परिव्यय

पंचायती राज्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 100--मत्स्य विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 100-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 101--क-विद्युत् विभाग--पूंजीगत परिव्यय

पंचायती राज्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 101--क--विद्युत् विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 101-क--विद्युत् विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 102-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 102--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 9,39,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 102-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 9,39,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 103–सिंचाई विभाग (बहु–प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 103––सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत 50,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 103–सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980––81 के लिए स्वीकार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 104–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104––सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 23,66,47,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 104––सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 23,66,47,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 105 परिवहन विभाग––पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 105–परिवहन विभाग––पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,48,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 105––परिवहन विभाग––पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,48,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 111 आवास विभाग--ऋण और अग्रिम

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 111-आवास विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 15,38,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 111-आवास विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 15,38,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग--ऋण और अग्रिम

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 112-राजस्व विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,30,00 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 112--राजस्व विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 114--उद्योग विभाग--ऋण और अग्रिम

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां अन्तर)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 114--उद्योग विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 6,48,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 114--उद्योग--विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 6,48,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,33 09,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 115—पर्वतीय विकास—विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,33,09,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 118—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 118—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,90,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 118—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,90,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 119—सहकारिता विभाग ऋण और अग्रिम

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 119—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 8,28,52,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 119—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 8,28,52,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 122—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 122—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 90,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 122---पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 90,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 123--विद्युत् विभाग---ऋण और अग्रिम

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 123--विद्युत् विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 13,85,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 123--विद्युत् विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 13,85,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 126---पर्यटन विभाग-ऋण और अग्रिम

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 126--पर्यटन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 20,72,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 126---पर्यटन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 20,72,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980

श्री अध्यक्ष---

अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यसूची की मद संख्या 23 नियोजन एवं विद्युत् मंत्री ।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

(समय 3·30 अपराह्न)

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

इनकी कापियां वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित किय जाने के पश्चात्)

मद संख्या 23--

*श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह संसदीय इतिहास में जायेगा कि 3 अरब 10 करोड़ 36 लाख 74 हजार रुपये जिस दिन मूल बजट का एलान हुआ उस दिन चन्द घण्टों के बाद सारे नियमों को निलम्बित करके ले लिया। मैं मुबारकबाद देता हूं कि इनकी संख्या 306 से बढ़कर 311 आज ही हुई और आज ही उसका सदुपयोग उन्होंने किया। इतने में सब कुछ किया जा सकता है और सब कुछ कर डाला। जो हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए एक रिकार्ड रहेगी। तो जिस तरह से यह सारी कार्यवाही हुई है यह संसदीय इतिहास के अन्दर एक काला दिन है और यह खुद भी सब महसूस कर रहे हैं। मगर मालूम नहीं कि क्या मजबूरियां हैं और ईमानदारी की बात है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस हद तक मजबूर कर दिया कि सारी संसदीय परम्पराओं को तोड़ करके, नियमों को निलम्बित करके आपका सप्लीमेन्ट्री बजट आज ही पास करा रहे हैं। तो श्रीमन्, इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि ये आज इस्तीफा दे देते तो जो सारी चीजें हैं वह दूर हो जातीं और यह कालिख आप लोगों के मुंह पर न लगती और जो इस कुर्सी पर बैठता, आप लोगों में से ही बैठता, वह इसे करता। इसके साथ-साथ में छोटी सी बात कहकर कि संसदीय इतिहास का यह काला दिन है, आज ही आपने 311 की शक्ति हासिल की और उसी के द्वारा यह शासन इसको काला कानून कहिये उसके जरिये यह सब पास करके ले रहा है। यह संसदीय इतिहास का काला दिन है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसेन जी, इसके पहले भी मैं कह चुका हूं। मैं पुनः कहता हूं कि जो नियमों का निलंबन हुआ है इसे दृष्टांत नहीं बनायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं इससे पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि कोई ऐसी बात नहीं की गयी है जिससे संविधान की किसी धारा का उल्लंघन किया गया हो और न कोई ऐसी बात की गयी है कि इसके पहले निलंबन हुआ ही नहीं है, पहली बार हो रहा है। जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यह अनुपूरक बजट हमें पेश करना पड़ा। इस प्रदेश की प्रगति को देखते हुए यहां पर बाढ़ आयी, आपने देखा जो पैसा बाढ़ के लिए हमको मिला, वह 82 करोड़ रुपया है, जो पिछले 3 सालों से कहीं ज्यादा है। इसी प्रकार से तमाम चीजों में हमें केन्द्र सरकार से पैसा मिला है और उसको बजट में लाने के लिए आपके द्वारा सम्मानित सदन को सूचित करने के लिए यह अनुपूरक बजट पेश किया गया है। माननीय रियासत हुसेन साहब को हर चीज ब्लेक स्पाट लगती है क्योंकि वह काले दाग देखने में माहिर हैं। हर चीज उनको स्याह नजर आती है। अगर वह रोशनी को जिंदगी का आधार बनायें और देखने की कोशिश करें तो इंसान के नजरिये में तब्दीली भी हो सकती है। इस्तीफे की बात उन्होंने की कि यह सरकार इस्तीफा दे देती उसके बाद यह पास होता। तो अगर इस्तीफा दे देते तो कौन आता। हम लोग इस्तीफा देकर बदल जायंगे लेकिन मामला बदलने वाला नहीं है। आज 327 करोड़ 10 लाख पर आपत्ति नहीं है, आपत्ति उनको इस बात पर है कि 305 से 311 कैसे हो गए। परेशानी यह है कि हमारी तरफ आबादी बढ़ती जा रही है बावजूद यह कहने के कि इस तरफ कुछ कमी हुई जा रही है और आपस में टकराव हो रहा है, आबादी हमारी तरफ बढ़ रही है।

यह इस बात का पूरा सबूत है कि जहां तक हमारी नीतियों का ताल्लुक है, उसूलों का ताल्लुक है बराबर माननीय सदस्य इधर आ रहे हैं। माननीय रियासत हुसैन ने सदन का त्याग किया था। उसके बाद फिर तशरीफ ले आये। मैं खुश हुआ। इस बीच में जैसे गए थे इस बीच में तब्दीली नहीं हुई। आये तो फिर काला दाग दिखाई देने लगा। इस काले दाग को देखना बन्द करें। जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है यह प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। जो कुछ खर्चे हो रहे हैं, अगर न किए गए होते तो अन्याय होता। कैसे भी खर्चा हो, सदन के सामने आना चाहिए। यह बजट इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई बात इस तरह से नहीं करना चाहती कि बिना माननीय सदस्यों की अनुमति लिए हुए खर्च कर दे। मैं उम्मीद करूंगा कि आइन्दा वह तारीकी पहलुओं को देखना बन्द करेंगे, पेसिमिस्टक आउटलुक छोड़ देंगे और आप्टिमिस्टिक आउटलुक अख्तियार करेंगे।

(व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

आपकी आज्ञा से मैं कुछ सूचना देना चाहता था। इस सदन में इंसिफेलाइटिस की चर्चा हुई। इंसिफेलाइटिस का आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर और अब फैजाबाद जिले में भी प्रकोप हो रहा है। सदन का आखिरी दिन है। आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत करा दूं, उनके मन में आक्रोष है।

श्री अध्यक्ष--

विचार के बाद में कह देंगे आप।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980–81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, खंड 3, अनुसूची खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980–81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980

31 मार्च, 1981 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि म से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1980–81 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 1980 कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्ष नाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1981 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 3, 10, 36, 74,000 रु0 (तीन अरब, दस करोड़, छत्तीस लाख, चवहत्तर हजार रुपये) होता है, अधिक न हो । उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1980–81 के लिए 3,10,36,74,000 रुपये का दिया जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1981 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं । विनियोग

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

अनुदान/ क्रम–संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	63,000	63,000
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग	13,00,59,000	2,26,000	13,02,85,000
11	परिवहन विभाग	5,11,000	..	5,11,000
*16	लोक सेवा आयोग	..	1,31,000	1,31,000
17	सचिवालय	79,000	..	79,000
18	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	2,61,000	..	2,61,000
24	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2,07,000	..	2,07,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम–संख्या ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
25	गृह विभाग (पुलिस)	8,42,44,000	..	8,42,44,000
26	गृह विभाग (कारागार)	5,04,000	..	5,04,000
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	1,30,00,000	..	1,30,00,000
29	सतर्कता विभाग	2,52,000	..	2,52,000
33	शिक्षा विभाग	1,00,12,000	..	1,00,12,000
35	स्पोर्ट्स विभाग	8,70,000	..	8,70,000
36	सांस्कृतिक कार्य विभाग	54,000	..	54,000
37	विज्ञान और प्रायोग विभाग	11,00,000	..	11,00,000
38	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	33,37,000	3,000	33,40,000
39	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	12,91,000	..	12,91,000
40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	4,50,000	..	4,50,000
41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	1,75,000	..	1,75,000
43	सूचना विभाग	58,000	..	58,000
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	20,72,99,000	..	20,72,99,000
48	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	9,80,00,000	..	9,80,00,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

49	सहकारिता विभाग	1,15,06,000	..	1,15,06,000
50	पर्वतीय विकास विभाग	6,14,92,000	..	6,14,92,000
51	नियोजन विभाग	1,000	..	1,000
52	कृषि विभाग (कृषि)	91,73,000	..	91,73,000
55	ग्राम्य विकास विभाग	75,01,55,000	..	75,01,55,000
56	पंचायती राज विभाग	11,07,00,000	49,000	11,07,49,000
57	क्षेत्रीय विकास विभाग	22,86,64,000	..	22,86,64,000
59	पशुधन विभाग	25,72,000	..	25,72,000
60	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	32,56,000	..	32,56,000
62	वन विभाग	90,50,000	58,000	91,08,000
66	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	..	7,000	7,000
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा)	4,80,00,000	..	4,80,00,000
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	12,01,27,000	..	12,01,27,000
74	पर्यटन विभाग	6,50,000	..	6,50,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	1,65,25,000	..	1,65,25,000
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	11,60,000	..	11,60,000
77	चिकित्सा विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,000	..	1,000
85	सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय	3,16,10,000	..	3,16,10,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		
		रु0	रु0	रु0
86	पर्वतीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय	7,57,07,000	..	7,57 07,000
87	उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय	6,50,00,000	..	6,50,00,000
88	सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय	50,00,000	..	50,00,000
91	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–पूंजीगत परिव्यय	7,92,00,000	..	7,92,00,000
97	खाद्य तथा रसद विभाग–पूंजीगत परिव्यय	..	2,000	2,000
98	पशुधन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,50,000	..	1,50,000
99	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)–पूंजीगत परिव्यय	25,00,000	..	25,00,000
100	मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय	10,00,000	..	10,00,000
101-क	विद्युत् विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,00,00,000	..	1,00,00,000
102	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)	9,39,00,000	14,83,000	9,53,83,000
103	सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	50,00,000	..	50,00,000
104	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	23,66,47,000	..	23,66,47,000
105	परिवहन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	4,48,00,000	..	4,48,00,000
111	आवास विभाग–ऋण और अग्रिम	15,38,10,000	..	15,38,10,000
112	राजस्व विभाग–ऋण और अग्रिम	1,30,00,000	..	1,30,00,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

114	उद्योग विभाग–ऋण और अग्रिम	6,48,00,000	..	6,48,00,000
115	पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम	3,33,09,000	..	3,33,09,000
118	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–ऋण और अग्रिम	2,90,00,000	..	2,90,00,000
119	सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम	8,28,52,000	..	8,28,52,000
122	पशुधन विभाग–ऋण और अग्रिम	90,00,000	..	90,00,000
123	विद्युत् विभाग–ऋण और अग्रिम	13,85,00,000	..	13,85,00,000
126	पर्यटन विभाग–ऋण और अग्रिम	20,72,000	..	20,72,000
	योग ..	3,10,16,52,000	20,22,000	3,10,36,74,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के पूर्वी जिलों में फैले संक्रामक रोग की रोक-थाम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता था, कि जो संक्रामक रोग, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फैला है, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और अब फैजाबाद में भी, 1978 में पहली बार इस प्रदेश में यह बीमारी आयी थी । उस वर्ष भी बहुत बाढ़ थी । 1979 में सूखे का वर्ष था । दुर्भाग्य से जिस तरह से यह बीमारी फैलती है, उसके निराकरण के उपाय शासन से नहीं किये गये । इस वर्ष जब अधिक बरसात हुई तो उन क्षेत्रों में बीमारी फैल गयी है । और इसके लिये मच्छरों के समाप्त करने का अभियान शुरू कर दिया गया है । इसमें कुछ समय लगेगा और पुनः इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम मंगाई गयी है और एक टीम आ गयी है जिसका सुझाव लेने के लिये कि इसम क्या प्रक्रिया अपनाई जाय । साधारणतः जो काम किया जाता है वह तो किया जा रहा है जैसे कि कुओं के पानी का शुद्धिकरण, गांवों की सफाई जिसमें डी०डी०टी० और गैमेक्सीन का छिड़काव तथा तालाबों के पानी की सफाई की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, मैं यह सूचना सम्मानित सदन को देना चाहता हूं कि शासन इससे अवगत है और जो भी कार्यवाही उचित होगी वह की जायेगी ।

1973-74 के बढ़ती व्यय के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 1--वृहत् जोतकर

[समय 3·40 अपराह्न]

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1--वृहत् जोत कर के अन्तर्गत 29,863 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1--वृहत् जोत कर के अन्तर्गत 29,863 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6--स्टाम्प

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6--स्टाम्प के अन्तर्गत 40,022 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6--स्टाम्प के अन्तर्गत 40,022 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिय स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11--आयुक्त और जिला प्रशासन

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 93,66,017 रुपय की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत 93,66,017 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13--न्याय प्रशासन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

माननीय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 23,45,024 रुपय की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 23,45,024 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 17--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत 59,474 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत 59,474 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23--पशुपालन तथा मत्स्य पालन

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत 33,42,219 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत 33,42,219 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26--नियोजन और समन्वय

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत 88,15,787 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत 88,15,787 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27--श्रम और सेवायोजन

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)--

माननीय, मैं आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत 9,33,651 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत 9,33,651 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 29--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री छेदा लाल चौधरी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत 20,63,350 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत 20,63,350 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31--राजस्व से किए जानें वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 5,22,17,795 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 5,22,17,795 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किए जाते हैं, के अन्तर्गत 1,13,97,178 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33, सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किए जाते हैं, के अन्तर्गत 1,13,97,178 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35-सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 35,48,736 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत 35,48,736 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39--अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39 अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत 49,27,107 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39--अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत 49,27,107 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44--नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

अनुदान संख्या 44--नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 4,14,935 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत 4,14,935 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 47--बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47--बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 19,88,28,583 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47--बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 19,88,28,583 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 48--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 45,70,10,742 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 45,70,10,742 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 22,44,52,123 रुपए की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुपूरक अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 22,44,52,123 रु0 की मांग वित्तीय वर्ष 1973-74 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित की गई ।)

*श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह 1973-74 का जो व्यय था उसके लिए जो अतिरिक्त अनुदानें थीं उस पर पी0 ए0 सी0 न अपनी रिपोर्ट 1978-79 में दी 5 फरवरी, 1980 को प्रत्यावेदन के रूप में सदन के सामने यहां पर रखा गया था । इसे सदन द्वारा पारित होना है जोकि पी0 ए0 सी0 द्वारा प्रत्यावेदित किया गया है । इसलिए इसको यहां पर आना जरूरी है यह एक तरह से फारमेलिटी है और इसका विनियमन होना है । मैं उम्मीद करता हूं कि सम्मानित सदस्य इसको पारित करेंगे ।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, 1973-74 में माननीय रियासत हुसन सरकारी पक्ष में थ और उस समय उन्होंने इसको 'हां' कहा था इसलिए अ.ज उनको विपक्ष में बोलने का अधिकार नहीं है ।

*श्री रियासत हुसैन--

बहुत अच्छा है, आपको पुरानी बात याद तो आयी । मान्यवर, जब से यह सम्मानित सदन चल रहा है और जैसा कि माननीय बाजपेयी जी ने कहा इशारा करते हुए कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से टोटल फेल्योर हुई है और यह उसी का सबूत है । पी0 ए0 सी0 ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और छानबीन करने के बाद जनवरी, 1980 में प्रतिवेदन दिया और तब उसको यह मालूम हुआ कि 27,38,80,000 रुपए की कमी इस तरीके से रह गई है जिसको सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स की शक्ल में आज लाया जा रहा है । इसका न मालूम क्या-क्या असर पड़ेगा और क्या-क्या यहां पर उससे गड़बड़ी पैदा हो जायेगी । एक तो इसको 1973-74 म लाना था ।

मुझे खुशी होती अगर अपने भाषण में यह कह दिया होता कि पी0 ए0 सी0 के प्रतिवेदन के आधार पर जो यह सब कुछ किया जा रहा है उसमें कौन लोग जिम्मेदार थे अगर थोड़ा बहुत इशारा उस ब्यूरोक्रेसी के प्रति किया होता ।

पी0 ए0 सी0 ने इतने बड़े मामले में छानबीन की और सात साल के बाद उस गैप को फिलअप किया जा रहा है तो उन अधिकारियों की काबलियत का जिक्र कर दिया होता जिससे लोगों को मालूम हो जात कि किसकी वजह से यह सब करना पड़ रहा है । केवल यह कह देना कि फारमेलिटीज को पूरा करने के लिए यह करना पड़ रहा है । तो सात साल बाद यह करना पड़ रहा है तो उनके कारनामों की तारीफ कर देते, किन अधिकारियों का यह कम था कि इतने साल बाद सदन के अन्दर यह रखना पड़ रहा है । उनकी तारीफ ही कर देते क्योंकि उनकी बुराई करने की तो इसमें हिम्मत नहीं है और वह हिम्मत आयेगी भी कहां से । इसलिए मेरा कहना है कि कुछ न कुछ नुक्ता जरूर लगाना चाहिए कि आखिर किसकी वजह से यह करना पड़ रहा है ताकि जनता को मालूम हो जाय कि आखिर अपोजीशन की वजह से यह हो रहा है य आपकी वजह से या अधिकारियों की वजह से । तो यह मालूम हो जाय कि एक अरब रुपए की रकम आज यहां पास करने के लिए लाई जा रही है ।

*श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, माननीय रियासत हुसैन ने जो मुद्दे उठाए उसके अतिरिक्त मैं एक बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 127 करोड़ रुपए की रकम वर्ष 1973-74 के सम्बन्ध में यहां पर आई है । वह वह रकम है जिसे खर्च किया जा चुका है और जिसके लिए इस सदन की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी जिसे आज पास किया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि यह सरकार कम से कम वित्त विभाग को थोड़ा टाइट न करें कि वह इस किस्म का बजट विधान सभा में प्रस्तुत न किया करें और इतने गैप में यहां पर बजट न लाये । इस बीच में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भीखा लाल---]

सप्लीमेन्टरी बजट भी आए उस समय भी वित्त विभाग ने नहीं सोचा और बगैर सैंक्शन के यह रुपया खर्च हो गया। जब पी० ए० सी० ने इस चीज को उठाया तब फारमेलिटीज को पूरा करने के लिए 7 वर्ष बाद सप्लीमेन्टरी बजट के रूप में यह लाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी कमी वित्त विभाग और वित्त अधिकारियों की है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि बगैर सदन की स्वीकृति के 127 करोड़ रुपये खर्च कर दिये जायं और जब पी० ए० सी० ने प्वाइंट आउट किया तब लाये उससे पहले होश नहीं रहा। तो भविष्य में इस चीज की पुनरावृत्ति न हो इस का ध्यान शासन दे।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह जो प्रतिवेदन है अगर इसको देखा जाय यह 1979-80 में लोक लेखा समिति द्वारा पेश किया गया है और 5 फरवरी, 1980 को इस सदन के सामने रखा गया था।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। पी० ए० सी० तो बाद में छान-बीन करती है उससे पहले महालेखाकार की रिपोर्ट आ जाती है। इसलिए मैं सफाई चाहूंगा कि जो शासन में गड़बड़ियां चल रही हैं उसके लिए क्या पी० ए० सी० की रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारी फिक्स की जाती है या शासन की जागरूकता इस बात में है कि महालेखाकार की रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाय। यह तो टरकाने वाली बात है।

श्री अम्मार रिजवी--

चाहे जिस अधिकारी की जिम्मेदारी हो जिस वक्त पता चलता है उसी वक्त उसकी रिस्पांसिबिलिटी एसेस कर दी जाती है। तो यह कहना कि पी० ए० सी० की रिपोर्ट आने के बाद होगा ऐसी बात नहीं है वह पहले भी हो जाता है। पी० ए० सी० की रिपोर्ट 1979 में प्राप्त हुई उसे यहाँ पर और उसके बाद जब सदन में हुआ उसमें रख रहे हैं। तो यह जो पहली रिपोर्ट आई थी, उसी का यह प्रस्तुतीकरण या विनियमीकरण है। कोई खास या नई बात इसमें नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

पी० ए० सी० की रिपोर्ट तो इस सदन की जब कमेटी बनती है तो यह उस आधार पर देखती है, किन्तु ए० जी० की रिपोर्ट पहले आ जाती है अगर खुदा न खास्ता पी० ए० सी० न बन पाती और इसमें कुछ समय और लग जाता तो ओ ए० जी० की रिपोर्ट में इतना ओवरएक्सपेंडीचर निकाला गया, क्या उन पर ऐक्शन लेने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जिम्मेदारी शासन की है और जिस वक्त ए० जी० की रिपोर्ट आ जाती है उस वक्त भी है और उसके बाद भी है। पी० ए० सी० की रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त व्यय का विनियमिवोकरण करना है। इसमें किसी अधिकारी का लैप्स पाया जाता है तो शासन उस पर कार्यवाही कर सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973–74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड 2, खन्ड 3, अनुसूची, खन्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1973–74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिए राज्य संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त।

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1973–74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1980 कहलायेगे। — संक्षिप्त शीर्षनाम

2—उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 1,27,38,80,193 रुपये (एक अरब सत्ताइस करोड़ अड़तिस लाख अस्सी हजार एक सौ तिरानबे रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए जो 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तभ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायेगा। — 1973–74 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से 1,27,38,80,193 रुपये का दिया जाना।

3—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया, समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची मे उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा और किया गया समझा जायेगा। — विनियोग

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
1	वृहत् जोतकर	29,863	..	29,863
6	स्टाम्प	40,022	..	40,022
8	राज्य विधान मन्डल	..	8,683	8,683
11	आयुक्त और जिला प्रशासन	93,66,017	..	93,66,017
13	न्याय प्रशासन	23,45,024	..	23,45,024
17	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	59,474	..	59,474
23	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	33,42,219	..	33,42,219

उत्तर प्रदेश विधान सभा

26	नियोजन और समन्वय	88,15,787	..	88,15,787
27	श्रम और सेवायोजन	9,33,651	..	9,33,651
29	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	20,63,350	..	20,63,350
31	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण–कार्य	5,22,17,795	..	5,22,17,795
33	सार्वजनिक निर्माण–कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं	1,13,97,178	..	1,13,97,178
35	सार्वजनिक निर्माण–कार्य अधिष्ठान	35,48,736	..	35,48,736
39	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें	49,27,107	10,394	49,37,501
44	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन	4,14,935	..	4,14,935
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	..	38,44,710	38,44,710
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	29,01,26,074	29,01,26,074
45	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	..	97,726	97,726
47	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी–परिव्यय	19,88,28,583	..	19,88,28,583
48	सिंचाई निर्माण–कार्यों पर पूंजी–परिव्यय	45,70,10,742	..	45,70,10,742
49	सार्वजनिक निर्माण–कार्यों पर पूंजी–परिव्यय	22,44,52,123	..	22,44,52,123
	योग ..	97,97,92,606	29,40,87,587	1,27,38,80,193

*भारित विनियोग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1973-74 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सदन को यह सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप (संशोधन) विधेयक, 1980, जो विधान सभा द्वारा 25 सितम्बर, 1980 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 13 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 की सूचनाएं आज हमारे पास नहीं हैं ।

आयुक्त, आगरा मण्डल, श्री देशराज सिंह के विरुद्ध शासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना

*पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को एक सूचना देना चाहूंगा । श्रीमन्, सबेरे आपका आदेश हुआ था और मैंने निवेदन किया था शासन ने आगरा मंडल के कमिश्नर, श्री देशराज सिंह के खिलाफ, जो भी कार्यवाही की है, उसकी सूचना आपके द्वारा सम्मानित सदन को देगा, जो इस प्रकार है, जो पत्र शासन को प्राप्त हुआ है उसके अनुसार, उपर्युक्त विषय पर श्री देशराज सिंह, भूतपूर्व आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा के राज्यपाल दीर्घा में प्रवेश के सम्बन्ध में उनके व्यवहार पर शासन ने असन्तोष व्यक्त किया है, तद्नुसार श्री देशराज सिंह को अवगत करा दिया गया है । (व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, शासन स्वीकार करता है कि उन्होंने गलती की है । उस दिन मान्यवर, माननीय उपाध्यक्ष ने यह भी कहा था कि वे शासन को निर्देश देते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि वह सजा दे और उस दिन माननीय उपाध्यक्ष ने, आपकी अनुपस्थिति में, यह भी आश्वासन दिया था कि उस दंड से वे संतुष्ट होंगे । माननीय मंत्री जी ने कहा कि आगरा के आयुक्त के आचरण के बारे में सरकार ने अपना डिस्प्लेजर व्यक्त किया और उससे उन्हें अवगत करा दिया है । तो उनको अवगत करा देने से क्या आप संतुष्ट हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी चरित्र पंजिका में यह बात अंकित कर दी गयी है ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, आपकी पीठ से माननीय उपाध्यक्ष ने एक निर्देश दिया था । तो मैं जानना चाहता हूं कि उस सारे असंतोष का आपरेटिव पार्ट क्या है ? एक्शन क्या हुआ है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उस दिन की कार्यवाही यदि आप देखें तो उसमें यह है कि कार्यवाही की जाय । माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि शासन को आदेश दिया जाता है कि उचित कार्यवाही करें । अधिकारी यहां पर आ सकते हैं या नहीं, उस बहस को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं । शासन ने अपना डिस्प्लेजर व्यक्त किया है और उनको कन्वे कर दिया है । किसी भी उच्च अधिकारी के लिए शासन डिस्प्लेजर व्यक्त करे और उसे कन्वे करे तो इससे ज्यादा और बात नहीं हो सकती है तो यह कहना कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है, उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

(कृषि अभियंत्र कोर्स हेतु पालीटेकनिक विद्यालयों के सम्बन्ध में वक्तव्य देने हेतु मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इस पर हमने आपकी व्यवस्था मांगी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(श्री दल गंजन सिंह के खड़े होने पर और कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठे ।

श्री दल गंजन सिंह--

मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

आपको बैठना होगा ।

जब तक आप बैठेंगे नहीं सदन की कार्यवाही आगे नहीं चल सकती । आप बैठे ।

(व्यवधान)

(श्री दल गंजन सिंह के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

पहले आप बैठे, पहले आदेश पालन करें, जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप बोलें ?

(श्री दल गंजन सिंह बैठ गये ।)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने उठाया था, उस पर आपकी क्या व्यवस्था है ? कन्वेइंग औफ डिस्प्लेजर इज नौट ऐ-पनिशमेंट ? इसका औपेरेटिव डिवलेरेशन शासन की ओर से होना चाहिए । केवल यह कहा गया कि शासन डिस्प्लेजर शो करत है । तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह कोई पनिशमेंट हुआ या नहीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, शासन ने जो अयुक्त, आगरा के प्रति डिस्प्लेजर प्रदर्शित किया है, क्या उनके द्वारा उसके केरेक्टर रौल में भी कोई एन्ट्री की गयी है या नहीं !

श्री अध्यक्ष--

मैं इसका उत्तर देने के पूर्व उस दिन जो माननीय उपाध्यक्ष ने बातें कहीं थी उन्हें बताना चाहता हूं । जो विचार उन्होंने व्यक्त किए थे उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन उसके बावजूद भी कहना चाहता हूं कि इन दीर्घाओं में कोई भी बैठा हो, सदन में बैठे हुए हम उसको अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं । यदि दीर्घा में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सदन की कार्यवाही में व्यवधान पहुंचाता है तो संज्ञान में लेते हैं । मेरा यह विचार है कि इन दीर्घाओं में कोई भी व्यक्ति चाहे उसके सम्बन्ध में ही कोई बात हो रही हों या उससे असम्बन्धित बात हो रही हो, अगर नियमानुसार पास लेकर बैठा है तो इन दीर्घाओं में बैठ सकता है । यहां पर जो बात उठायी गयी और बयान पढ़ा गया उसको भी मैंने देखा । माननीय उपाध्यक्ष ने यहां स्पष्ट अपने विचार व्यक्त किये थे कि ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय यह बात संज्ञान में आयी सदन के, उस समय वे यहां दीर्घा में बैठे थे । उस समय जो विचार यहां व्यक्त किये गये उस पर माननीय उपाध्यक्ष ने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिये । उसके बाद एक दिन फिर यह प्रश्न यहां पर उठा । यह बताया गया कि उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है (व्यवधान) आप व्यवधान न करें । स्थानान्तरण की जब बात आयी तो माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि यह कोई सजा नहीं है, अतः आप सजा उनको दीजिये । उससे इस सदन को अवगत कराइये । यह कहा था उन्होंने । आज शासन की तरफ से यह सूचना दी गयी जो अभी आपके सामने रखी गयी कि शासन ने उन अधिकारी के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त किया है, किसी अधिकारी के प्रति असन्तोष व्यक्त करना उस अधिकारी के कर्त्तव्यों और कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त करना होता है और यह उनकी निन्दा करना है । सजा चाहे छोटी सी भी हो, वह सजा है । अब करेक्टर रोल में उसको लिखा गया या नहीं यह स्पष्टीकरण आप कर सकते हैं । इसके बारे में मंत्री जी बतायें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, किसी के प्रति जब डिस्प्लेजर शो किया जाता है तो उसका वर्णन चरित्र पंजिका में किया जाता है । लेकिन इसको देख लिया जायेगा कि हुआ है या नहीं । क्वेन्टम आफ पनिशमेंट यह श्रीमन्, तय नहीं था, माननीय उपाध्यक्ष ने यही केवल कहा था कि शासन उचित कार्यवाही करे । शासन ने डिस्प्लेजर व्यक्त किया है । एक बड़े अधिकारी के लिये यह बहुत बड़ी चीज है । (व्यवधान) ।

कृषि अभियन्त्रण कोर्स हेतु पालीटेक्निक विद्यालयों में हाई स्कूल कृषि विज्ञान एवं इण्टरमीडिएट कृषि विज्ञान के विद्यार्थियो के स्थान पर हाई स्कूल गणित एवं विज्ञान के छात्रों को प्रवेश दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरुप कुमारी बक्शी--)

पालीटेक्निक विद्यालयों में कृषि अभियंत्रण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता विज्ञान एवं गणित में कम से कम 45 प्रतिशत अंक (दोनों विषयों को मिलाकर) निर्धारित है । प्राविधिक शिक्षा परिषद् के नियम 34 में यह स्पष्ट किया गया है कि गणित सामान्य अथवा प्रारम्भिक नहीं होना चाहिये । कृषि वर्ग के विद्यार्थियों के लिये परिषद् के नियमों में यह भी प्राविधान है कि इण्टरमीडिएट में कृषि वर्ग के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थियों को, यदि वे प्रवेश के लिये अर्ह भी हो, कृषि अभियंत्रण में प्रवेश हेतु उनके प्राप्तांकों के 25 प्रतिशत का लाभ दिया जाय । उपरोक्त निर्धारित प्रवेश अर्हता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

उपरोक्त नियमों के त्रुटिपूर्ण अर्थ लगाये जाने के कारण कुछ प्राविधिक शिक्षा विद्यालयों में हाई स्कूल में कृषि वर्ग से उत्तीर्ण ऐसे छात्रों को भी कृषि अभियंत्रण पाठ्यक्रम में प्रवेश किया जाता रहा है जिन्होंने हाई स्कूल, कृषि वर्ग, में सामान्य गणित विषय लिया हो । यह व्यवस्था प्राविधिक शिक्षा परिषद् के नियमों के विपरीत रही है । प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्रश्न उठाये जाने पर प्राविधिक शिक्षा परिषद् ने नये नियमों के अन्तर्गत स्थिति को स्पष्ट करने के आदेश दिनांक 12 अगस्त, 1980 जारी किये ।

जब यह ज्ञात हुआ है कि कुछ सामान्य गणित के छात्रों को प्रवेश हेतु प्राविधिक शिक्षा विद्यालयों में प्रारम्भिक चयन करके फीस जमा करा दी गयी है तब सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् ने दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के पत्र द्वारा सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को यह निर्देश दे दिया कि पूर्व में अपनायी गयी प्रवेश की प्रक्रिया के आधार पर छात्रों को प्रवेश दे दिया जाय । अब पुनः यह निर्देश दे दिये गये हैं कि उक्त आदेशों का अनुपालन किया जाय और ऐसे छात्रों को, जिन्होंने प्रवेश हेतु संस्था में फीस जमा कर दी हो उन्हें, प्रवेश दे दिया जाय और कृषि वर्ग से उत्तीर्ण इण्टरमीडिएट छात्रों को नियमानुसार प्रवेश में प्राप्तांकों के 25 प्रतिशत का लाभ दिया जाय ।

*श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, जो पालीटेक्निक का प्रास्पेक्टस ईशू हुआ था, उसमें यह था कि कृषि में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को वरीयता दी जायगी । लेकिन किसी निहित स्वार्थ की वजह से डायरेक्टर ने यह निकाल दिया कि जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवती सिंह विशारद---]

हाई स्कूल साइंस और गणित से उत्तीर्ण छात्र हैं उन्हीं को कृषि अभियंत्रण में भर्ती किया जाय । तो मान्यवर, जो छात्र ऐसे हैं उनका भर्ती होना रुक गया । मान्यवर, जब यह प्रश्न उठाया गया, तो पिछले कार्यक्रम के अनुसार फिर भर्ती के आदेश दे दिये गये । लेकिन इस एक महीने के अन्दर उन जगहों पर सारे दूसरे छात्र भर्ती हो गये, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब वहां पर दूसरे छात्र भर्ती हो गये हैं, अब स्थान नहीं रह गया है, तो जो विद्यार्थी कृषि विज्ञान को लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उनको अब वहां पर भर्ती होने के लिए स्थान नहीं है तो इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी अब क्या व्यवस्था करने जा रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, ऐसा है कि यह नियम के अनुसार कृषि या विज्ञान और सामान्य गणित या उच्च गणित लेना आवश्यक है । लेकिन रूल्स न मालूम होने की वजह से कुछ छात्रों को जिन्होंने सामान्य गणित लिया था, उनको भर्ती कर लिया था, और उसी को हमने मान लिया है और उन विद्यार्थियों का, जिनका एडमिशन सामान्य गणित के आधार पर किया गया था उनका प्रवेश स्थायी कर दिया गया है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, कृषि में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट जिन लोगों ने किया है उनका प्रवेश नहीं लिया गया है । 20-9-80 को यह आदेश दिया गया कि उनका प्रवेश लिया जाय । लेकिन सारे पोलिटेक्निक में जो पहले आदेश निर्गत हुए थे, उससे लड़के भर्ती हो गये थ, अब जगह नहीं रह गयी है । तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें विशेष स्थान क्रियेट करके भर्ती करेंगी कि उन्हीं की जगह पर भर्ती करेंगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सामान्य गणित वालों को तो पहले ही भर्ती कर लिया गया था ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, जो कृषि को लेकर हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट पास हैं उनको भर्ती करने में वरीयता दी जायगी, मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो हाई स्कूल कृषि से उत्तीर्ण किया है, वे वंचित हो गये हैं, उन लड़कों को भर्ती करने के लिए माननीय मंत्री जी क्या करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अगर कोई लड़के रह गये हैं, तो उनके लिए सीट बढ़ा दी जायगी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको आश्वासन तो दे दिया गया है कि सीटें बढ़ जायेंगी ।

श्री भगवती सिंह विशारद –

(व्यवधान) यह मान्यवर, प्रश्न एक जगह का नहीं है । ऐसा तो हर जगह करना होगा, क्या माननीय मंत्री जी ऐसा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सब जगह हो जायेगा, आश्वासन दे दिया है। वैसे आलरेडी जिनका प्रवेश हो गया है, उनका नियमतीकरण कर दिया जायेगा और जो रह गये हैं, उनको ले लिया जायेगा। जगहें बराबर होती रहती है, इसलिए उन्हें भी ले लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो दुबारा उत्तर दिया है कि स्थान रिक्त होते रहते हैं और अगर रिक्त न हुए। इसलिए स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी द्वारा कब तक इस आशय के निदेश जारी कर दिये जायेंगे कि जो पहले से योजना थी, भरती की, उसके अतिरिक्त सीटें बढ़ाकर उनको प्रवेश दे दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो बच्चे रह गये हैं और अगर वह मेरिट में हैं, तो उनको अवश्य ले लिया जायगा। इसका पूरा आश्वासन देती हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सीटें बढ़ाकर कब तक ले लिया जायेगा, इसको स्पष्ट मान्यवर, घोषणा करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

एडमीशन उनका अवश्य कर लिया जायेगा, यदि वह मेरिट में हों, यह शर्त है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं मान्यवर, यह स्पष्ट नहीं हुआ। इनके अधिकारियों के गलत इन्टर प्रिटेशन से जो उनकी हत्या हो गयी है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट निदेश दें कि कब तक यह हो जायेंगे ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न यह है कि आपके अधिकारियों की गैर-जानकारी के कारण जो लोग भरती हो सकते थे, वह रह गये, क्या उनकी भर्ती की जायेगी, सीटें बढ़ाकर किसी तरह से ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, मैंने निवेदन किया कि जिन लड़कों का एडमीशन रूल के अन्तर्गत रह गये है और यदि वह मेरिट में हैं तो अवश्य सीटें बढ़ाकर शीघ्र ही उन्हें प्रवेश दे दिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन--

जो बच्चा हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर से करता है जबकि इन दोनों का स्टैण्डर्ड अलग-अलग है, मैथमेटिक्स वाले का मुकाबला एग्रीकल्चर वाला नहीं कर सकता और आपके अधिकारियों की गैर-जिम्मेदारी की

[श्री रियासत हुसैन--]

वजह से इन लड़कों के एडमिशन नहीं हुए और मथमेटिक वालों के हो गये तो माननीय मंत्री जी क्या इन लड़कों के लिए कुछ सीटें अलग से निर्धारित करेंगी या जो लड़के इनकी सीटों पर ले लिये गये हैं, उनको हटाया जायेगा ? क्या व्यवस्था आप इस ओर करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी मैंने निवेदन किया है कि सीटें बढ़ा दी जायेंगी और उन लड़कों को प्रवेश दे दिया जायेगा ।

देवरिया जिले के अन्तर्गत ग्राम रतनपुरा की श्रीमती विमला देवी के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री जय कृष्ण शुक्ला, निवासी ग्राम-गइयाघार थाना झगहा, जनपद गोरखपुर ने दिनांक 28-9-80 को थाना कोतवाली, देवरिया में आकर मौखिक रूप से सूचना दी कि दिनांक 27-9-80 को वह सदर अस्पताल, देवरिया से रिक्शे पर अपने माइके ग्राम मिसकारी जा रही थीं तब शहर से करीब 3, 4 मील जान के बाद महुवानी मोड़ के करीब पहुंचने पर रिक्शा चालक ने रिक्शा रोक दिया और 3-4 आदमियों ने आकर जबरदस्ती उसे रिक्शे से उतार दिया और चिल्लाने पर चाकू दिखाकर चुप करा दिया तथा चार-पांच व्यक्तियों ने बारी-बारी से उसके साथ गन्ने के खेत के पास स्थित पलानी में बुरा काम किया । अभियुक्तों के उसे छोड़कर जाते ही उसने शोर मचाया जिससे कुछ लोग वहां पहुंच गए जिन्होंने अभियुक्तों को भागते देखा व पहचाना । रात्रि होने के कारण दिनांक 27-9-80 को प्रार्थिनी रिपोर्ट नहीं लिखा सकी और दिनांक 28-9-80 को रिपोर्ट लिखायी ।

उपरोक्त सूचना पर थाना कोतवाली देवरिया में दिनांक 28-9-80 को एक अपराध धारा 376 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया जो विवेचनाधीन है । डाक्टरी रिपोर्ट में बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया गया है । अब तक की विवेचना से रिक्शेवाला तथा 2 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं जो फरार हैं । उनके विरुद्ध धारा 82/83 की कार्यवाही के आदेश हो गये हैं ।

श्री हरिबंश सहाय--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 4-5 आदमियों ने बलात्कार किया उनके नाम और पते बतायेंगे ।

श्री लोकपति--

मैंने अनुरोध किया कि 3 आदमी पहचाने गये । एक रिक्शा वाला उसका नाम है सेवक, दूसरा व्यक्ति गुलाब पुत्र रहमान तीसरा रामा पुत्र जगन्नाथ ।

श्री हरिबश सहाय--

क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि 4--5 आदमियों में केदार नाम का भी आदमी था और विमला कुमारी ने मैजिस्ट्रेट के सामने कलम बन्द बयान

में कहा है कि केदार और अन्य लोग मौजूद थे । मान्यवर, रुपया देकर अपना नाम निकलवाने की कोशिश कर रहा है इसकी जांच करायेंगे ।

श्री लोकपति--

अगर माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है तो एस0 पी0, देवरिया को दे दें और मैं भी अग्रसारित कर दूंगा ।

श्री हरिबंश सहाय--

कलमबन्द बयान जो विमला ने दिया है उसमें केदार को अभियुक्त बनाया है । क्या उसके खिलाफ मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, जिन लोगों ने पहचाना उन लोगों ने इस नाम की बात नहीं कही विवेचना जारी है विवेचना में आयेगा तो जरूर कार्यवाही की जायेगी । मैंने अनुरोध किया पुलिस अधीक्षक देवरिया को जानकारी दे दें और हम भी अग्रसारित कर देंगे ।

*श्री रुद्र प्रताप सिंह--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 4, 5 आदमियों ने बलात्कार किए और 3, 4 आदमी देखे गये । मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है चूंकि यह ब्राह्मण कन्या की बात थी मैं पढ़ा-लिखा हूं इसलिए इसको नहीं उठाया । यह घटना देवरिया के इतिहास के पन्नों में इस तरह लिखी जायेगी हमारे और आपके मुंह में कालिख पुत जायेगी । मान्यवर, इस सही घटना को भी तोड़ मरोड़ कर पुलिस अधिकारियों के कहने पर माननीय मंत्री बता रहे हैं । 4, 5 आदमी थे तो क्या सी0 आई0 डी0 और पुलिस इतनी अक्षम है कि वह 4, 5 आदमियों को नहीं पकड़ सकती है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नन्द किशोर सिंह--

4-5 नाम आये हैं जिनमें 3 पहचाने गये और 2 नहीं । कोतवाली से सूचना मिली है कि केदार नाथ, जो प्रधान हैं, उसका पूरा हाथ था, उससे 10 हजार रुपया लेकर छोड़ दिया गया है । क्या इसकी जांच कराकर केदारनाथ और उनके पट्टीदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति--

जिन लोगों के साथ वह महिला गई थी, उन्होंने पहचाना है । रात का समय था । महिला किसी को नहीं पहचान सकी । अगर माननीय सदस्य को जानकारी है कि कोई व्यक्ति है तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि एस0 पी0 को लिख कर भेज दें और हम भी अग्रसारित कर देंगे लेकिन जिम्मेदारी माननीय सदस्य की रहेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देवरिया जिलान्तर्गत राप्ती नदी के कटाव से ग्राम गायघाट के मकानों के जलमग्न हो जाने के संबन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

ग्राम-गायघाट, देवरिया जनपद के रुद्रपुर विकास खंड में राप्ती नदी के बाएं तट पर नदी के घुमाव (लूप) के शीर्ष पर स्थित है । इसके दांयी ओर राप्ती नदी एवं बांयीं ओर बघुआ नाला है जो कि ग्राम के आगे लगभग 200 मीटर पर राप्ती नदी में मिल जाता है । अतएव प्रश्नगत ग्राम की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि यह लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है । इस वर्ष राप्ती नदी में बाढ़ आने से इस ग्राम की आबादी को क्षति पहुंची है और लगभग 14 पक्के व 34 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए है । इसके अतिरिक्त 2.8 हेक्टयर भूमि कट कर नदी में विलीन हो गई है ।

ग्राम को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु लगभग 10 लाख रुपया की एक योजना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत 6 डैम्पनर (ठोकर) बनायें जायेंगे । इससे ग्राम की आबादी को सुरक्षा मिलेगी तथा लगभग 140 एकड़ क्षेत्र लाभान्वित होगा । परियोजना पर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन के पश्चात् कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस वर्ष किया गया है । जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा इस ग्राम को राहत कार्यों के अन्तर्गत 12,400 रुपया 14.87 क्विन्टल गेहूं, 71 किलो नमक, 71 अदद दिया सलाई तथा 71 लीटर मिट्टी का तेल वितरित किया जा चुका है ।

श्री हरिवंश सहाय--

तकनीकी सलाहकार समिति के अनुदान के पश्चात् कार्यवाही की जायगी, यह इनके स्टेटमेन्ट में है । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह तकनीकी विशेषज्ञों की राय कब तक ले ली जायेगी और कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसका सर्वे कर चुके हैं, इस्टीमेट भी बन गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर सलाह ले ली जाये ।

श्री हरिवंश सहाय--

48 घर विलीन होने का वक्तव्य है । मेरी सूचना के अनुसार 55 घर विलीन हो चुके है । तो क्या सभी को मुआवजा देकर घर बनाने का आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

घर बनाने का मुआवजा क्या ? कच्चे मकान के लिए 5 सौ और पक्के घरों के लिए 8 सौ रुपये है और उनको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है ।

श्री हरिवंश सहाय--

जितने घर बाढ़ से गिर गये हैं क्या उन्हे कहीं अन्यत्र बसाने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

देवरिया जिलान्तर्गत राप्ती नदी के कटाव से ग्राम गायघाट के मकानों के जलमग्न 1095 हो जाने के सम्बन्ध म नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री वीर बहादुर सिंह--

अगर उनके पास जमीन नहीं है तो सरकार इसके लिए व्यवस्था करती है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

वे कछार के गांव है । एक तरफ राप्ती और दूसरी तरफ बथुआ नाला और दोनों के बीच में गांव बसा है और लगातार कटत रहता है । इस कटाव को भरने में काफी पैसा लगत है । तो क्या आप जहां वे बसेंगे उनको भरवाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह तो मैं बता चुका हूं कि जितने घर कट चुके है उनको उसी गांव में बसाने के लिए व्यवस्था हो रही है । कटाव रोकने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति का स्वीकृति हो जाने के बाद कार्यवाही होगी ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह जो तकनीकी सलाहकार समिति है सिंचाई विभाग में यह काम न करने का सबसे बड़ा बहाना है । मैं जानना चाहता हूं कि गायघाट में पिछले अनेक वर्षों से कटाव हो रहा है तो तकनीकी सलाहकार समिति के विचारार्थ यह योजना कब दी गई और कब तक कार्य हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह योजना पहले 79 में बनी थी 4.82 लाख रुपये की । लेकिन आज कटाव होता जा रहा है तो 10 लाख रुपये का स्टीमेट बना है । टेक्निकल सलाहकार समिति की जल्दी कोशिश होगी कि इसको देख ले और उसके बाद ही कार्यवाही की जायगी ।

[समय 4-42 अपराह्न]

केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना, धान तथा मोटे अनाजों का मूल्य निर्धारित किए जाने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय पर चर्चा होने जा रही है और उस विषय के संबन्ध में जो शासन की घोषणा हुयी है। शासन के द्वारा इस वर्ष के लिये 1980-81 के लिये गन्ना, धान और मोटे अनाजों के लिये जो खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार के मन में प्रदेश के काश्तकारों के हित के लिये किंचित भी भावना नहीं रह गयी है ।

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे प्रदेश में 80-85 फीसदी जनता ऐसी है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है । जब तक ऐसी योजनायें लागू नहीं की जायंगी जिससे 85 फीसदी जनता का लाभ हो सके तब तक प्रदेश के विकास की बात करना दिवा स्वप्न है । अभी जो कीमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

निर्धारित की गयी है उस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कीमत 13 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है और वह भी रिकवरी बेसिस पर एक साधारण आदमी जो तकनीकी बातों को नहीं जानता है जब वह यह कीमत सुनेगा तो सोचेगा कि पिछले वर्ष चीनी की कीमत क्या थी और मिल मालिक किस कीमत पर चीनी बेचते थे और उपभोक्ता को किस कीमत पर चीनी मिलती थी तो जो इस वक्त गन्ने का मूल्य रखा गया है उसको देखकर आदमी को आश्चर्य होता है ।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले वर्ष की तुलना में जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, काश्तकारों को अपने खेत में फसल पैदा करने के लिये जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती हैं, सिंचाई के लिय पानी, बिजली, खाद, लेबर इन सब चीजों की कीमत में बराबर इजाफा हुआ है । इसके लिये कोई तर्क देने की जरूरत नहीं ह । इसके बावजूद भी अगर सरकार द्वारा कीमतें कम रखीं जायं तो काश्तकार मर जायगा, यह काश्तकार का शोषण होगा । मिलों की कार्य क्षमता गिरी होने से, पुरानी मशीनों और मशीनों का रख-रखाव ठीक न होने से काश्तकार का शोषण होता है । इसको गरीब काश्तकार बर्दाश्त नहीं कर सकता, काश्तकार पिस जायगा, काश्तकार मर जायगा उसके विकास की कोई दिशा दिखाई नहीं देती है । लेकिन काश्तकार मरे या जिन्दा रहे लेकिन चीनी उद्योग के जो मिल मालिक हैं जिनसे चुनाव के समय भारी चन्दा लिया गया और आज भी निहित स्वार्थ है, इसीलिये मिल मालिकों को पूरा-पूरा संरक्षण दिया जाता है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि पिछले साल जो खांडसारी इकाइयां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं उन्होंने 22-23 रुपये से ज्यादा कीमत दी थी ।

27 रुपये की कीमत दी थी । उसके बाद प्राफिट क्या होगा । कोई व्यापारी नहीं है जो मर कर बिजिनेस करना चाहे । यह बात भी सही है कि उनकी रिकवरी मिल की तुलना में कम होता है । उसके बाद भी 27 रुपये की कीमत दिया था । पिछली बार काश्तकार ओले से मर गया । इस बार बर्षा से मर गया । इसके बाद 13 रुपये का मूल्य काश्तकार की क्रैश क्राप का रखा है । न जाने क्या समझकर रखा है । साफ साफ सरकार को घोषणा करनी चाहिए । यह उत्तर प्रदेश के विकास का प्रश्न है, यह किसान की जिन्दगी का सवाल है क्योंकि किसानों की यह क्रैश क्राप है । मिल मालिकों से बात करके सरकार ऐसी परिस्थिति पैदा करें, जिससे काश्तकार को गन्ने की कीमत किसी तरह से 30 रुपये से कम न मिले । यदि ऐसा नहीं होगा तो काश्तकार आन्दोलन करेगा और हम सब उसके साथ रहेंगे नहीं तो काश्तकार को 30 रुपये का मूल्य दिलाने का वादा करें ।

सरकार ने 105 रुपये में धान की खरीद की बात कही है । यह बात नहीं दोहराऊंगा कि किसान जो धान पैदा करता है उसकी लागत में बहुत वृद्धि हुई है । इससे धान का काश्तकार मर जायगा । इस बार जो धान क्रय की प्रक्रिया अपनायी गयी है उसका परिणाम होगा कि काश्तकार को अपना बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा । क्या यह बात सही है कि पिछली बार जिस समय इधर के लोग उधर बैठे हुए थे, उस समय भी आवाज उठाया करते

थे कि सरकार द्वारा जो भी खरीद होती है उसके द्वारा कितना भ्रष्टाचार होता है । हम लोग जिस समय सत्ता पक्ष में थे, वहां रह कर भी इस बात को उठाते थे कि जिस प्रकार खाद्य विभाग द्वारा धान की खरीददारी होती है, बीज और खाद के नाम पर, मूल्य निर्धारण के नाम पर, काश्तकार का कितना शोषण होता है । लेकिन फिर भी पिछली बार तक प्रतियोगिता रहती थी । बाजार में व्यापारी और मिल मालिक भी खरीदते थे और सरकार भी खरीदती थी । इस बार सरकार ने धान की खरीद पर एकाधिकार कर लिया है ।

पिछले सालों में सरकार चावल की लेवी लिया करती थी । उनके पास धान को रखने के लिए गोडाउन्स नहीं होते थे । उसके साथ इस बार एक और परिस्थिति पैदा हो गयी है । धान और चावल ढोने के लिए मिलर्स के साथ जो शर्त रखी गयी है उससे काश्तकार का अहित होगा । वह उस पर तैयार नहीं हैं । अगर निर्धारित मूल्य से नीचे मूल्य जाता है तो सरकार बड़े पैमाने पर खरीद करेगी । सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रयास करे । राइस मिलर्स की यह मांग सही है कि राइस ब्रेन की प्राइस ज्यादा मिलनी चाहिए । यह मांग उनकी सही है 8-10 रुपये जो धान लेकर जाते हैं मिलना चाहिए । धान की रिकवरी अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग होती है । सूखे का प्रतिशत अलग-अलग होता है । इस लिए सीतापुर में रिकवरी और होगी और उन्नाव में और होगी । सब धान 22 पसेरी कर देंगे तो कोई कम करने के लिए तैयार नहीं होगा । इसलिए यह भी मांग सही है कि रिकवरी रीजनल बेसिस पर होनी चाहिए । आपके यहां धान ले जायेंगे तो चार-पांच महीने पहले खरीदे हुए धान का वेट कम हो जायगा । इसको भी सोचें । इस तरह से धान की खरीद की जो व्यवस्था की गयी है, उससे काश्तकार को कीमत कम मिलेगी । मोटे अनाजों की कीमत भी कम है । इसलिये धान, मोटे अनाज, गन्ने की जो कीमतें सरकार ने तय किया है इससे काश्तकारों का शोषण होगा ।

मान्यवर, यहां कई बार यह बात उठायी गयी है कि किसानों को प्रोत्साहन मूल्य मिलना चाहिये लेकिन जब सरकार काश्तकारों को सही मूल्य देने के लिये तैयार नहीं है । तो प्रोत्साहन मूल्य कौन देगा । लेकिन प्रोत्साहन मूल्य मिलना चाहिये । इस सम्बन्ध में सरकार तर्क देगी कि प्रोत्साहन मूल्य देने से महंगाई बढ़ जायेगी तो महंगाई के नाम पर काश्तकारों के शोषण को बरदाश्त नहीं किया जायेगा क्योंकि काश्तकार सरकार की रीढ़ हैं । यदि उसकी फसल अच्छी होगी तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा जिससे वह अपने लिये कपड़े खरीद सकेगा, अपनी लड़की की शादी अच्छी तरह से करेगा और यही नहीं अच्छी पैदावार होने से उद्योगों का विकास होगा । इसलिये किसानों को सरकार प्रोत्साहन मूल्य दे और कमजोर लोगों को सब्सीडाईज्ड रेट पर चीजें उपलब्ध कराये । तभी वास्तव में हमारे प्रदेश की आर्थिक रचना और काश्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने विषय को सदन में रखता हूं ।

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मुझे इस बात की खुशी है, और अपने सम्मानित सदस्यों को उसके लिये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश के गन्ना के मूल्य के बारे में सुझाव देकर इस चर्चा के द्वारा एक मांग की है । मान्यवर, इसमें दो राय नहीं हैं कि इस प्रदेश की किसानों की यदि आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर होती है तो मान्यवर, इस प्रदेश के विकास और उन्नति का कोई प्रश्न पैदा नहीं

[श्री यशपाल सिंह]

होता है । हमारा यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश में यदि विकासशील दृष्टिकोण अपनाना ह तो इस प्रदेश के किसानों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य देना ही ह ।

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने अभी जो चर्चा की और बतलाया कि केन्द्रीय सरकार ने 13 रुपय क्विंटल गन्ने का भाव रखा है, जो बहुत ही कम ह । उन्होंने इस ब'त की भी अपनी दलील के जरिये साबित करने की कोशिश किया कि गन्ने का मूल्य 13 रुपय से कहीं ज्यादा मिलना चाहिये और ज्यादा ही नहीं उन्होंने निश्चय किया कि 30 रुपये गन्ने का मूल्य होना चाहिये । मान्यवर, उसके लिये जो उन्होंने तर्क दिया और बतलाया कि गन्ने का मूल्य क्या पिछले वर्ष में ऋशर वालों ने 27 रुपय तक नहीं दिया । मान्यवर, कौन नहीं जानता इस प्रदेश का किसान या कोई व्यक्ति कि पिछले वर्ष वास्तव में गन्ने का मूल्य किसानों को अत्यधिक मिला 27 रुपये तक, इसको मैं मानता हूं । लेकिन मैं क्या सम्मानित सदस्यों से जान सकता हूं कि इससे पहले जो भूतपूर्व सरकार थी और जिसके सम्मानित सदस्य, एक विधायक होने के नाते उसके हिस्सेदार थे क्या वह सरकार ने मूल्य दिलवाया था ।

श्री हुकम सिंह--

जी हां ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, कदाचित अत्यन्त भ्रमात्मक यह बात है । माननीय सदस्य कैराना, हुकम सिंह जो ने कहा, जी हां । मान्यवर, यह कहते हुये मुझे तो शर्म महसूस होती ह उनको महसूस हो न हो । उन्होंने जो भाव दिलवाया था अगर आप पुराने रिकार्ड को उठा कर देखें तो इस उत्तर प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ने वाली यदि कोई सरकार थी तो पिछली सरकार थी । मैंने अपने बजट भाषण म भी बतलाया कि 1976-77 से लेकर के 1979-80 तक जो भाव का रेन्ज चला है उसमें कौन दोषी है और कौन नहीं है उसके बारे में मैंने स्पष्ट तौर से बतलाया था और जानना चाहें तो मैं भावों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं ।

1976-77 में जिस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी गन्ने का जो न्यूनतम भाव मुकर्रर हुआ था केन्द्रीय सरकार की ओर से वह साढ़े आठ रुपया था तथा इस प्रदेश की सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, मान्यवर, सवा तेरह और साढ़े बारह का भाव दिलवाया । उसके पश्चात् जो श्रीमन्, माननीय सदस्य की सरकार आई यहां पर प्रदेश में तो उसने न्यूनतम मूल्य क्या मुकर्रर किया-साढ़े आठ रुपये और भाव क्या दिलवाया उन्होंने 1977-78 में । सिर्फ चार आना । सवा तेरह से बढ़ा कर साढ़े तेरह रुपया । सवा बारह से बढ़ा कर साढ़े बारह । इस प्रदेश के किसानों का भविष्य उन्होंने बड़ा सुधार दिया चार आने बढ़ा कर और इस समय इनकी मांग है तीस रुपये की । मान्यवर, 1977-78 में इनकी सरकार केन्द्र में भी थी और प्रदेश में भी । तो साढ़े आठ रुपया न्यूनतम भाव मुकर्रर करके इन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी । अगर उस जमाने में चीनी की पालिसी को सही तौर पर आपने अपना लिया होता तो आज प्रदेश के किसान की और इस प्रदेश की यह हालत न होती । (शोर) 1977-78 में साढ़े आठ रुपया न्यूनतम भाव

मुकर्रर हुआ और इन्होंने जो साढ़े तेरह और पाढ़े बारह का भाव दिलवाया, जिस वर्ष की बात मैं कर रहा हूं, श्रीमन्, इस उत्तर प्रदेश के किसान को वह वर्ष नहीं भूला। वह याद रहेगा। इसके बाद इन्होंने 1978-79 में एक दम 1977-78 की अपनी भूल सुधारने के लिए इस प्रदेश के किसान को भ्रमित करने के लिए न्यूनतम भाव मुकर्रर किया दस रुपये। मान्यवर, उसके बाद इन्होंने (शोर) एक ही आवाज में सब बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जरा शांत रहें....।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....।

श्री अध्यक्ष--

जब तक मन्त्री जी बैठ न जायं, आप बैठे रहें।

श्री यशपाल सिंह--

मैंने अध्यक्ष जी, बड़ी शांतिपूर्वक सम्मानित सदस्य को सुना। हमारे सम्मानित सदस्य बरेली, चेतराम गंगवार जी, जरा चेतना को आप प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनकी भावना क्या है? उनकी बातों का जवाब मैं देना चाहता हूं। जो चीनी के भाव को वह मुझसे मुकर्रर करना चाहते हैं। मेहरबानी करके अपने गिरेबान को ही देखें कि इस चीनी के मूल्यों का जिम्मेदार कौन है और उस जमाने में जिम्मेदार कौन था।

(शोर)

मान्यवर, 1978-79 में जनता पार्टी की सरकार ने जो भाव दिलवाया वह भी दृष्टिगत होना चाहिये। जो न्यूनतम मूल्य था उसी के ऊपर मिल वालों ने दिया और सरकार ने उसे सबसिडाइज किया और किसान को जो पिछला रेट था उसके मुताबिक दिलवाया। लेकिन कहां से दिलवाया तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने 1976 के पहले जो किसान निधि कायम की थी इस प्रदेश के किसानों की आकस्मिक सहायता के लिये उन साढ़े 23 करोड़ रुपये में से निकाल कर सबसिडी दी थी और आज उस को दीवालिया कर दिया उस फंड को। यह सहायता उस समय की सरकार ने किसानों के लिए की थी। पिछले वर्ष 1979-80 में....।

श्री हुकम सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है। पहले अगर मन्त्री जी समय समाप्त कर देंगे तो बाद में सदस्यगण जो अपनी आशंकायें व्यक्त करेंगे उनका उत्तर मन्त्री जी नहीं दे सकेंगे। इसलिये मन्त्री जी बाद में बोलें और पहले माननीय सदस्यों को अपनी शंकाओं को व्यक्त कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री यशपाल सिंह--

पिछले वर्ष के बारे में भी बतला देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मूल्य साढ़े 12 रुपया रखा था जिसके आधार पर पश्चिमी तथा पूर्वी जिलों में जो अधिकतम और न्यूनतम मूल्य आया वह 15 रुपये तथा सवा 14 रुपया आया लेकिन घोषणा कर दी 1 दिसम्बर को। इस सरकार से तो तकाजा है कि फौरन यह भाव मुकर्रर करें लेकिन पिछली सरकार ने भाव मुकर्रर किये थे 1 दिसम्बर को। जो प्राइस उन्होंने एडवाइस की उसके पूर्व पश्चिमी जिले की मिलों ने मूल्य उससे भी अधिक दिया जो वहां पर न्यूनतम मूल्य के आधार पर बैठता था। मैं इसका कोई गिला नहीं करता कि भूतपूर्व सरकार ने क्या किया और आज हम भी उसकी नकल करें मैं इसको नहीं मानता। मैं तो इस बात को मानने वाला हूं कि जो कुछ गलती की हो, कोई भी इसका जिम्मेदार हो बहरहाल हमको वह कदम उठाना चाहिये जिससे इस प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत बने। इसके लिये हम वचनबद्ध हैं कि यह सरकार इस प्रदेश के किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलवायेगी। मैं अपनी घोषणा का समय बतलाता हूं जिसे आप सुन लें। सम्मानित सदस्य अपने सुझाव मेरे सामने पेश करें ताकि उन पर गम्भीरता से विचार करते हुए हम इस प्रदेश के किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलवा सकें। सम्मानित सदस्यों के साथ-साथ हमको इस प्रदेश के किसानों की आवाज भी सुननी पड़ेगी।

मान्यवर, मैं आज ही एक घोषणा किये देता हूं कि अगर पोलिटिकल मोटिवेटेड सलाह हमको दी जायेगी तो हम मानने के लिये असमर्थ हैं और यदि सलाह हमको मुनासिब दी जायेगी तो उसको मानने के लिये हम हर समय तैयार हैं। मैं आज ही इस बारे में कहना चाहता हूं और पहले भी मैंने कहा था कि प्रदेश के किसानों की जैसा कि हमारे सम्मानित सदस्य सीतापुर ने बताया कि कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ी है। मैं मानता हूं कि वह बढ़ी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूं कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हमारा प्राइस इन्डैक्स है वह भी बढ़ा है इसके साथ-साथ और चीजें भी हमारी निगाह में हैं। उन सब चीजों को दृष्टि में रखते हुये किसानों को उचित मूल्य निश्चित रूप से दिलाया जायेगा और मान्यवर, इनकी तरह से नहीं होगा। हम उचित और मुनासिब मूल्य किसानों को दिलवायेंगे। दूसरी जो लावीज हैं उनको भी सुनकर प्रदेश के किसानों के हित में 31 अक्तूबर से पहले हम मिल मालिकों को एडवाइस प्राइस हम घोषित कर देंगे। इससे ज्यादा न कहकर मैं सम्मानित सदस्यों से यह आशा करता हूं कि इस वर्ष किसानों के हित में यही है कि वे हमारी नीतियों के ऊपर हमें सहयोग दें।

एक बात मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मैंने अपने पिछले बजट भाषण में भी कहा था कि जो हमारी शुगर इन्डस्ट्रीज हैं-जो हमारी तीन यूनिट्स हैं--शुगर फैक्ट्रीज, खान्डसारी यूनिट्स और जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के अन्तर्गत गुड़ बनाने वाले हैं इन तीनों के हित हमारी दृष्टि में हैं इसीलिये हमने प्रदेश के गुड़ बनाने वाले किसानों के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगायी है। चूंकि खांडसारी यूनिट्स हमेशा दिसम्बर के महीने में चलती करती हैं और उनकी राय भी यही थी कि नवम्बर के बाद हमको इजाजत दी जाय तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुये हमने 1 दिसम्बर की तारीख मुकर्रर की है। सप्लाई की नीति की भी हमने घोषणा कर दी और उन्होंने इसे खुशी-खुशी कबूल किया है। इसी तरह से रेट की घोषणा भी हम 1 दिसम्बर से पहले कर देंगे।

केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना धान मोटे अनाजों का मूल्य निर्धारित किये जाने से 1101 किसानों में व्याप्त शेष के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री. हुकम सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने ब्योरेवार जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या-क्या हुआ, किसानों का किस तरह से शोषण किया गया सिर्फ इसी बात का उल्लेख उन्होंने अपने भाषण में किया जब कि आज का विषय था कि गन्ने का भाव जो केन्द्रीय सरकार ने घोषित किया है, क्या वह ठीक है, क्या वह लाभकारी है ? इसके सम्बन्ध में हम चाहते थे कि माननीय मंत्री जी प्रकाश डालेंगे और उसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दे सकेंगे जिससे वे सिद्ध कर सकें कि आखिर ये किसान 13 रुपये क्विंटल के हिसाब से भाव दिलाते हैं तो वह किसान जिन्दा जह पायेगा या नहीं । आखिर कोई भाव तय करने से पहले कोई आधार तो सरकार के सामने रहा होगा कि किस आधार पर हमको यह भाव तय करना है । हम चाहते थे कि क्या कोई सिफारिश प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास गन्ने के भाव तय करने के बारे में की थी । धान के बारे में कहा गया था कि 140 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई थी । कृषि मंत्री ने यहां पर यह भी कहा था कि धान का एक क्विंटल पैदा करने में 125 रुपये आता है और केन्द्रीय सरकार ने 105 रुपये की घोषणा की । मान्यवर, मैं आंकड़े रखूंगा कि एक क्विंटल पैदा करने में कितना खर्च आता है । अगर खर्च धान का 125 रुपये क्विंटल आता है और केन्द्र सरकार 105 रुपये तय करता है इसी तरह गन्ने की बात है उसके लिये यहां की सरकार एक शब्द भी नहीं कहती केन्द्र सरकार से कि यह कीमत यहां के किसानों की अर्थ-व्यवस्था के खिलाफ है तो मैं यही कहूंगा कि यह डरते हैं कि उनका मंत्रिपद छिन जायेगा इस बात की उनको चिंता है ।

आज देश में करोड़ों किसानों का क्या होगा ? जो लाखों की संख्या में गन्ने की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा । अपने अपने विभाग के वैज्ञानिकों की बजट भाषण में बड़ी तारीफ की थी लेकिन आज तक इस प्रदेश की सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि एक क्विंटल गन्ना पैदा करने में क्या खर्च आता है । हरियाणा ने जो अपनी सिफारिश केन्द्र को भेजी उसमें आंकड़े भेज कि अप्रैल 1980 में जो गन्ना पैदा करन में जो खर्च आता है उसके अनुसार 17.73 पैसे एक क्विंटल में खर्च आता है । उसके बाद डीजल की कीमतों में, कीटाणुनाशक दवाओं की कीमतों में तथा दूसरी चीजों में 25 परसेंट वृद्धि की गयी तो करीब साढ़े 21 रु0 का खर्च आता ह और केन्द्र सरकार ने क्या आधार रखा कि 13 रु0 तय कर दिया । इस सरकार ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा । क्या आप भूल गये जिस वक्त जनता सरकार यहां बैठी थी उस वक्त चीनी का कितना भंडार हमारे पास था और किस प्रकार गन्ना बेचने वालों को ज्यादा मूल्य दिया । आज स्थिति क्या है एक दाना चीनी ढूंढने पर दुकानों में नहीं मिलती है और आपके 13 रु0 क्विंटल दिलवाने में क्या वह खुश रहेगा ? इस बात की कोई रैलीवेंसी नहीं है कि अगर जनता ने 20 रु0 या 27 रु0 भाव दिलाया तो ढाई रु0 और तीन रुपये चीनी दिला सकती है लेकिन आज 10 और 15 रु0 चीनी का भाव बढ़ गया है वह भी किसी को खुशकिस्मती से मिल जाय तब बात है । गन्ने के मूल्य के बारे में आपके भार्गव कमीशन ने खुद सिफारिश की है कि किसान को उसके गन्ने की पैदावार का मूल्य सही नहीं मिला । अगर आपका लक्ष्य यह है कि चीनी की पैदावार बढ़े तो आपको तय करना पड़ेगा राजनीतिक गठबंधनों से ऊपर उठ कर, उन करोड़पति मिल मालिकों के प्रभाव के ऊपर उठ कर अगर 30, 40 रु0 क्विंटल भी दिलाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है । (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री यशपाल सिंह—

100 रु0 क्विंटल में क्या राय है ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, चीनी पैदा करने में मिल मालिकों का एक क्विंटल में 2 रु0 50 पैसे खर्च आता है । अगर 13 रु0 के हिसाब से तय करें तो बाकी प्रोसेसिंग आदि में 2.50 रु0 खर्च होगा और उसके बाद चीनी को वह 6 रु0 और 8 रु0 में बेचता है तो वह फायदा कहां जायेगा क्या कुछ हिस्सा उसका किसान को भी मिलेगा । अगर एक किलो में एक पैसा भी बढ़ जाता है तो उसको एक करोड़ रुपय का फायदा होता है । तो क्या उस एक करोड़ में से उस किसान का क्या हिस्सा है ? इसके लिए आपका एक भार्गव कमीशन बैठा था । भार्गव कमीशन ने सारे अनुसन्धान करन के बाद अपनी आख्या में यह दिया है कि जिस साल मिल मालिक को फायदा होता है, जितना खर्चा उसका आता है चीनी बनाने में, उसको देखते हुए, फायदा किसानों में बांटा जाना चाहिए, जिसने जिसने गन्ना सप्लाई किया है ।

इस साल अरबों रुपये का मिल मालिकों की फायदा हुआ है । तो उन अरबों रुपयों में आप कितना रुपया किसानों को दिलवाने जा रहे हैं ? क्योंकि आपने उस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है । तो आप राजनीतिक दलदल में न फंसकर, आरोप-प्रत्यारोप में न पड़कर आज कहां के किसानों के हित को देखते हुए उसके उत्पादन-लागत को देखते हुए और यह देखते हुए कि आप उपभोक्ता को चीनी किस भाव में खिलाने जा रहे हैं, उनके लिए आप 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य देने की आप घोषणा करें ।

(व्यवधान)

बयान देने में मंत्री जी बड़े निपुण हैं, वह अखबार में निकला भी है । उन्होंने कहा है कि इस साल प्रदेश में चीनी की पैदावार डेढ़ गुना ज्यादा होंगी । जबकि उनके राज्य मंत्री ने उससे भी एक कदम आगे बढ़कर यह कह दिया है कि डेढ़ गुना नहीं दो गुना बढ़ जायेगी और चीनी के भाव 1 अक्तूबर से मिलें चालू हो जाने के बाद से कम होने शुरू हो जायेंगे । जबकि आज 13 तारीख तक भी उनके चलने की कोई आशा नहीं है । जाने वे कब से चल सकें । जहां ऐसी समझदारी और विरोधाभास हो, समझ में नहीं आता है कि यह किसानों का क्या हित कर पायेंगे ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

आपके दिल को तसल्ली दे दी, यही क्या कम है.....।

श्री हुकम सिंह—

तसल्ली आपको मुबारक और मंत्रिपद आपको मुबारक यह दिल को तसल्ली देने की बात नहीं है, तसल्ली देनी है तो गरीब किसान को दीजिए, जो कठोर परिश्रम करते हैं ।

श्री कुबेर भण्डारी—

गन्ना मंत्री जी, आपको नहीं मिलने वाला है ।

केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना, धान तथा मोटे अनाजों का मूल्य निर्धारित किये जाने से किसानों में व्याप्त क्षोभ के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने गन्ना मूल्य के बारे में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, किसान के बारे में जितनी चिन्ता विरोध पक्ष को है, उससे कई गुनी ज्यादा चिन्ता सत्ता पक्ष को है और यह इसे सिद्ध स्वयं अपने कृत्यों से कर चुके हैं, जबकि गन्ना इन्होंने डेढ़-दो रुपया क्विंटल बिकवाया था और जब जिला बुलन्दशहर के और सहारनपुर जनपद के अंदर, खेतों में, मजबूर होकर किसानों ने अपना गन्ना जला दिया था। अब हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि सत्ता पक्ष इसका भाव 30 रुपया प्रति क्विंटल कर दे। मैं जहां तक समझ सका हूं, विरोध पक्ष इसको एक राजनीतिक पहलू बनाए हुए है। जैसा कभी मंत्री जी ने भी कहा है। बहुत सोच समझकर यह निर्णय निकालने की बात है कि इसका मूल्य क्या रखा जाए, जो किसानों, मजदूरों, मिल मालिकों और उपभोक्ताओं--सभी के लिए हितकर हो और इन सभी में हित के सम्बन्ध में परस्पर सन्तुलन भी बना रहे।

और साथ ही साथ शासन के लिए भी हितकारी हो। ये सब बातें निकालनी पड़ेंगी तब जाकर गन्ने का मूल्य निकल सकता है। अगर आप गन्ने की रिकवरी देखें तो सितम्बर के बाद से अर्थात् अक्तूबर से लो जाती है कि उसमें चीनी का कन्टैन्ट कितना है। यह फरवरी में 10 प्रतिशत से ऊपर चला जाता है। आज तक कहीं भी शुगर मिल्स चालू नहीं हुयी हैं। 10-15 दिन में चलना आरम्भ होंगे तब हमको गन्ने की प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी। अगर गन्ने की कीमत देखते हैं तो हम पाते हैं कि 10 परसेन्ट रिकवरी अगर होती है तो 10 क्विन्टल पर यदि 20 रुपया भी दें तो हमको 220 रुपया खर्च करना होता है गन्ने की कीमत का। इसमें मजदूरी 50 रुपये और एक्साइज टैक्स आदि का खर्च लग जाने पर 350 रु0 उसकी कीमत बैठती है। तो इसके स्थान पर हमें कन्ट्रोल रेट पर चीनी 2 रुपये 82 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दे रहे ह। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि चीनी की इन्टरनशनल प्राइस क्या है। अगर आंकड़े निकाले जायें तो पता लगेगा कि यह 8 रुपये प्रति किलो है लेकिन हम आज भी चीनी सस्ती बेच रहे हैं। मेरा शासन से अनुरोध है कि वे इसके बारे में सोचें और चीनी के मूल्य का फिर से निर्धारण करें। अगर इसको 4 रु0 प्रति किलों के हिसाब से बेच दें तो क्या नुकसान होगा। मैं नहीं कहता कि आप इसे 6 रुपये या 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेंचे। गन्ने की कीमत भी 2 1/2 और 3 रुपये के स्थान पर 20 रुपया प्रति क्विन्टल दे सकते हैं।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि पश्चिमी जिलों में जो खंडसारी उद्योग हैं उससे भी सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा। इन जिलों में खंडसारी उद्योग का बहुत बड़ा केन्द्र है। पता नहीं है कि जो गन्ना खरीदते हैं वे कितनी खंडसारी या सल्फर पैदा करते हैं। अगर वे 200 बोरे अपने-अपने यूनिटों में पैदा करते हैं तो 20 बोरे दिखाते हैं। पता नहीं चलता कि उनके पास कितना स्टाक रहता है और किस प्राइस पर वे बेच रहे होते हैं। न वे कोई एक्साइज टैक्स देते हैं, न इन्कम टैक्स देते हैं।

शीरे का जहां तक सम्बन्ध है जो सरकारी या कोआपरेटिव की मिलें हैं, उनका शीरा तो 5 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिकता है लेकिन हमारे जो खंडसारी यूनिट्स हैं क्या कभी आपने उनके बारे में देखा है वे अपने शीरे को 40 रुपये और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा—]

50 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेच रहे हैं। उनके बारे में सरकार को कुछ पता नहीं कि कितना वे इक्साइज टैक्स दे रहे हैं, कितना इन्कम टैक्स दे रहे हैं और कितना चीनी वे बना रहे हैं। आज वे अमेरिका के शुगर बैरन्स की तरह से करोड़ों और अरबों रुपया फैला रहे हैं। उन्होंने कुछ धीवर एम्पलाय कर रखे हैं जिनको वे बुलन्दशहर और सहारनपुर पहुंचा देते हैं और वहां पर वे क्रशरों में काम करते हैं। उनको एडवान्स रुपया भी दे दिया जाता है। ये लोग वहां जाकर चीनी बनाते हैं। पता नहीं चलता कि किस प्रकार की चीनी पैदा करते हैं और मुजफ्फरनगर के बड़े-बड़े व्यापारी उस चीनी को ले जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़ा धन्धा कर रखा है। मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि यह प्राइवेट ट्रेडिंग इसको बन्द होना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

*श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी ने जो हल्का सा प्रकाश गन्ने की नीति के बारे में डाला उससे कुछ आशा की किरन बनती है। हम लोग मंत्री जी को सही माने में किसानों का प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वह कहावत चरितार्थ हो रही है कि अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। आज 13 रुपये किलो दिल्ली में चीनी बिक रही है और 13 रुपये किलो गन्ने का दाम तय किया गया है। एक कम्पनी ने लकड़ी का टेन्डर 38 रुपये का दिया है, गन्ने की खोई की कीमत 26 रुपये है, पर गन्ने की कीमत 13 रुपये। चीनी कहीं पर भी आज 10 रुपये किलो से कम पर नहीं बिक रही है। मंत्री जी, आपके प्रति जैसी धारणा है हम लोगों की, आप कृपया उसके अनुरूप काम करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचें और किसानों का हित करें। क्या आपकी आत्मा इसको सही मानती है कि यह कीमत 13 रुपये जो रखा गया है सही है? इन्डियन शुगर मिल्स असोसिएशन के अध्यक्ष ने, श्री सुमईया ने, कहा है कि गन्ने की कीमत साढ़े 17 रुपये दी जाये तो अच्छा रहेगा। भूतपूर्व अध्यक्ष ने भी कहा है कि यदि खांडसारी से कम्पटीशन करना है तो गन्ने की कीमत 20 रुपये होना चाहिये। शुगर टैक्नालाजी एसोसिएशन आफ इन्डिया ने भी कहा है कि गन्ने का कीमत 20 रुपये से 25 रुपये के बीच होना चाहिये। तो जब ये सब लोग कहते हैं कि गन्ने की कीमत बढ़ना चाहिये और मिल मालिक देने के लिए तैयार भी हैं तो दिल्ली की सरकार ने 13 रुपये किस बेसिस पर तय कर दिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी कृपया यह बतलायें कि किस बेसिस पर यह 13 रुपये तय किये गये हैं। इससे काम नहीं चलेगा कि जनता पार्टी ने क्या किया। जनता पार्टी ने हमेशा गन्ना किसानों के हित में काम किया है और उसके समय में चीनी का भाव 1 रुपया 90 पैसे निर्धारित किया गया था। 1930 के पहले दक्षिणी भारत की भी मान्यवर, यही स्थिति थी। आज हमारे यहां की स्थिति यह है कि यहां की मिलें दक्षिण की ओर जाने के लिए तैयार हैं। प्रदेश का यह सबसे बड़ा उद्योग है और इसमें 25 लाख लोग लगे हुये हैं। एक किसान के लड़के होने के नाते मंत्री जी का यह कर्त्तव्य है, उनका यह दायित्व है, कि वे घोषणा कर कि गन्ने की कीमत 25 रुपये से कम नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो नैतिकता का यह तकाजा है कि उनको तुरन्त इस्तीफा देकर हट जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[अपराह्न]

इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपने को केवल गन्ना उद्योग तक ही सीमित रखूंगा। पिछले साल जो सरकारी मिलों का उत्पादन 260 के आसपास था, चीनी कभी भी ढाई रुपये से ऊपर बाजार में गया ही नहीं। चीनी की कीमत बढ़ा दी जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चीनी की कीमत का सहारा लेकर गन्ना किसानों के पेट में छूरा मारा जाय, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह जो पूरब और पश्चिम की बात है, यह केवल सरकार का दिवालियापन है। मान्यवर, जो रिकवरी पूरब की रही है, पश्चिम से भी ज्यादा रही है। हमारे यहां पूरब की मिलें बड़ी पुरानी हैं, जरजर हैं, उसमें रिनीवेशन की काफी गुंजाइश है। एक तो आश्वासन माननीय मंत्री जी को यह देना होगा कि पूरब और पश्चिम में जो एक रुपया का अन्तर है, उसको भी खत्म करने का कष्ट करें। यह बयान बिलकुल बेमतलब है और सत्यता से कोसों दूर है कि इस साल उत्पादन चीनी का बढ़ेगा। अगले साल उत्पादन और भी गिरेगा। मेरे पास कुछ मिलों के आंकड़े भी हैं, जो केन सोसायटी का दिया हुआ है।

हमारे वहां एक विशेष बीमारी पैदा हुई है बाढ़ के बाद। एक बड़ी बीमारी पैदा हुई है, उससे खेत का खेत गन्ने का सूख रहा है। यूरोपीय आशायें जो हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, इसको आप फिर से देखें। यह आप जिस आधार पर कह रहे हैं यह आधार ठीक नहीं है। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपको गन्ने की कीमत की घोषणा पहले करना पड़ेगी। हमारे यहां पूरब में गन्ने को काटने के बाद रबी का एक हल्की सी फसल ले लेते हैं। गन्ना किसान गन्ने को काटेगा नहीं और मिलों को देगा नहीं तो वह अपनी फसल बो नहीं सकेगा। इसे सरकार को आज चुनौती है, अगर उस चुनौती को सुनने के लिए तैयार हों, तो गन्ने की कीमत 25 रुपये से कम नहीं देंगे, यह घोषणा करें।

*श्री भीखा लाल—

मान्यवर, गन्ना और शुगर हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है और यह दो प्रकार के उत्पादकों के बीच में है। गन्ना किसान पैदा करता है और शुगर मिल मालिक पैदा करता है। किसान पर सरकार का यही नीति होना चाहिए कि गन्ने का कीमत तय करे। गन्ने की क्या लागत आती है और शुगर की कीमत तय करने में उसको लागत क्या आती है, उसको देख कर तय करना है। मान्यवर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की चिन्ता तो सभी ने की और आज भी की जा रही है, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे यह सरकार रही हो, उसमें गन्ना उत्पादकों के हित को नीचे रखा है और चीनी उत्पादकों के हित को ऊपर रखा है। मान्यवर, आज चीनी उत्पादकों की कीमत पर लागत क्या आती है, उसको दृष्टिगत रखकर गन्ने की कीमत तय की जाती है।

मान्यवर, जैसा कि जनता पार्टी के शासनकाल में एक्सपीरियेन्स किये गये, शकर को डि-कन्ट्रोल करके। और यह घोषणा की गयी कि 3 रु0 किलो शकर बिकवाई जायेगी और इससे ज्याद दाम नहीं बढ़ाने देंगे। लेकिन मान्यवर, फिर भी दाम बढ़े। चार रु0 पांच और छः रु0 तक शकर बिकी। तब फिर मजबूर होकर कंट्रोल लागू करना पड़ा। फिर 2·15 रु0 से बढ़ाकर 2·85 पै0 निश्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल—]

को गयी । तो मान्यवर, चीनी की कीमत में तो उधर बढ़ोत्तरी हुयी, लेकिन गन्ने की कीमत वही रही, उसमें 4 आने पैसे की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी । और फिर 2.85 पसे से बढ़ाकर अब फ्री तौर पर 6·30 पै0 कर दी गयी । तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इतने बड़े डिफरेन्स को कन्ट्रोल और फ्री मारकेट में रखकर कैसे बिकवा सकती हैं । इसका असर छोटी जगह पर ज्यादा बुरा पड़ेगा और देहातों में पड़ भी रहा है । जहां की चीनी 50% से लेकर 75 प्रतिशत तक ब्लैक होती है तो जो इतना बड़ा फर्क आपने पैदा कर दिया है, वह कैसे खत्म होगा । अभी एक माननीय सदस्य, बुलन्दशहर अपन सजेशन्स दे रहे थे कि शकर के दाम 4 रु0 किलो तक कर दिये जायें । तो इस सिलसिले में माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अब दुबारा इस तरह के एक्सदेरीमेंट न करें । बल्कि जो 15 प्रतिशत सरकार लेती है, वह न लेकर सेंट-परसेन्ट ले और सारे इन्तजाम अपने हाथ में ले और तब उसके उत्पादन की लागत को देखते हुए चीनी का मूल्य निर्धारित कर जनता को उपलब्ध करायें । इस सदन में अभी श्रीमती गौरा देवी ने प्रश्न पूछा कि आप पूरब और पश्चिम में गन्ने के रेट में इतना फर्क क्यों रखा जाता है ? तो कहा गया कि जितनी पूरब की मिलें हैं, उनमें जो शकर का उत्पादन होता है, वह औसतन कम होता है, इस वजह से पूरब में गन्ने की कीमत कम रखी जाती है । तो यह नहीं बताया कि किसान के गन्ने की उत्पादन लागत क्या होती है । और न ही यह बताया कि क्या पूरब और पश्चिम के गन्ना किसानों की उत्पादन लागत में क्या कुछ ज्यादा अन्तर है और दोनों तरफ के मिल मालिकों को उत्पादन लागत एक है । यह नहीं बताया केवल यह बता दिया कि औसत उत्पादन चीनी का उधर कम है । लेकिन सब जानते हैं, यह चाहे जितनी लम्बी-चौड़ी बात करें । लेकिन शासन और अधिकारियों पर हमेशा मिल मालिकों का असर रहा है और इसी वजह से यह शासन और अधिकारीगण का रुझान गन्ना उत्पादकों की तरफ नहीं होता, बल्कि मिल मालिकों की तरफ रहता है, जितनी भी सरकारें आयी हैं और इस मौजूदा सरकार का भी है । वरना 6.30 रु0 में शकर का रेट निश्चित करने का क्या औचित्य है । जबकि गन्ने का मूल्य वही पुराना 13 रु0 क्विंटल है । और शकर 2·85 रु0 से बढ़ाकर 6·30 कर दी गयी । और यह अपने को किसानो के हितैषी कहते हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसान की उत्पादन लागत के अनुसार कीमत तय कर दें, जैसा कि अभी ओझा जी ने सुझाव दिया । मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि कम से कम गन्ने का मूल्य 25 रु0 प्रति क्विंटल निश्चित किया जाए । जबकि मिल मालिक एसोशियेशन स्वयं कर रही है कि इनका मूल्य साढ़े 17 से 20 रु0 तक कर दिया जाए । और आप तो खासकर हितैषी हैं किसानों के । तो आप भी निश्चित कर दीजिए 25 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य का समर्थन करती हूं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसान और मजदूर ओरियेन्टेड सरकार है । किसानों की सरकार है । किसानों के भविष्य के बारे में हमको पूरा सोचने का हक है और उसको सोचना चाहिये । मान्यवर, मैं हमेशा यह देखती हूं किसानों द्वारा तैयार की गई चीजों का दाम कम और मिलों द्वारा तैयार की गई चीजों के दाम हमेशा ज्यादा होता है । किसानों को आगे लाने के लिये यह सरकार द्वारा ज्यादा योजनायें बनी हैं । मैं कहना चाहती हूं कि अक्तूबर का महीना हो गया अभी हम अपने क्षेत्र में

जायेंगे किसान हमसे पूछेगा कि गन्ने का क्या दाम फिक्स हो गया, हमको बताने के लिये कुछ नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है । माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहती हूं कि चीनी का दाम तय करने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन आपने चीनी का दाम 6·30 पैसे तय कर दिया तो उसके पहले आपको गन्ने का भी दाम तय करना चाहिये था । इन दोनों चीजों में कोई सन्तुलन नहीं है और हमेशा हमारे बस्ती जिले के किसान 2-2, 3-3 मील से अपनी बैलगाड़ी पर डनलप पर गन्ना लाता है और मिल पर दो दिन रहता है । 2 बैल और 2 आदमी वहां खाना बनाकर खाते हैं और खाना बनाने के लिये सबसे पहले लकड़ी खरीदता है, लकड़ी का दाम गन्ने से ज्यादा है । उसके गन्ने का दाम 13 रुपया तय कर दिया है 13 रुपये में गन्ना बेचने के बाद 2 दिन वहां पड़ा रहेगा, वहां खाना खायेगा, उसका खर्चा होता है इसके अलावा जो गन्ना बेचने के बाद और चीज खरीदता है जैसे कपड़ा, ईंटा, सीमेंट जो खरीदता है हर चीज का दाम पिछले साल से कितना ज्याद बढ़ गया है किन्तु गन्ने का दाम पिछले साल से केवल 50 पैसे बढ़ा है । तो इससे किसान को तकलीफ हो जाती है उसको दुख हो जाता है । मैं कहती हूं कि क्या देश सेवा करने का पूरी तरह से हक किसानों पर ही है ? शहर में चाय, काफी के लिये और विदेश चीनी भेजने के लिये किसान इतना बड़ा त्याग कर रहा है । 3, 4 दिन पहले बस्ती में मैंने गुड़ खरीदा 6 रुपये किलो में । चीनी का दाम इतना बढ़ गया इसलिये गुड़ 6 रुपये और साढ़े 6 रुपये हो गये क्योंकि गांव में किसान गुड़ की चाय पीता है वहां चीनी नहीं मिलती है, लखनऊ में तो लोग गुड़ की चाय नहीं पीते लेकिन गांवों में गुड़ की चाय पीते हैं । तो क्या किसान चीनी बनाने के लिये इतना बड़ा त्याग करे ? वह गुड़ नहीं बना सकता है ? मैं अब भी अपने क्षेत्र में जाती हूं तो मुझे पानी पीने के लिये गुड़ या भेली ही मिलती है, जब दामाद या बड़े कलेक्टर आते हैं तो उनको चीनी पानी पीने के लिये दी जाती है, तो मान्यवर देहात में चीनी की जरूरत नहीं है तो क्या वह गुड़ नहीं बना सकता है ? हमारे क्षेत्र में बालटर गंज में एक चीनी मिल है अगर किसान गन्ना नहीं देगा तो मिल कैसे चलेगी मिल चलवाने की भी जिम्मेदारी सरकार पर होती है, इसीलिये हमने कहा कि हमारी सरकार किसान और मजदूर ओरियेन्टेड सरकार है । इस वर्ष किसान को केवल 50 पैसे ज्यादा मिल रहा है । मैं कह रही हूं कि कोई कितना भी शान्त हो उसको भी गुस्सा आ सकता है । आप 20 रुपये क्विन्टल की घोषणा करें और किसानों को सांत्वना दें ।

*श्री दामोदर शर्मा—

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं साथ ही माननीय मन्त्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले और अच्छी खेती गन्ने की करते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि गन्ना जैसा मुहकमा किसान के बेटे पर ही है और विश्वास है कि इस प्रदेश के किसानों का भला मन्त्री जी अवश्य करेंगे । प्रश्न इस बात का है कि गन्ने का मूल्य 13 रुपये केन्द्रीय सरकार ने किया और प्रदेश सरकार से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि 20 से 25 तक अवश्य कराने की घोषणा करें । पिछले ढाई साल में 1.20 रुपये जो चीनी विदेशों के लिए जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण हम परिणाम देख रहे हैं, विदेशी मुद्रा भी कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बामोदर शर्मा--]

अर्जित नहीं की । जो चीनी भेजते थे 36 अरब की और कमाया बहुत कम । विदेशी मुद्रा भी अर्जित नहीं कर सके और हमारे देश में भी घोर संकट पैदा हो गया । प्रश्न चीनी का मूल्य बढ़ाने का नहीं है प्रश्न है चीनी के प्लान्ट और किसान के बीच में कैसा सम्बन्ध रखा जायेगा या पूंजीपतियों में और सहकारी मिलों में कैसा रखा जायेगा । सहकारी मिलों में अगर 25 रुपये है तो मोदी 30 रुपये करेंगे । नतीजा होगा किसान मोदी की मिल को ही गन्ना देगा । इसीलिये हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि जितनी भी शुगर प्लान्ट हैं उनको हम दिसम्बर से पहले चालू करने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे । इतना ही नहीं खाण्डसारी उद्योग भी खतरे के कगार पर खड़ा है ।

मैं अनुरोध करूंगा कि खाण्डसारी जितनी आज पैदा होती है उसको सरकार ले ले और अगर नहीं ले सकती तो सरकार अपने माध्यम से उसे दूसरे प्रदेशों में या पूरे प्रदेश में बेचे । इसलिये सवाल उठाया कि खाण्डसारी उद्योग पश्चिमी प्रदेश में बरेली से सहारनपुर तक फैले हैं जहां हजारों मजदूर साल भर इसमें लगे हैं और जिनकी रोजी-रोटी उसी के चलने से है । और वह चलेंगे दिसम्बर के बाद । ये चलें या न चलें लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जो सहकारी मिलें हैं वह घाटे में हैं और इसका कारण क्या है । लेकिन जितनी प्राइवेट पूंजीपतियों की मिलें हैं वे सब मुनाफे में हैं । जनता पार्टी के शासन में 158 रुपये बोरी और बाजार में 198 रुपये में बेची गयीं । और मान्यवर, इतना ही नहीं कुछ मिल मालिक ने जनता पार्टी के शासन में 80-90 करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों से लिया और चुनाव के दौरान उसको जनता पार्टी के लोगों ने खर्च किया । अर्थ व्यवस्था जनता पार्टी के शासन में इतनी बिगड़ी कि उसको आज सुधारने में हमारी सरकार लगी है । मैं माननीय मन्त्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह अवश्य ही गन्ने के मूल्य पर ध्यान देंगे और चीनी उद्योग जो खतरे में है जिस पर किसान निर्भर है, वह किसान जो देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी उसकी तरफ ध्यान देंगे ।

*श्री चेतराम गंगवार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने 1976-77 के मूल्य का हवाला दिया । माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि 8 रुपये केन्द्र सरकार ने तय किया था तो उन्होंने उसके ड्योढ़े से अधिक साढ़े तेरह रुपये मूल्य किसान को दिया है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, मेरी जानकारी है कि 2 रुपये 90 पैसे कन्ट्रोल रेट की चीनी थी और आज आप मान्यवर,, देखें कि मारकेट में चीनी 13 रुपये और 10 रुपये से कम नहीं है । लखनऊ में लालबाग में चीनी मैंने दो तीन बार मंगायी, 10 रुपये में है । अगर एम0 एल0 ए0 जायगा तो चीनी नहीं मिलेगी लेकिन जो दारूल शफा का चपरासी है वह ले आता है । तो पिछले साल 2 रुपया 90 पैसे चीनी थी और अब 10 रुपये है तो अगर आप पहले 8 का ड्योढ़ा लायें और हर चीज को मल्टीपिल करें तो 100 रुपये आता है । आप फिर 100 रुपये घोषित करें, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं । मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, अभी 9 तारीख को चीनी मिल ओनर्स एसोशियेशन की मीटिंग हुयी । मेरे यहां धामपुर के विजय कुमार झुनझुनवाला साहब थे उन्होंने बुलाया कि आप भी खाने पर आइये । मन्त्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां तशरीफ ले गए थे। अभी एक सत्ता पक्ष के सदस्य ने कहा कि जनता पार्टी में 80-90 करोड़ रुपया ले लिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने व्यक्तिगत खर्च के लिये या सरकार के खर्च के लिये या उप चुनाव के लिये 8-9 करोड़ रुपया ले लिया उस दिन। अगर नहीं लिया तो आप किसान के बीच में रोटी खाने नहीं जायेंगे कार्लटन होटल में झुनझुनवाला के साथ भोजन करेंगे। मैं जानता नहीं कि वहां आपको थैली दी गयी या नहीं। काशी नाथ मिश्र जी आप सुन लें, आप पुराने सोशलिस्ट रहे हैं, आपके मन के विपरीत फैसला होने जा रहा है।

मान्यवर, पिछले साल मैंने वी ओ 0 17 गन्ना 30 और 35 रुपये में बेचा तो ऐसी स्थिति में अज रेट 25 रुपये से कम नहीं होना चाहिये। अगर आप यह रेट देने में अक्षम हैं तो मैं कहूंगा कि बाकई में आप किसान नहीं हैं। यह कह देने से कि इन्होंने किसान को बरबाद कर दिया है काम नहीं चलेगा। मेरा चार्ज है कि अगर इन्होंने किसान को बरबाद कर दिया तो अपने सारे उपभोक्ताओं को बरबाद कर दिया है। 13 रुपये, 10 रुपये पर चीनी बिकवा कर। सरकार कुछ फ्री शुगर का कोटा निर्धारित करती है और कुछ लेवी में लेती है। स्थिति यह है कि साधारण जनता, जो देहात में रहती है उसको लेवी के शुगर से कोई लाभ होता नहीं है। देहात में वह सब लूट में जाती है। देहात में कार्ड नहीं है। मेरा निश्चित मत है। मैं अपनी तहसील का जानता हूं। 90 फी सदी डीलर शहर में बेच जाता है। गांव के आदमी को चीनी बिलकुल नहीं मिलती। मैं माननीय मुख्य मन्त्री को बधाई देता हूं कि कुछ दूकानें सिरस्त की गयीं। लेकिन कितनी दूकानें सिरस्त की गयीं कितने डीलर्स को जेल भेज गया, कितने भाव गिरे, कितनी चीनी प्रकाश में आयी? क्या आज भी वह पुलिस के कब्जे में है? आपकी नीति ने चीनी उद्योग का चौपट कर दिया है।

धान पक गया। किसान खलिहान में ले आया। सेठी जी कह रहे थे कि 140 रु0 की कीमत सेंटर को लिखा है। न सेंटर और न अई0 ए0 एस0 आपकी परवाह करते हैं। आपकी छवि धुंधली हो गयी है। जब जनता से वोट मांगने जायेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। सेठी जी बैठे हैं वह भी जवाब दें कि क्या इस सरकार का यह फैसला नहीं था कि 140 रु0 की कीमत जायज है?

श्री अध्यक्ष--

संक्षेप में कह दें।

श्री चेतराम गंगवार--

जब सरकार यह समझती थी कि 140 रु0 जायज है तो फिर 105 रुपये पर तैयार हो गयी। आज सरकार घोषणा करे। उसका कर्तव्य है कि उपभोक्ताओं को सही कीमत पर दिलवाये और किसानों का सही रेट मिले। शाहजहांपुर में आपका शोध संस्थान है। नवाबगंज में एक फार्म है। उसमें जो गन्ना पैदा होता है उसकी औसत लागत आती है 4 हजार 207 रुपये प्रति एकड़, जो बीज का शोध कार्य करते हैं, उसकी लागत और ज्यादा है। गन्ने की औसत पैदावार देखें, तो सवा सौ क्विंटल प्रति एकड़ है। आप 13 रुपये प्रति

[श्री चेतराम गंगवार---]

एकड़ का दाम दे रहे हैं 15 सौ रुपया उसको मिलता है। मेरा खर्चा 32 सौ रुपये प्रति एकड़ है। तो किसान की पूर्ति कैसे होगी ? 13 रुपये का मूल्य बिलकुल मजाक है किसान के साथ। आप घोषणा करें कि स्टैंडटरी प्राइस क्या देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

दस मिनट चर्चा का समय रह गया है। इतना ध्यान रखें। 6 बजकर 10 मिनट तक चर्चा होनी चाहिये। इस बीच में मंत्री जी बोलेंगे और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त भी बोलेंगे।

श्री चेतराम गंगवार--

आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)--

[समय 6 बजे अपराह्न]

मान्यवर, जब-जब भारत सरकार मूल्य निर्धारित करती है यह स्वभाविक है कि बहस मुबाहसा खत्म हो जाय। जो खाद्यान्न का मूल्य संरक्षण पालिसी में 105 रुपये केन्द्र ने निर्धारित किया है वह चर्चाजनक है इस सदन के अन्दर जो चर्चा न होनी चाहिए। देश और प्रदेश की जो नीति है वह स्वकृत है। लेकिन माननीय चेतराम जी ने जो शब्दावली का प्रयोग किय, उसका कहना है, देश की सरकार ने जब इस समस्या का समाधान करने के लिए ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को दिया तो उसने 97 रुपये का रेट जो पहले था उसी की संस्तुति कर दी। मेरा कहना है कि जब संस्तुति हुई तो उस समय फिर सवाल उठा कि पेट्रोलियम के सब उत्पादकों के मूल्य बढ़ रहे हैं तो उस कारण पुनः विचार किया गया और निर्देश दिया गया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को, तो उन्होंने 100 रुपये धान का और 97.50 रुपये प्रति क्विंटल मोटे अनाजों के दाम की संस्तुति किया। उसके बाद भारत सरकार ने सब प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन किया जिसमें हर मुख्य मंत्री ने अपने विचार वहां रखे। हमारे मुख्य मंत्री ने 140 रुपये की संस्तुति वहां रखी मैं समझता हूं जो वहां 140 रुपये धान के लिए रखा तो उसमें 105 रुपये प्रति क्विंटल माना गया, इससे पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 रुपये बढ़े वह इसलिए चूंकि हम चाहते हैं कि प्राइस ऊंचा हो इसलिए 105 रुपये हुआ है।

मान्यवर, 140 रुपये प्रति क्विंटल की संस्तुति मुख्य मंत्री ने वहां रखी थी जिसमें 105 रुपये हुआ। तो यह फाइनेन्शियल सब्जेक्ट है। जितना इश्यू रेट सब प्रदेशों का है वही है, यदि समर्थन मूल्य को बढ़ाने की चेष्टा की जाय तो इश्यू रेट जरूर बढ़ता तो उसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ता या हमारी सरकार उसको कायम करती और सब्सीडी में उसको रुपया देना पड़ता। इसलिए भारत सरकार की राय को हमारी सरकार जनहित की दृष्टि से मानती है और 105 रुपया प्रति क्विंटल का रेट उचित रेट है।

मान्यवर, जो चिन्ता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने प्रकट किया है तो उसमें मेरा कहना है इस देश और प्रदेश में खाद्यान्न में धान की फसल अच्छी होगी इसलिए मैं सदन से कहना चाहता हूं कि पश्चिमी क्षेत्रों में दिन प्रति दिन, विशेषकर

धान के रेट गिर रहे हैं । इसलिए यदि हमारी सरकार की खाद्यान्न की पालिसी न होती तो किसान को अपने परिश्रम का उचित मूल्य न मिलता । इसलिए हमारी सरकार मैदान में उतरी है और 105 रुपये में धान खरीदेगी । साथ ही साथ जो सुपर फाइन धान की कीमत जो कम है उसके लिए भी हम मैदान में उतरेंगे । इसलिए जो सरकार ने रेट तय किया है वह ठीक है ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

कितने खरीद केन्द्र इस प्रदेश में चल रहे हैं और कहां खरीद हो रही है । कितनी बोरी हैं वह मंत्री जी बतायें ।

(व्यवधान)

मिथ्या भाषण कर रहे हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है कि मेहनत करने वाले किसानों को अपने पैरों पर, अपने बल पर हम खड़ा करना चाहते हैं सब्सीडी के और अनुदानों के बल पर नहीं । लेकिन दूसरी तरफ मान्यवर, किसानों को जो कम मूल्य दिया जा रहा है उससे सड़कों का निर्माण करके, मंडी स्थलों का निर्माण करके किसानों को जो सरकार सहूलियतें देगी वह उस रूप में जायेगा । इसलिए मोटे अनाजों के प्रति जो सरकार की पालिसी है वह उचित है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान) (शोर)

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, एक मिनट...

एक सदस्य--

मान्यवर, एक मिनट मुझे दे दें ।

श्री अकबर हुसैन--

केन्द्र सरकार के अधीन है और पिछले साल केन्द्रीय सरकार...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें...

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, एक अलग स्थिति है । केन्द्र सरकार का जो रेट था उसमें प्रदेश की सरकार बढ़ोत्तरी नहीं कर पाई । इस साल मान्यवर, केन्द्र सरकार का रेट..,

श्री अध्यक्ष--

आधा मिनट हो गया । आप बैठें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया । मैं इस बात की क्षमा याचना चाहता हूं कि चर्चा के बीच में कुछ देर के लिए उठ कर चला गया था जब कि मुझे नहीं जाना चाहिए था । धान की समस्या के बारे में मुख्य मंत्री जी से शिष्ट मंडल को मिलना था इसलिए चला गया था । मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि नियमों को शिथिल करके 15 मिनट सदन का समय बढ़ा दें । अब मैं अपने विषय पर...

श्री अध्यक्ष--

नियम शिथिल करने की बात नहीं है । यह चर्चा 6 बज कर 10 मिनट तक होनी थी । अब आपको उत्तर देना है और उसके बाद माननीय मंत्री जो बोलेंगे । जब तक 15-20 मिनट आप दोनों बोलेंगे तब तक सदन चलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं अपने विषय पर आता हूं । एक बात उस ओर से बार-बार कही गई कि चीनी उद्योग संकट में है । लेकिन चीनी उद्योग संकट में है कह कर क्या आप पूंजीपतियों को अनुचित लाभ कमाने का मौका देंगे । मैं समझता हूं कि मूल मुद्दा इस बात पर है कि उद्योग की रचना, उद्योग का आधार, कीमत तय करने के लिए उपभोक्ता, गन्ना उत्पादक, मिल मालिक इन तीनों के हित का केन्द्र बिन्दु क्या होगा । मैं समझता हूं अगर कोई सरकार उपभोक्ता के हित के साथ-साथ, पूंजीपतियों के हित के साथ-साथ, गन्ना उत्पादक के हित को प्राथमिकता नहीं देगी तो वह सरकार सही मानों में इस उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती ।

मैंने शुरू में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप उत्पादक के हित को ध्यान में नहीं रखेंगे, उसकी पसीने की कमाई नहीं देंगे तो यह सारा उद्योग नष्ट हो जायगा, सारी अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायगी । मैं चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो 30 रुपया कुन्तल गन्ने की कीमत का घोषणा करें । यह बहाना हम नहीं सुनना चाहते जैसा कि सेठी जी ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश में एक पार्टी की सरकार है । रिजवी साहब जब उत्तर देते हैं तो तत्काल यह कहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी में विश्वास रखते हैं, केन्द्र से परमर्श मांगने जाते हैं । केन्द्र से मात्र परमर्श करने का अधिकार प्राप्त है । केन्द्र और प्रदेश के भेद का बहाना नहीं सुनना चाहते हैं । एक बात जानना चाहते हैं कि अगर धान की खरीद की कीमत 140 रुपया कहा था तो क्या उसके लिए प्रदेश की सरकार सक्षम नहीं है । आज धान बाजार में आने को तैयार है । मैं जानना चाहता हूं कि आप ने कितने खरीद केन्द्र अब तक खोले हैं, कौन सी मशीनरी है । पिछले वर्ष...

(व्यवधान)

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर...

(व्यवधान) (शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी की बात मानने के लिए

(व्यवधान)

लखीमपुर...

(व्यवधान)

मैंने तीन जिलों की जानकारी दी। बरेली के बाद मेरठ की बात है, एक केन्द्र भी वहां चालू किया गया हो तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। वर्ना मन्त्री जी सदन को गलत राय दे कर गुमराह करने की चेष्टा न करें। यह किसान की जिन्दगी का सवाल है यह उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले मेहनतकश किसान का सवाल है।

(व्यवधान)

एक बात की और चेतावनी देना चाहता हूं। पिछली बार खरीफ की पैदावार खरीदने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, काश्तकार का जो शोषण हुआ है वह इस बार न हो। सेठी जो यह शिकायत किया करते थे। मैं उनको बतलाना चाहता हूं ब्यूरोक्रेसी वही है। व्यवस्था वही है। तो क्या बोरों का इन्तजाम इस बार कर लिया गया है। केन्द्र सरकार से कितने बोरों की मांग की है। भंडारागार में कितने क्विंटल धान और चावल रखने की व्यवस्था आपने कर रखी है? अगर बोरों की व्यवस्था नहीं की है तो काश्तार जब पैदावार ले कर आयेगा तो जो छोटा व्यापारी खरीददार है उसका वह उनके शोषण का शिकार बनेगा, कर्मचारियों के शोषण का शिकार बनेगा अगर गोदामों में माल रखने की जगह उसे नहीं मिली तो। एक बात यह भी साफ कह दूं कि धान की कीमत के लिये जो आपने घोषणा की थी उसकी व्यवस्था आपने नहीं की तो किसान बगावत करेगा। थोड़ी देर पहले एक सम्मानित सदस्य आरोप लगा रहे थे जनता पार्टी की सरकार पर कि पैसा ले लिया गया लेकिन अभी माननीय सदस्य बरेली ने भी कहा है कि आपने भी उप चुनावों के लिये भारी रकम ले ली है और जो चीनी मिल मालिक हैं उनके पक्ष में आप फैसला करने जा रहे हैं। कल को उप चुनाव होने वाले हैं आपको साफ घोषणा करना चाहिये क्योंकि आज यह मंत्रालय उस मंत्री के हाथ में है जो खुद काश्तकार है। माननीय मंत्री जी के जो विचार पहले थे क्या सत्ता में आने के बाद वे बदल गये हैं? वह पुरानी वाणी पर रहें और साफ घोषणा करें कि किसान को 30 रुपये क्विन्टल गन्ने का मूल्य दिलवायेंगे और इसके लिये पूरा प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं इस चेतावनी के साथ अगर उन्होंने स्वीकृत मूल्य गन्ने का निर्धारित नहीं किया और धान की खरीद में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया तो जनता आपको उप चुनाव में उठा कर फेंक देगी और साथ हम लोगों को भी काश्तकार के साथ आन्दोलन करना पड़ेगा कि काश्तकार इस कीमत पर मिलों को गन्ना सप्लाई करने के लिये तैयार नहीं है।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस प्रदेश के किसानों के हित में गन्ने के मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में अपनी-अपनी राय दी। मेरा विचार स्पष्ट है कि चाहे सम्मानित सदस्यों ने

[श्री यशपाल सिंह---]

जज्बात के बहाव में आ कर राय दी हो या उन्होंने वास्तविक राय दी हो बहरहाल उनकी राय से मुस्तफीद होंगे और उससे फायदा उठाना हमारा कर्त्तव्य है । हम उससे फायदा जरूर उठायेंगे । मैं एक धृष्टता करना चाहता हूं कि ज्यादातर तकरीरें मुझे जज्बाती महसूस हुई भीखालाल जी ने जरूर अपने जज्बाती विचार थोड़ी गंभीरता के साथ व्यक्त किये कि इस प्रदेश के गन्ना किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य उनको मिले इसके लिये उन्होंने दो सिद्धान्त तजवीज किये कि उसमें बीच में दो व्यक्ति आते हैं एक सरकार और दूसरा गन्ना उत्पादन करने वाला । गन्ना उत्पादन करन के बारे में उन्होंने कहा कि उसके लिये यह सरकार भी दोषी है और पहली सरकार भी दोषी थी । मान्यवर, यह उनकी नीति के अन्तर्गत आता है और इसीलिये उन्होंने ऐसा कहा । बगैर ऐसा कहे वे रह नहीं सकते ...।

(व्यवधान)

मान्यवर, उन्होंने फरमाया कि यह सरकार भी और पहले की सरकार भी हमेशा कारखानेदारों के हितों की सुरक्षा करती रही है भावों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में । हो सकता है यह सही हो । लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में दो ही एजेन्सियों का नाम लिया । एक तीसरी एजेन्सी जो इस देश के कोने-कोने में भरी पड़ी है और उत्पादक भी दूसरी जगह सोचते हैं जो उपभोक्ता हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना है । देश और प्रदेश को इन उपभोक्ताओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा उनकी क्षमता और परचेजिंग पावर क्या है । मान्यवर, एक तजवीज आ गई सम्मानित सदस्य कैराना ने कही । गन्ने का भाव 30 रुपया कर दिया जाय । यह भी कहा गया कि इस प्रदेश की सरकार के पास कास्ट आफ प्रोडक्शन का कोई रिकार्ड नहीं है । 30 रुपया यदि भाव मुकर्रर कर दिया जाय तो मैं माननीय सदस्य कैराना से पूछना चाहूंगा कि वे चीनी किस भाव में खरीदना चाहेंगे । इतना भी ध्यान उनका नहीं गया । मान्यवर, 30 रुपये के भाव पर लगभग 10 रुपये के करीब भाव आयेगा । कुछ घटा लीजिये । चाहे जितना घटा लें, मैं मानने के लिये तैयार हूं लेकिन कितना घटा कर ले जायेंगे । इस प्रदेश के उपभोक्ताओं की परचेजिंग पावर कितनी है ? उतनी नहीं है । इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कास्ट आफ प्रोडक्शन गन्ने के ऊपर जो आता है उसका प्रदेश की सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं है और यहां पर जहां एक विधायक हैं जहां एक वकील हैं वहीं पर एक किसान भी है । उन्होंने हरियाणा सरकार के आंकड़े दिये कि वहां पर कास्ट आफ प्रोडक्शन 13 रुपया है... ।

श्री हुकम सिंह--

17 रुपया है ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं चैलेंज करता हूं कि 17 रुपया कास्ट आफ प्रोडक्शन वह साबित कर दें और दिखायें । हम यकीन दिलाते हैं कि यदि वे हमको यह साबित करके दिखा दें तो जितना मूल्य वे कहेंगे हम किसानों को उतना मूल्य दिला देंगे । मैं भी एक किसान हूं और वह भी एक किसान हैं । अगर कोई भी सम्मानित सदस्य इस विधान सभा में हमको ऐक्चुअल जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह बतला दें तो जितना वे कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूं ...।

(व्यवधान)

इस प्रदेश की सरकार के पास कास्ट आफ प्रोडक्शन के आंकड़े भी हैं और मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन में ही नहीं हमने अभी कहा था कि जो हमारी प्राइस इन्डैक्स है उसके ऊपर भी जो हम कीमत मुकर्रर करेंगे उसका भी ध्यान रखा जायेगा । हमारे सम्मानित सदस्य ओझा साहब ने एक बात फरमायी । 31 अक्तूबर से पहले जैसे मैंने घोषणा की थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना काट कर गेहूं बोता है माननीय ओझा साहब चले गये मैं जानना चाहता हूं कि गन्ना कब बोया जाता है । नवम्बर के महीने में अगर खेत खाली हो गये तो आखिर दिसम्बर में अगर लेट वैरायटी है तो 16 जनवरी तक बोते हैं ।

(व्यवधान)

मैं किसान होने के नाते एडवाईस करता हूं कि 30 दिसम्बर लैटेस्ट होना चाहिये । बहरहाल मिल चलेंगी और 31 अक्तूबर से पहले घोषणा कर देंगे । आप लोगों ने बात उठाई उससे हमने नसीहत हासिल करने की कोशिश की प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए हम सोचेंगे । हम जगह-जगह किसानों की मीटिंग कर रहे हैं उनके भी व्यूज लेना चाहते हैं, जो पैदा करने वाला है वह क्या कहता है । माननीय सदस्य ओझा साहब ने फरमाया यह मेरा नैतिक दायित्व है अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री ऊदल--

नहीं जब तक आप जियें तब तक रहें लेकिन व्यवस्था कीजिये ।

श्री यशपाल सिंह--

तो उनके इस्तीफे की बात का उत्तर मैं आखिर में दूंगा । लेकिन हमारे सम्मानित सदस्य बरेली श्री गंगवार साहब ने फरमाया कि एक बार पहले रुपया ले लिया गया मिल मालिकों से और मंत्री जी यहां पर कालटन होटल में दावत में गये । मैं किसी को अछूता नहीं समझता हूं हर एक से बात करता हूं लेकिन माननीय सदस्य ने मेरा बयान वहां पर जो दिया अखबार में पढ़ा या नहीं । उसकी तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बेमतलब की बात से किस्से कहानी से कोई फायदा नहीं । गन्ना की कीमत और कृषि मूल्यों के बारे में दो बातें यहां पर उठायी गयीं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, आप बैठें ।

श्री यशपाल सिंह--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बेमतलब की तमाम बातें यहां उठाई तो एक आध बात हमारी सुन लें बेमतलब की ही सही तो उनकी दावत में जैसे मेरी आदत है एक टोस्ट उठाया मैंने (व्यवधान) तो जैसा मैंने कहा किसान का हर पहलू से ध्यान रखा जायेगा और किसान को गन्ने की कीमत दिलायी जायेगी । मान्यवर, तीन सुझाव आये पहला तीस रुपया दूसरा 20 रुपया और

[श्री यशपाल सिंह]

तीसरा 20 रुपया गन्ने का मूल्य होना चाहिये । तो मान्यवर, इस प्रदेश के और भी सुझाव हैं उन सब का अंदाजा लगाकर भाव तय होंगे····

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

गन्ने की कीमत के बारे में सही बात न बताकर वह घुमाफिरा कर गुमराह करना चाहते हैं । इसलिए हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हुकम सिंह--

हम भी उनसे अर्ज कर चुके हैं लेकिन वह तैयार नहीं हैं इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं ।

(व्यवधान)

(श्री हुकम सिंह अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री यशपाल सिंह--

किसान को उचित प्राईज गन्ना मंत्री होने के नाते मैं दिलाने का प्रयास करूंगा····(व्यवधान) मैं इसके बिना यों ही नहीं बैठा रहूंगा····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बीच में जो बोल रहे हैं वह कोई बात लिखी नहीं जाएगी । बिना इजाजत के सब बोल रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह--

मैं फिर दोहरा देता हूं, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अगर लाभदायक और रिम्युनेरेटिव प्राईज नहीं मिली तो मैं इस कुर्सी पर यों ही नहीं बैठा रहूंगा जैसे चौधरी चरण सिंह बैठ रहे थे और मैं यह भी आश्वासन पूरी तरह से देना चाहता हूं कि 31 अक्तूबर के पहले-पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष—

अब चर्चा का समय समाप्त हुआ ।

विधान सभा सदस्य, श्री नन्दराम एवं धर्मन सिंह की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे आज सदन को एक सूचना अब देनी है । जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपने पत्र, दिनांक 11 अक्तूबर, 1980, जो इस सचिवालय में इसी दिन प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि सर्वश्री नन्दराम, सदस्य, विधान सभा (बरेली) एवं

थम्मन सिंह, सदस्य, विधान सभा (बिजनौर) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 11 अक्तूबर, 1980 को दिन के 1·45 बजे बन्दी बनाये गये और उसी दिन के लगभग 5 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया ।

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं । अनिश्चित काल के लिए ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 30 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया)

सत्य प्रिय सिंह

लखनऊ : सचिव, विधान सभा,

13 अक्तूबर, 1980 उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

מדגם בלבד

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 998 पर)

मण्डलीय विकास निगम का नाम	निगमों के कार्य एवं कार्यान्वित योजनाओं का विवरण	शासन द्वारा प्रारम्भ से वर्ष 1980–81 तक प्रदत्त पूंजी का विवरण
1	2	3
1—उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लि0, झांसी	1—ईंट भट्टा उद्योग 2—स्टोन क्रशर इकाईयां 3—खांडसारी चीनी उद्योग 4—आयल एक्सपेलर 5—कस्टम सेवा केन्द्र 6—कृषि यंत्र निर्माण	85·60 लाख
	यह निगम कृषि/पशुपालन विभाग के माध्यम से कृषकों के लिये उचित मूल्य पर उन्नत बीज/चारा बीज के वितरण का भी कार्य करता है । निगम ने बांदा एवं ललितपुर जनपद में बीड़ी उद्योग भी प्रारम्भ किया था परन्तु यह उद्योग आर्थिक दृष्टि से सफल न होने के कारण बन्द करना पड़ा ।	
	निगम निकट भविष्य में निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना पर विचार कर रहा है :— 1—प्रोसेसिंग प्लांट 2—एक बहु उद्देशीय सेवा केन्द्र	
2—गोरखपुर मण्डल विकास निगम लि0, गोरखपुर	1—खांडसारी मिल 2—आधुनिक चावल मिल 3—आधुनिक दाल मिल 4—कृषि सेवा केन्द्र 5—इंजीनियरिंग वर्कशाप	54·56 लाख

1	2	3
	इस निगम द्वारा "ग्रोथ सेन्टर" परियोजना विचाराधीन है ।	
3—वाराणसी मण्डल विकास निगम लि0, वाराणसी	1—कृषि सेवा केन्द्र 2—ट्रैक्टर कस्टम सर्विस 3—सिंचाई कार्य 4—मार्डन ऊल डाइंग प्लान्ट 5—मशीनें	45·00 लाख

इसके अतिरिक्त निगम ने एक वर्कशाप बनवाया है जिसमें डनलपकार्ट, ग्रैनविन एवं छोटे-मोटे कृषि यंत्र बनवाने का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

4—उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लि0 फैजाबाद	1—मिनी चीनी मिल 2—यान्त्रिक कार्यशाला 2—उर्वरक वितरण केन्द्र 4—आरा मशीन	95·60 लाख

निगम द्वारा पांच ईंट भट्टे, नलकूप लगाने एवं कृषि सेवा केन्द्र खोलने का निर्णय ले लिया है ।

5—मेरठ मण्डल विकास निगम लि0, मेरठ	1—कृषि सेवा केन्द्र	100·00 लाख

निगम द्वारा निम्न योजनाओं पर क्रियान्वित करने पर कार्यवाही की जा रही है :—

	1—पशुचारा/कुक्कुट चारा 2—शीत गृह 3—साल्वेन्ट आयल एक्सट्रैक्शन प्लान्ट	
6—लखनऊ मण्डल विकास निगम लि0, लखनऊ	1—कृषि सेवा केन्द्र 2—लघु सिंचाई	50·00 लाख

निगम द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के संचालन हेतु कार्यवाही कर रहा है:—

1—आधुनिक दाल मिल

2—कृषि रक्षा उपकरण वितरण

3—कृषि सेवा केन्द्र

4—लघु सिंचाई योजना

1	2	3
7--इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लि0, इलाहाबाद	1--कृषि लोक केन्द्र 2--कृषि मन्दिर/सामुदायिक नलकूप 3--ट्रैक्टर 4--कृषि साहित्य प्रकाशन 5--ऊसर सुधार 6--लघु दाल एवं चावल इकाई 7--हरे चारे के बीज की आपूर्ति 8--उषा डीजल पम्प वितरण कार्य 9--उषा सिलाई मशीन का एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वितरण 10--उर्वरक वितरण 11--पेस्टीसाइड्स, इन्सेक्टीसाइट का वितरण 12--पंतनगर प्रमाणित बीज वितरण	45·00 लाख
8--आगरा मण्डलीय विकास निगम लि0, आगरा	1--ग्राम सेवा केन्द्र 2--मार्डन राइस मिल 3--कृषि रक्षा यंत्र निर्माण इकाई 4--पेट्रोल पम्प की स्थापना	100·00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त निगम में निम्नलिखित योजनाएं विचाराधीन हैं :--

1--रोज काम्पलेक्स

2--मिनी शुगर प्लान्ट

3--कोल्ड स्टोरेज

4--हलकता न्याय पंचायत का सर्वांगीण विकास

5--जेल कम्पलेक्स, आगरा में पेट्रोल पम्प की स्थापना

6--टोलबस और कम्प्यूटर की इकाई का स्थापना

1	2	3
9--उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लि0, बरेली	1--कृषि सेवा केन्द्र 2--ट्रैक्टर काटन यार्न कत ई मिल 3--वेस्ट काटन यार्न कत ई मिल 4--बिक्री इक ई 5--इन्टीग्रेटेड प्लन 6--ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र मरम्मत कार्यशाला	100·00 लाख
0--मुरादाबद मण्डलीय विकास निगम लि0, मुरदबद	दिनांक 14-11-76 को मुरादाबद मण्डल के सृजन के पश्चत् मण्डलीय विकास निगम, मुरदाबाद का भी सृजन किया गया था। परन्तु बद में दिनांक 16-7-77 को मुरादाबद मण्डल के समप्त होने के कारण मण्डलीय विकस निगम, मुरादाबद को भी समप्त कर दिया गया।	

पी0 एस0 यू0 पी0--58 वि0 सभा 29-9-81--835 (पी0 डी0)